

वार्षिक रिपोर्ट

2021-22

इरकाँन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

(इरकाँन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

सीआईएन: U74999DL2018GOI334028

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
(इरकॉन वीकेईएल) की वार्षिक रिपोर्ट की विषयवस्तु

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	कंपनी का प्रोफाइल	1
2.	अध्यक्ष का संबोधन	5
3.	निदेशक की रिपोर्ट	8
	❖ एमजीटी-9	24
	❖ एओसी-2	36
	❖ सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	38
4.	कंपनी के वित्तीय विवरण	
	❖ लेखापरीक्षा रिपोर्ट	43
	❖ तुलनपत्र	59
	❖ लाभ और हानि विवरण	61
	❖ रोकड़ प्रवाह विवरण	63
	❖ इक्विटी परिवर्तन विवरण	65
	❖ लेखों संबंधी नोट और अन्य विवरणात्मक सूचना	67
5.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	147

कंपनी परियोजना

“हाइब्रिड वार्षिकी आधार (चरण-1क-पैकेज-11) पर एनएचडीपी चरण-VI के अंतर्गत गुजराज राज्य में किमी 323.00 से किमी 355.00 तक (वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के सनपा से पादरा खंड) आठ लेन वाला वडोदरा किम एक्सप्रेसवे”

निदेशक मंडल

श्री अशोक कुमार गोयल, अध्यक्ष
श्री पराग वर्मा, निदेशक
श्री मसूद अहमद, निदेशक
श्री रोहित परमार, निदेशक
सुश्री रितु अरोड़ा, निदेशक

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

श्री नितेश कुमार जी. असाटी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री राज कुमार, मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्रीमती अर्पिता बासु राँय, कंपनी सचिव

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स भसीन राघवन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

लागत लेखापरीक्षक

मैसर्स आर.एम बंसल एंड कंपनी
लागत लेखाकार

आंतरिक लेखापरीक्षक

मैसर्स रवि राजन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

सचिवीय लेखापरीक्षक

मैसर्स वशिष्ठ एंड एसोसिएट्स,
पेशेवर कंपनी सचिव

कंपनी के ईपीसी संविदाकार

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

कंपनी के बैंकर

बैंक ऑफ बड़ौदा

सम्पर्क अधिकारी

श्रीमती अर्पिता बासु राँय, कंपनी सचिव
ईमेल : csirconvkel@gmail.com
दूरभाष: 011-26545000

पंजीकृत कार्यालय

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-110017

निदेशक मंडल



श्री अशोक कुमार गोयल
अध्यक्ष



श्री पराग वर्मा
निदेशक



श्री मसूद अहमद
निदेशक





श्री रोहित परमार
निदेशक



सुश्री रितु अरोड़ा
निदेशक

वडोदरा किम एक्सप्रेसवे परियोजना की फोटोग्राफ





अध्यक्ष का संबोधन

प्रिय शेयरधारकों,



इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनवीकेईएल) की चौथी (4) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में बोर्ड के सम्मानित सदस्यों की ओर से आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशक की रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण पहले से ही आपके पास हैं और आपकी अनुमति से, मैं उन्हें पढ़ा हुआ मानता हूं। इस एजीएम में भाग लेने को मैं आपका सहृदय आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

मैं आपके सामने इरकॉन वीकेईएल की कुछ विशेषताएं प्रस्तुत करना चाहता हूं।

आपकी कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसका निगमन एनएचएआई द्वारा वडोदरा किम एक्सप्रेसवे परियोजना की अवार्ड शर्तों के अनुसरण में गुजरात राज्य में, किमी 323.00 से किमी 355.00 तक (वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के सनपा से पादरा खंड तक) (चरण - IA - पैकेज II), आठ लेन वाले वडोदरा किम एक्सप्रेसवे की परियोजना के निष्पादन के लिए विशेष कार्य योजना के रूप में किया गया है। परियोजना की रियायत अवधि में नियत तिथि से निर्माण अवधि 730 दिन और वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) से शुरू होने वाले 15 वर्ष की संचालन अवधि शामिल है।

कंपनी ने मई, 2022 तक लगभग 93% की भौतिक प्रगति प्राप्त कर ली है। कोविड-19 महामारी और बाधाओं के कारण अन्य देरी की वजह से परियोजना की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने

महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए सड़क क्षेत्र के ठेकेदारों / डेवलपर्स को राहत देने के लिए परिपत्र जारी किए हैं। अप्रत्याशित घटना के कारण निर्माण में देरी, परियोजना के निष्पादन के लिए समय विस्तार एनएचएआई को प्रस्तुत किया गया है और इसे स्वतंत्र विशेषज्ञों की समायोजन समिति (सीसीआईई) को भेजा गया है। कंपनी द्वारा अगस्त अंत तक सीओडी हासिल करने की संभावना है।

वित्तीय निष्पादन

इरकॉन वीकेईएल ने 1865 करोड़ रुपये की बोली परियोजना लागत, परिचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) लागत को छोड़कर पर एनएचएआई के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी ने रियायत समझौते के संदर्भ में निर्माण के दौरान प्राप्त किए जाने वाले परियोजना भुगतान लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी सीओडी प्राप्त करने की तिथि से 180वें दिन के पश्चात एनएचएआई से वार्षिकी के शेष भुगतान की प्राप्ति के लिए पात्र है।

दिनांक 31 मार्च, 2022 तक, आपकी कंपनी की कुल संपत्ति ₹23,990.32 लाख है, कुल आय ₹39,970.74 लाख है और कर पश्चात लाभ (पीएटी) 6,015.80 लाख रूप है, जबकि पिछले वर्ष आपकी कंपनी की कुल संपत्ति 13,633.52 लाख रूप थी, कुल आय 48,761.53 लाख रूप और कर पश्चात लाभ (पीएटी) 27.54 लाख रूप था।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) से 72412.00 लाख रूप के सावधि ऋण सुविधा का लाभ उठाया है। 72412 लाख में से, बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिनांक 19.07.2021 को इरकॉनवीकेईएल को 58950.00 लाख रूप संवितरित किए हैं, जिसका उपयोग इरकॉन को 58950.00 लाख रूप की संपूर्ण बकाया ऋण राशि के पुनर्भुगतान में किया गया है।

अनुपालन और प्रकटीकरण

निगमित शासन: कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत नियमों के अंतर्गत अनुपालन और प्रकटीकरण का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। विशेष कार्य वाहन (एसपीवी) के रूप में गठित सीपीएसई को, सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट दी गई है। इसलिए, ये आपकी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

समझौता ज्ञापन (एमओयू): आपकी कंपनी ने एमओयू दिशानिर्देशों के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से छूट देने के लिए इरकॉन से अनुरोध किया है।

भावी यात्रा

अब, जब हमने अनन्तिम सीओडी के लिए एनएचएआई को आवेदन किया है और शीघ्र ही हम संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) चरण में प्रवेश करेंगे। एनएचएआई के सहयोग से इस एक्सप्रेसवे का पूरा होना, हमारी प्रतिबद्धताओं को दर्शाता है, और आपको आश्वस्त करना चाहता है कि आपकी कंपनी प्रतिबद्धतापूर्ण सहयोग और दक्षता के अपने मूल्यों को बनाए रखने और अपने सभी हितधारकों के लिए मूल्यसंवर्धन के प्रति प्रतिबद्ध रहेगी। मैं बोर्ड के मार्गदर्शन और अपने प्रबंधन सहयोगियों, कर्मचारियों, ग्राहकों और हमारे सभी हितधारकों के परामर्श और साझेदारी के साथ आगे की हमारी उत्साहजनक यात्रा में आपके संरक्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

आभारोक्ति

मैं, निदेशक मंडल की ओर से, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, कंपनी के लेखापरीक्षकों और उन सभी लोगों द्वारा कंपनी को दी गई बहुमूल्य सहायता और सहयोग के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने वर्ष के दौरान हमारा समर्थन और मार्गदर्शन किया है। मैं सभी कर्मचारियों को उनके समर्पण, विवेक, कड़ी मेहनत और अथक प्रयासों के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ जो प्रति दिन उद्देश्य और गर्व की भावना के कार्य करते हैं। और अंत में, मैं बोर्ड में अपने सहयोगियों को उनके मार्गदर्शन और निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।

हम आगे की यात्रा में आपके निरंतर समर्थन की आशा करते हैं।

कृते एवं की ओर से
इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
ह/-
(अशोक कुमार गोयल)
अध्यक्ष
डीआईएन : 05308809

दिनांक: 04.08.2022

स्थान : नई दिल्ली

निदेशक की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

आपके निदेशकों को दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्ति वित्तीय वर्ष के लिए **इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनवीकेईएल)** के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित **चौथी वार्षिक रिपोर्ट** प्रस्तुत करते हुए अत्यंत संतोष हो रहा है।

1. व्यावसायिक प्रचालनिक विशेषताएं: कंपनी के कार्यों की वर्तमान स्थिति

इरकॉन वीकेईएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसका निगमन गुजरात राज्य में एनएचएआई के परियोजना कार्यों के निष्पादन के लिए 16 मई, 2018 को विशेष कार्य व्यवस्था (एसपीवी) के रूप में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अभिकल्प, निर्माण, वित्तपोषण, प्रचालन और हस्तांतरण के आधार पर वार्षिकी माध्यम (चरण-क-पैकेज II) एनएचडीपी चरण-VI हाइब्रिड के तहत गुजरात राज्य में किमी 323.00 से किमी 355.00 तक (वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के सनपा से पादरा खंड) तक आठ लेन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन के कार्य को निष्पादित करना है।

इरकॉन वीकेईएल ने दिनांक 25 मई, 2018 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी निर्माण अवधि नियत तिथि अर्थात दिनांक 31 जनवरी, 2019 से 730 दिनों की है और इसकी परिचालन अवधि, वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) से 15 वर्ष की है, जिसकी कुल बोली परियोजना लागत, ओ एंड एम लागत को छोड़कर 1865 करोड़ रूपए है। तदनुसार, परियोजना के लिए नियत तिथि दिनांक 31.01.2019 को घोषित की गई थी और निर्धारित पूर्णता तिथि 29.01.2021 निर्धारित की गई थी। कोविड-19 की शुरुआत से पहले, इरकॉन वीकेईएल ने क्रमशः दिनांक 27 सितंबर, 2019 और 25 जनवरी, 2020 तक परियोजना लक्ष्य-I और परियोजना लक्ष्य-II को प्राप्त कर लिया है, जो कि रियायत समझौते में प्रदान की गई उपचार अवधि के भीतर था। हालाँकि, मार्च, 2020 से, कोविड-19 महामारी के प्रकोप और राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के कारण इस परियोजना के कार्य की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तत्पश्चात, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने कोविड-19 (पहली लहर) की इस अप्रत्याशित घटना के कारण अंतरिम उपाय के रूप में 180 दिनों के समय (ईओटी) के विस्तार की अनुमति दी। तदनुसार, परियोजना लक्ष्य - III और परियोजना के अंतिम समापन के लिए निर्धारित तिथि बढ़ा दी गई और इरकॉनवीकेईएल ने दिनांक 30 मार्च, 2021 को परियोजना लक्ष्य - III को प्राप्त

कर लिया। इसके बाद, इरकॉनवीकेईएल के अनुरोध पर, स्वतंत्र इंजीनियरों (आईई) ने एनएचएआई को 306 दिनों की अतिरिक्त अवधि के विस्तार के लिए सिफारिश की अर्थात दिनांक 30 मई, 2022 तक, जो कोविड-19 की दूसरी और तीसरी लहर के कारण, इस अप्रत्याशित घटना के कारण कार्य पर निरंतर प्रभाव और पूर्ण कार्य सौंपने में देरी हुई (बाधाएं और उपयोगिताएं) और यह एनएचएआई के विचाराधीन है। इसे एनएचएआई द्वारा स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (सीसीआईई) के माध्यम से अनुमोदित किया जाना है। सीसीआईई समिति को अंतिम रूप दे दिया गया है और कार्यवाही जल्द ही शुरू होने की संभावना है।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति के बाद, आपकी कंपनी ने एनएचएआई से 32.00 किमी में से 28.13 किमी के लिए एक अनंतिम सीओडी जारी करने का अनुरोध किया, जैसा कि आईई द्वारा प्रमाणित किया गया है और, यह अनुरोध एनएचएआई के पास विचाराधीन है।

आपकी कंपनी ने बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) से 724.12 करोड़ रूपए की मंजूरी के लिए सावधि ऋण सुविधा का लाभ उठाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 19.07.2021 को 724.12 करोड़ रूपए में से, इरकॉनवीकेईएल को 589.50 करोड़ रूपए संवितरित किए हैं, जिसका उपयोग दिनांक 19.07.2021 को इरकॉन को 589.50 करोड़ रूपए की संपूर्ण बकाया ऋण राशि के पुनर्भुगतान में किया गया है।

2. वित्तीय विशेषताएं

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के तहत उल्लिखित प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) के अनुसार तैयार किया है।

दिनांक 31 मार्च 2022 को वित्तीय निष्पादन सूचक:

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र.सं	विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु
1.	इक्विटी शेयर पूंजी	10.00	10.00
2.	अन्य इक्विटी (रिजर्व और अतिरेक सहित)	229.90	126.34
3.	निवल परिसंपत्ति	239.90	136.34
4.	कर्ज (वर्तमान परिपक्वता सहित)	589.50	589.50

5.	कुल संपत्ति और देनदारियां	933.19	789.35
6.	संचालन से राजस्व	399.03	487.62
7.	अन्य आय	0.68	0.42
8.	कुल आय (6) + (7)	399.71	488.04
9.	कर पूर्व लाभ	80.29	0.42
10.	कर पश्चात लाभ	60.16	0.28
11.	प्रति इक्विटी शेयर आय (प्रति 10 रूपए के अंकित मूल्य पर)		
	(i) मूल	60.16	0.28
	(ii) विलयित	60.16	0.28

3. लाभांश और आरक्षित निधि का विनियोजन:

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

इंड एस की अनुप्रयोज्यता के अनुसार, आरक्षित निधि को वित्तीय विवरणों में 'अन्य इक्विटी' के तहत प्रतिधारित आमदनी के रूप में परिलक्षित किया जाता है और आपकी कंपनी के पास दिनांक 31 मार्च 2022 तक प्रतिधारित आमदनियों में 0.61 करोड़ रूपए की शेष राशि है।

4. शेयर पूंजी /डीमैटेरियलायजेशन :

दिनांक 31 मार्च 2022 को कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी और प्रदत्त शेयर पूंजी 10 करोड़ रुपये है, जिसमें प्रति 10 रूपए के 10,00,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं। दिनांक 31 मार्च 2022, को समाप्त वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी की शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) के पास इरकॉनवीकेईएल की 100% प्रदत्त शेयर पूंजी है।

31 मार्च, 2022 तक, प्रमोटर कंपनी (इरकॉन) ने ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 169.18 करोड़ रूपए का निवेश किया है (जिसे इरकॉनवीकेईएल के वित्तीय विवरणों में 'अन्य इक्विटी' शीर्षक के तहत "डीमड इक्विटी" के रूप में शामिल किया गया है) इक्विटी शेयर पूंजी में 10 करोड़ रूपए के अतिरिक्त, 179.18 करोड़ रूपए की इक्विटी शेयर पूंजी के कुल निवेश से अधिक नहीं।

कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) संशोधन नियम, 2019 दिनांक 22.01.2019 के नियम 9ए के अनुसार, कंपनी के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) होने के नाते अपनी प्रतिभूतियों को डीमैट रूप में प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

5. परियोजना से रोकड़ प्रवाह:

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान परियोजना गतिविधियों से कुल रोकड़ प्रवाह रूपए (1.08) करोड़ रूपए है।

6. सहायक/संयुक्त उद्यम/ संबद्ध कंपनियों का विवरण:

समीक्षाधीन अवधि के लिए कंपनी की कोई सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनी नहीं थी।

7. निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

निदेशक मंडल:

वर्ष 2021-22 के दौरान निदेशकों की श्रेणी, नाम और पदनाम

कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसार, कंपनी के बोर्ड की नियुक्ति धारक कंपनी, इरकॉन द्वारा की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान, कंपनी के प्रबंधन का नेतृत्व निम्नलिखित गैर-कार्यपालक (नामित) निदेशकों द्वारा किया जाता है:

श्रेणी, नाम और पदनाम	डीआईएन	नियुक्ति या कार्यमुक्ति (वर्ष के दौरान, यदि कोई हो)
श्री अशोक कुमार गोयल, अध्यक्ष*	05308809	-
श्री सुरजीत दत्ता, निदेशक	06687032	31.03.2022 को निदेशक पद से पदमुक्त हुए
श्री श्याम लाल गुप्ता, निदेशक	07598920	13.05.2021 को निदेशक पद से पदमुक्त हुए
श्री राज कुमार, निदेशक	09075791	02.08.2021 को निदेशक पद से पदमुक्त हुए 2021
श्री योगेश कुमार मिश्रा, निदेशक	07654014	दिनांक 13.05.2021 को अपर अंशकालिक निदेशक एवं अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए और दिनांक 18.08.2021 को चौथी एजीएम में नियमित किए गए दिनांक 01.10.2021 को निदेशक एवं अध्यक्ष के पद से पदमुक्त हुए
सुश्री रितु अरोड़ा, निदेशक	07752915	दिनांक 13.05.2021 को अपर अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त की गईं और दिनांक

		18.08.2021 को चौथी एजीएम में नियमित किए गए
श्री मसूद अहमद, निदेशक	09008553	दिनांक 02.08.2021 को अपर अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए और दिनांक 18.08.2021 को चौथी एजीएम में नियमित किए गए
श्री पराग वर्मा, निदेशक	05272169	दिनांक 29.12.2021 को अपर अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए

*श्री अशोक कुमार गोयल को दिनांक 1 अक्टूबर 2021 से अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के समापन के पश्चात, इरकॉन (धारक कंपनी) ने श्री सुरजीत दत्ता की इरकॉन (धारक कंपनी) से दिनांक 1 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्ति होने के परिणामस्वरूप, श्री मुगुंथन बोजू गौड़ा (डीआईएन: 08517013) को कंपनी के अंशकालिक निदेशक के रूप में नामित किया है।

तत्पश्चात, श्री मुगुंथन बोजू गौड़ा, अपना नामांकन वापस लिए जाने पर कंपनी के निदेशक के रूप में कार्यमुक्त हो गए और श्री रोहित परमार को दिनांक 1 जून 2022 से इरकॉन द्वारा अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ।

इस रिपोर्ट की तिथि के अनुसार, बोर्ड में पांच निदेशक शामिल थे, अर्थात श्री अशोक कुमार गोयल (डीआईएन: 05308809), श्री पराग वर्मा (डीआईएन: 05272169), श्री मसूद अहमद (डीआईएन: 09008553), सुश्री रितु अरोड़ा (डीआईएन: 00002455) और श्री रोहित परमार (डीआईएन: 08190141)।

बोर्ड ने, निदेशक मंडल के निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्री श्याम लाल गुप्ता, श्री राज कुमार, श्री योगेश कुमार मिश्रा, श्री सुरजीत दत्ता और श्री मुगुंथन बोजू गौड़ा द्वारा दिए गए उनके बहुमूल्य योगदान और मार्गदर्शन और समर्थन के लिए उनकी सराहना की है।

श्री पराग वर्मा (डीआईएन: 05272169) और श्री रोहित परमार को क्रमशः दिनांक 29 दिसंबर, 2021 और 1 जून, 2022, से कंपनी के अपर अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पद पर रहेंगे। तथापि,

शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति को आगामी एजीएम की सूचना में शामिल किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-160 के तहत कंपनी को, श्री पराग वर्मा और श्री रोहित परमार से आगामी वार्षिक आम बैठक में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी उम्मीदवारी देते हुए एक नोटिस प्राप्त हुआ है, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, श्री अशोक कुमार गोयल आपकी कंपनी की वार्षिक आम बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त होंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे।

कोई भी निदेशक, निदेशक के रूप में नियुक्त/पुनर्नियुक्त होने से अयोग्य नहीं है।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और कंपनी सचिव (सीएस) को कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में नामित किया है। दिनांक 31 मार्च 2022 को के.एम.पी का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

कंपनी के मुख्य कार्मिक	नियुक्ति की तिथि	पदनाम
श्री नितेश कुमार जी. असाठी	22.12.2020	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री राज कुमार	20.11.2018	मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्रीमती अर्पिता बासु राँय	07.01.2022	कंपनी सचिव

वर्ष के दौरान, दिनांक 18.10.2021 को सुश्री रिची महाजन, के कंपनी के कंपनी सचिव के रूप में कार्यमुक्त होने के परिणामस्वरूप श्रीमती अर्पिता बासु राँय को दिनांक 7 जनवरी, 2022 को कंपनी का कंपनी सचिव नियुक्त किया गया था।

8. बोर्ड की बैठकें:

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, बोर्ड की दिनांक 21.05.2021, 15.06.2021, 28.06.2021, 10.08.2021, 08.11.2021, 09.12.2021, 31.01.2022 और 08.02.2022 को आठ (8) बैठकें हुईं। बोर्ड की बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था। बोर्ड की बैठकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

बैठक की तारीख	बोर्ड सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
21.05.2021	5	5
15.06.2021	5	5
28.06.2021	5	4
10.08.2021	5	5
08.11.2021	4	3
09.12.2021	4	4
31.01.2022	5	4
08.02.2022	5	4

नीचे दी गई तालिका वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों में बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति और पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में उनकी उपस्थिति को दर्शाती है:

निदेशकों के नाम	बैठक की तारीख								18.08.2021 को आयोजित पिछली एजीएम में उपस्थित	वि.व 2021-22 के दौरान आयोजित कुल बैठक	वि.व 2021-22 के दौरान उपस्थित बैठकों की संख्या	उपस्थिति %
	21.05.2021	15.06.2021	28.06.2021	10.08.2021	08.11.2021	09.12.2021	31.01.2022	08.02.2022				
श्री श्याम लाल गुप्ता	-	-	-	-	-	-	-	-	लागू नहीं	0	0	0
श्री योगेश कुमार मिश्रा	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	हां	4	4	100
श्री अशोक कुमार गोयल	✓	✓	✓	✓	अनु	✓	✓	✓	हां	8	7	88
श्री सुरजीत दत्ता	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	अनु	हां	8	7	88
श्री राज कुमार	✓	✓	अनु	-	-	-	-	-	लागू नहीं	3	2	67
श्री मसूद अहमद	-	-	-	✓	✓	✓	अनु	✓	हां	5	4	80
सुश्री रितु अरोड़ा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	हां	8	8	100
श्री पराग वर्मा	-	-	-	-	-	-	✓	✓	लागू नहीं	2	2	100

9. स्वतंत्र निदेशक और बोर्ड समितियां और डीपीई द्वारा जारी कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देश:

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी दिनांक 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 में संशोधन, एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी और एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण इसके बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता और बोर्ड समितियों यथा लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) के गठन की आवश्यकता से छूट दी गई है।

इरकॉनवीकेईएल, एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी और इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, को अपने बोर्ड में किसी भी स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है और स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा कंपनी पर लागू नहीं होती है।

इसके अतिरिक्त, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिनांक 8-10 जुलाई 2014 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित 11 जुलाई, 2019 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में गठित सीपीएसई को कॉर्पोरेट शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट दी गई है। इसलिए, डीपीई के निगमित शासन दिशानिर्देश, इरकॉन वीकेईएल पर लागू नहीं हैं।

10. निदेशक के उत्तरदायित्व का विवरण:

कंपनी का निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि:

क) दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेतु वार्षिक लेखे तैयार करने में महत्वपूर्ण विचलनों, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है।

ख) ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया और निरंतर लागू किया गया है और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे, जो तर्कसंगत और विवकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी की कार्य स्थिति तथा उक्त तिथि को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही एवं वास्तविक स्थिति प्रस्तुत हो सके।

ग) परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा छल-कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए इस कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

घ) वार्षिक लेखा विवरण “निरंतर” आधार पर तैयार किए गए हैं।

ड.) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गई है और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

11. रक्षित ऋण

आपकी कंपनी की परियोजना का वित्तीय समापन, धारक कंपनी, इरकॉन के साथ 769.38 करोड़ रूपए की संपूर्ण ऋण आवश्यकता की प्रतिबद्धता के साथ किया गया था। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आपकी कंपनी ने परियोजना के वित्तपोषण के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) से 724.12 करोड़ रुपये का सावधि ऋण लिया है और दिनांक 19 जुलाई, 2021 को इरकॉनवीकेईएल को 589.50 करोड़ रुपये संवितरित किए हैं, जिसका उपयोग दिनांक 19 जुलाई, 2021 को इरकॉन को 589.50 करोड़ रूपए की राशि के सम्पूर्ण बकाया ऋण के पुनर्भुगतान के लिए किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, आपकी कंपनी ने धारक कंपनी, इरकॉन से 34.48 करोड़ रूपए के अरक्षित ऋण लेकर, मौजूदा पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण की पहली किस्त का भुगतान किया है, जिसकी राशि ₹34.48 करोड़ (लगभग) रुपये है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, केयर रेटिंग्स लिमिटेड ने आपकी कंपनी को 724.12 करोड़ की दीर्घकालीन बैंक सुविधाओं के लिए एए रेटिंग प्रदान की है।

12. कोविड-19 का प्रभाव:

कंपनी ने नोवेल कोरोनावायरस के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा सुझाई गई सभी निर्धारित सावधानियां बरती हैं। वित्तीय विवरणों में कोविड-19 महामारी के प्रभाव के विवरण का प्रकटन किया गया है।

13. वार्षिक रिटर्न का सार:

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 की नियम-12 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा-93(3) के अनुसार, फॉर्म एमजीटी-9 में वार्षिक रिटर्न का सार इस रिपोर्ट का भाग है जो **अनुबंध-क** के रूप में संलग्न है।

14. निदेशक का अवलोकन और वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी (लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई किसी भी टिप्पणी के लिए स्पष्टीकरण:

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में खातों का विवरण स्व-व्याख्यात्मक है तथा इसे और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कोई आपत्ति या

प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है, जिसके लिए किसी भी तरह के स्पष्टीकरण/ पुष्टि की आवश्यकता होती है।

15. लेखापरीक्षक:

सांविधिक लेखापरीक्षक:

मैसर्स भसीन राघवन एंड कंपनी, सनदी लेखाकार को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सीएजी के दिनांक 26 अगस्त 2021 के पत्र सं.सीए/वी/सीओवाई/ केन्द्रीय सरकार/ आईवीकेईएल (I)/1092 के तहत सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-139(1) के तहत लिखित सहमति और प्रमाण पत्र के माध्यम से पुष्टि की है।

लागत लेखापरीक्षक:

निदेशक मंडल ने लागू नियमों / मार्गदर्शन नोट, इत्यादि के अनुसार कंपनी के लागत रिकार्डों की लेखापरीक्षा के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में मैसर्स आर.एम.बंसल एंड कंपनी, लागत लेखाकार को नियुक्त किया है।

कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 148(1) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने लागत खाते और रिकॉर्ड बनाए हैं।

सचिवीय लेखापरीक्षक:

निदेशक मंडल ने कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के साथ पठित धारा-204 के प्रावधान के अनुसार कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षा निष्पादित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में मेसर्स वशिष्ठ एंड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव को नियुक्त किया।

आंतरिक लेखापरीक्षक:

निदेशक मंडल ने मैसर्स रवि राजन एंड कम्पनी, एलएलपी, सनदी लेखाकार को कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है।

16. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-186 के प्रावधानों के तहत शामिल किए गए ऋण, गारंटी और निवेश का कोई लेनदेन नहीं है।

17. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था के विवरण:

वर्ष के दौरान, धारक कंपनी, इरकॉन के साथ संबंधित पक्ष लेनदेन, व्यापार के सामान्य क्रम में और आर्म लैंथ आधार पर थे और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अनुमोदित थे। फॉर्म एओसी-2 में संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण इस रिपोर्ट के **अनुबंध-ख** के रूप में संलग्न है।

18. वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं:

वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं।

19. ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा अर्जन और आउटगो:

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के तहत निर्धारित विवरण निम्नानुसार है:

क. ऊर्जा का संरक्षण: -

आपकी कंपनी किसी भी निर्माण गतिविधि में संलिप्त नहीं है और इसलिए कंपनी के विवरण का प्रस्तुतिकरण हमारी कंपनी पर लागू नहीं होता है।

ख. प्रौद्योगिकी अवशोषण: -

आपकी कंपनी किसी भी निर्माण गतिविधि का निष्पादन नहीं कर रही है और इसलिए कंपनी के लिए विशेष रूप से प्रस्तुत करना लागू नहीं है।

ग. विदेशी मुद्रा आय और आउटगो: -

वर्ष 2021-22 के दौरान कोई विदेशी मुद्रा आय और विदेशी मुद्रा आउटगो नहीं था।

20. जोखिम प्रबंधन:

बोर्ड की मतानुसार, वर्तमान में कंपनी अपने व्यवसाय के लिए किसी भी बड़े खतरे/जोखिम को नहीं देखती है।

21. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व:

प्रत्येक कंपनी, जिसकी तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान, निवल संपत्ति 500 करोड़ रूपए या उससे अधिक है या 1000 करोड़ रूपए या उससे अधिक का कारोबार है या 5 करोड़ रूपए या उससे अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ है, उसके लिए तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को प्राप्त औसत निवल लाभों का कम से कम 2 प्रतिशत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में खर्च करना अपेक्षित है।

चूंकि, आपकी कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए पिछले वित्तीय वर्ष में उपरोक्त सीमा को पूरा नहीं किया था, इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-135 के तहत, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होता है। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-135 के अनुसार कंपनी पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति के गठन की आवश्यकता भी लागू नहीं होती है।

हालांकि, दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का शुद्ध लाभ उपर्युक्त सीमा से अधिक है, इसलिए, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-135 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का प्रावधान, कंपनी पर लागू होगा।

22. कर्मचारियों के विवरण:

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-197 के प्रावधानों और अध्याय-XIII के तहत संबंधित नियमों के अनुपालन से छूट दी गई है।

इरकॉनवीकेईएल एक सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी के लिए निदेशकों की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में कंपनी के नियम-5(2) (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) के तहत निर्धारित मानदंडों के तहत आने वाले कर्मचारियों के पारिश्रमिक के बारे में जानकारी का प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं है।

23. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

24. सार्वजनिक जमा राशि:

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनियों (जमा राशि की स्वीकृति) नियम, 2014 के अनुसार अपने सदस्यों से किसी भी जमा राशि

को आमंत्रित नहीं किया है।

25. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता:

कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्त प्रणाली विद्यमान है। सभी लेन-देन उचित रूप से अधिकृत रूप से रिकॉर्ड किए गए हैं और प्रबंधन को रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं। कंपनी वित्तीय विवरणों में लेखा बहियों और रिपोर्टिंग को ठीक से बनाए रखने के लिए सभी लागू लेखा मानकों का पालन कर रही है। आपकी कंपनी अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप उचित और पर्याप्त प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना जारी रखती है।

26. कंपनी के गोइंग कंसर्न स्थिति और भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले, विनियामकों या न्यायालयों और अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेश

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी के गोइंग कंसर्न स्थिति और भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले, विनियामकों, न्यायालयों और अधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

27. खरीद वरीयता नीति के क्रियान्वयन के लिए एमएसएमई दिशानिर्देशों का अनुपालन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत सभी कंपनियां, जिनका टर्नओवर 500 करोड़ रूपए से अधिक है और सभी सीपीएसई भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार स्थापित ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) प्लेटफॉर्म पर खुद को ऑन-बोर्ड करने की आवश्यकता है। प्रत्येक राज्य में कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) ऐसे निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे और लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार सीपीएसई द्वारा ऐसे निर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। उपरोक्त निर्देश के अनुपालन के अंतर्गत, कंपनी दिनांक 27.09.2019 से टीआरईडीएस में शामिल हो गई है ताकि एमएसई के व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण की सुविधा के लिए उनकी प्राप्तियों की छूट और नियत तारीख से पहले उनके भुगतान की वसूली को सुलभ बनाया जा सके।

28. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रकटन:

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा-22 के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान, ऐसी कोई घटना नहीं हुई, जहां यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज की गई।

कंपनी इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण, इरकॉन (पीओएसएच नीति) की

'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए नीति' कंपनी पर लागू होती है और इरकॉन की आंतरिक शिकायत समिति पीओएसएच नीति के तहत सभी मामलों का निपटान करती है।

29. **सतर्कता तंत्र:**

कंपनी ने अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी, या संहिता के उल्लंघन के संबंध में रिपोर्ट करने के लिए निदेशकों और कर्मचारियों के लिए एक तंत्र स्थापित किया है। इस तंत्र में, इसका लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपायों का भी प्रावधान है। इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण, इरकॉन से नामित और प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के लिए, इरकॉन की व्हिसल ब्लोअर नीति लागू होती है, जो वेबसाइट <https://www.ircon.org/images/file/cosecy/Whistle-Blower-Policy.pdf> पर उपलब्ध है।

कंपनी में अन्य कार्यरत कर्मचारियों के लिए सतर्कता तंत्र के तहत शिकायत/रिपोर्टिंग हेतु निम्नलिखित संबोधन करें:

श्री अशोक कुमार गोयल, निदेशक,
इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनवीकेईएल)
पता: इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड,
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली- 110017
फोन नंबर: +91 9560595019
ईमेल आईडी: ak.goyal@ircon.org

30. **सूचना का अधिकार:**

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आपकी कंपनी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

31. **बोर्ड के सदस्यों का निष्पादन मूल्यांकन:**

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने दिनांक 5 जून 2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों से छूट प्रदान की है, जो अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि धारा 134(3)(पी) के अंतर्गत बोर्ड के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन पर विवरण प्रस्तुत करने का प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगा, यदि निदेशकों का मूल्यांकन मंत्रालय द्वारा किया जाता है जो कंपनी के मूल्यांकन पद्धति के अनुसार प्रशासनिक रूप से प्रभारी है।

इसके अतिरिक्त, एमसीए द्वारा जारी उपर्युक्त परिपत्र के तहत भी नियुक्ति, प्रदर्शन मूल्यांकन और पारिश्रमिक के संबंध में खंड 178 की उप-धारा (2), (3) और (4) के प्रावधान सरकारी कंपनियों के

निदेशकों पर लागू नहीं होगा।

एक सरकारी कंपनी और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के नाते, सभी अंशकालिक निदेशकों को होल्डिंग कंपनी, इरकॉन द्वारा नामित किया जाता है। इन मनोनीत निदेशकों का मूल्यांकन भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूर्व-निर्धारित मानदंडों के अनुसार होल्डिंग कंपनी द्वारा किया जाता है।

32. सचिवीय मानक

वर्ष के दौरान, कंपनी, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों के अनुपालन में है।

33. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट:

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के तहत यथापेक्षित, फार्म एमआर-3 में सचिवीय लेखापरीक्षक से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी की "सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट" इस रिपोर्ट के **अनुबंध-ग** के रूप में संलग्न है। सचिवीय लेखापरीक्षकों ने एक अप्रयोग रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट स्व-व्याख्यात्मक है और बोर्ड द्वारा किसी और टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

34. सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक टिप्पणियाँ

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शून्य अवलोकन के साथ वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में अलग से संलग्न हैं, साथ ही वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां भी संलग्न हैं।

35. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत लंबित आवेदन/कार्रवाई

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कंपनी के प्रति कोई कार्रवाई आरंभ /लंबित नहीं है, जो कंपनी के व्यवसाय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।

36. समझौता ज्ञापन (एमओयू):

सीपीएसई की सहायक कंपनियों के लिए यह अपेक्षित है कि वे दिनांक 10 मार्च, 2022 के समेकित समझौता ज्ञापन (एमओयू) दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार अपनी धारक कंपनी के साथ वार्षिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगी। इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और एसपीवी के रूप में निगमित, आपकी कंपनी, इरकॉन (धारक कंपनी) के साथ वार्षिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आपकी कंपनी ने इरकॉन से एमओयू दिशानिर्देशों के अनुरूप वार्षिक समझौता ज्ञापन प्रक्रिया के अनुपालन से छूट देने का अनुरोध किया।

37. आभारोक्ति:

हम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), विभिन्न अन्य सरकारी एजेंसियों, बैंकों, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी), सांविधिक लेखापरीक्षकों, आंतरिक लेखापरीक्षकों, लागत लेखापरीक्षकों और सचिवीय लेखापरीक्षक को उनके समर्थन के लिए को धन्यवाद देते हैं, और भविष्य में उनके निरंतर समर्थन की आशा करते हैं।

हम अपने ठेकेदारों, उप-ठेकेदारों, को वर्ष के दौरान उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सभी स्तरों पर अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए योगदान के लिए उनकी सराहना भी करते हैं। उनकी कड़ी मेहनत, एकजुटता, सहयोग और समर्थन से ही हमारा निरंतर विकास संभव हुआ है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उसकी ओर से
इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनवीकेईएल)

ह/-

अशोक कुमार गोयल

अध्यक्ष

डीआईएन: 05308809

दिनांक: 04.08.2022

स्थान: नई दिल्ली

एमजीटी 9

फॉर्म सं.एमजीटी 9

वार्षिक रिटर्न का सार

दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष को

[कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 92(3) तथा कंपनी (प्रशासन और प्रबंधन)

नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में]

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरा:

1.	सीआईएन	U74999DL2018GOI334028
2.	पंजीकरण तिथि	16 मई 2018
3.	कंपनी का नाम	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
4.	कंपनी की श्रेणी/उपश्रेणी	शेयरों द्वारा कंपनी लिमिटेड/केन्द्रीय सरकार की कंपनी (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता व संपर्क ब्यौरा	सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली -110017 दूरभाष: 011-26545787 ई-मेल आईडी : csirconvkel@gmail.com
6.	कंपनी सूचीबद्ध है या गैर-सूचीबद्ध	नहीं
7.	रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम तथा संपर्क ब्यौरा	लागू नहीं

II. कंपनी की प्रधान व्यवसायिक गतिविधियां: (कंपनी की सभी व्यवसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है जो कंपनी के कुल टर्नओवर का 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करती हैं।)

क्र.सं	मुख्य उत्पाद व सेवा का नाम	उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1.	वडोदरा किम एक्सप्रेसवे (वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का सनपा से पादरा खंड) निर्माण के रूप में सेवाएं प्रदान करना : निर्माण सेवाएं: राजमार्ग (एक्सप्रेसवे) परियोजना (ईपीसी ठेकेदार के माध्यम से)	42101	100%

			का %	शेयरों का %			ऋणयुक्त शेयरों का %	
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	10000000	100%	शून्य	10000000	100%	शून्य	-
	कुल	10000000	100%	शून्य	10000000	100%	शून्य	-

* प्रमोटर्स की शेयरधारिता: दिनांक 31 मार्च 2022 को इरकॉन और उसके नामितियों की शेयरधारिता की सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है।

III) प्रमोटर्स की शेयरधारिता में परिवर्तन :

क्र.सं	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के आरंभ में	शून्य			
2.	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटर्स की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):				
3.	वर्ष के अंत में				

IV) दस शीर्ष शेयरधारकों की शेयरधारिता पैटर्न :

(निदेशकों, प्रमोटर्स तथा जीडीआर व एडीआर के धारकों से इतर):

क्र.सं	प्रत्येक 10 शीर्ष शेयरधारकों हेतु	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %

1.	वर्ष के आरंभ में	लागू नहीं।
2.	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):	
3.	वर्ष के अंत में	

V) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

प्रत्येक निदेशक (निदेशकों) और प्रत्येक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता	31 मार्च 2021 को वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		31 मार्च 2022 को वर्ष दौरान संचयी शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
वर्ष के आरंभ में	शून्य			
वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण /बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):				
वर्ष के अंत में				

*"इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की ओर से" कंपनी के निदेशकों यथा श्री योगेश कुमार मिश्रा (01.10.2021 को त्यागपत्र दिया), श्री श्याम लाल गुप्ता (13.05.2021 को त्यागपत्र दिया), श्री अशोक कुमार गोयल और श्री पराग वर्मा द्वारा प्रति 10 रूपए के 100 इक्विटी शेयर धारित हैं।

VI) ऋणग्रस्तता - कंपनी की ऋणग्रस्तता में बकाया/संचित किन्तु भुगतान के अदेय ब्याज शामिल है।

(रूपए करोड़ में)

विवरण	जमा राशियाँ सहित रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमा राशियाँ	कुल ऋणग्रस्तता
वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	-	589.50	-	589.50

ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज	-	-	-	-
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	-	589.50	-	589.50
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* संवर्धन	589.50	34.48	-	623.98
* आवर्धन	(34.48)	(589.50)	-	(623.98)
निवल परिवर्तन	555.02	(555.02)	-	-
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
i) मूल राशि	555.02	34.48	-	589.50
ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज	-	-	-	-
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज	10.49	18.77	-	29.26
कुल (i+ii+iii)	565.51	53.25		618.76

VII. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक -

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालीन निदेशकों तथा/या प्रबंधक का पारिश्रमिक:

क्र.सं	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी /प्रबंधक का नाम	कुल राशि
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	लागू नहीं	
2.	स्टॉक ऑप्शन		
3.	स्वेट इक्विटी		
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, बताएं...		

5.	अन्य, कृपया बताएं	
	कुल (क)	
	अधिनियम के अनुसार सीमा	लागू नहीं

*इरकॉन वीकेईएल के पास धारक कंपनी "इरकॉन" द्वारा बोर्ड में नामित अंशकालिक निदेशक हैं। वे कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं लेते हैं। अंशकालिक निदेशकों को कोई बैठक शुल्क नहीं दिया जाता है।

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक:

क्र.सं	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम	कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क		
	कमिशन		
	अन्य, कृपया बताएं		
	कुल (1)		
2	अन्य गैर कार्यपालक निदेशक		
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क		
	कमिशन		
	अन्य, कृपया बताएं		
	कुल (2)		
	कुल (ख)=(1+2) @		
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक		
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीलिंग		

@ वित्तीय वर्ष 2021-22 में कंपनी में सभी अंशकालीन निदेशक, धारक कंपनी द्वारा बोर्ड में नामित किया गया है; और वे कंपनी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहे हैं। अंशकालीन निदेशकों को किसी बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक (प्रबंध निदेशक /प्रबंधक /डब्ल्यूटीडी) का पारिश्रमिक:

क्र.सं	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकी कार्मिक				
		श्री नितेश कुमार जी.असाटी, सीईओ	श्री राज कुमार, सीएफओ	सुश्री रिची महाजन, सीएस (18.10.2021 तक)	श्रीमती अर्पिता बासु राँय, सीएस (07.01.2022 से)	कुल
1.	सकल वेतन	18.37	17.64	2.83	1.04	39.88
	(क) आयकर	-	-	-	-	-

	अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन					
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	-	-	-	-	-
2	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-	-	-
3	स्वेट इक्विटी	-	-	-	-	-
4	कमीशन	-	-	-	-	-
	- लाभ के % के रूप में					
	- अन्य, बताएं...	-	-	-	-	-
5.	- निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन (पीआरपी)	3.37	2.81	-	-	6.18
	-चिकित्सा लाभ (सेवानिवृत्ति पश्चात)	3.22	2.45	-	-	5.67
	- सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन, भविष्य निधि)	2.92	2.31	0.36	0.06	5.65
	कुल	27.88	25.21	3.19	1.10	57.38

नोट: कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-197 के प्रावधान से छूट प्राप्त है।

VIII. जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृत्ति:

प्रकार	कंपनी अधिनियम का अनुच्छेद	संक्षिप्त विवरण	लगाया गया यौगिक शुल्क	प्राधिकार [आरडी / एनसीएलटी / न्यायालय]	की गई अपील, यदि कोई है (ब्यौरा दें)
क. कंपनी					
जुर्माना		-	-	-	-



दंड		-	-	-	-
कंपाउंडिंग		-	-	-	-
ग					
ख. निदेशक					
जुर्माना					
दंड					
कंपाउंडिंग					
ग. चूककर्ता अन्य अधिकारी					
जुर्माना					
दंड					
कंपाउंडिंग					

निदेशक मंडल के निमित्त और उसकी ओर से
इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनवीकेईएल)

ह/-

अशोक कुमार गोयल

अध्यक्ष

डीआईएन: 05308809

दिनांक: 04.08.2022

स्थान: नई दिल्ली

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और उसके नामांकित व्यक्तियों द्वारा

शेयरधारिता की सूची (31 मार्च 2022 तक)

क्र.सं	शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या (प्रति 10/- रूपए)
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	99,99,300
2	अशोक कुमार गोयल	100
3.	श्याम लाल गुप्ता	100
4.	योगेश कुमार मिश्रा	100
5.	सुभाष चंद	100
6.	पराग वर्मा	100
7.	सुरजीत दत्ता	100
8.	मुगुंथन बोजू गौड़ा	100

* वित्त वर्ष 2021-22 के समापन के बाद, इरकॉन ने श्री योगेश कुमार मिश्रा और श्री सुरजीत दत्ता के नामित शेयरधारक के रूप में नामांकन वापस ले लिया और श्री सुरेंद्र सिंह और सुश्री रितु अरोड़ा को नामित किया।

* 100 शेयर प्रत्येक सात नामित शेयरधारकों के पास हैं, सभी इरकॉन, धारक कंपनी के अधिकारी हैं।

अनुबंध-ख

फॉर्म सं. एओसी-2

(अधिनियम के अनुच्छेद 134 के उप-अनुच्छेद (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में)

वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 188 के उप-अनुच्छेद (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं तथा इसके तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कतिपय आर्म लेंथ संव्यवहारों के विवरण के प्रकटन के लिए फार्म

1. आर्म लेंथ आधार पर न की गई संविदाएं या व्यवस्थाएं या संव्यवहार का ब्यौरा : शून्य
2. आर्म लेंथ आधार पर महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं या संविदाओं का ब्यौरा : निम्नानुसार:

क्र.सं.	संविदाओं या व्यवस्थाओं या संव्यवहारों की प्रकृति	संविदा/व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदा/व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की प्रमुख शर्तें	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (तिथियां), यदि कोई हो:	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो
1	ईपीसी करार (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को गुजरात राज्य में किमी 323.00 से किमी 355.00 तक (वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के सनपा से पादरा खंड तक) वडोदरा किम एक्सप्रेसवे को आठ लेन का बनाने हेतु विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन के लिए ईपीसी के रूप में नियुक्त करने हेतु।	नियत तिथि से 730 दिन और तत्पश्चात एनएचएआई द्वारा विस्तारित अनुसार	दिनांक 09.11.2018 का करार, और दिनांक 10.08.2019 व 03.01.2020 के शुद्धिपत्र यह संविदा इरकॉन को 12 प्रतिशत की जीएसटी दर सहित 1377.73 करोड़ रूपए मूल्य हेतु अवार्ड की गई है।	-	शून्य

1.	पट्टा करार (कार्यालय परिसर के प्रयोग हेतु किराया)	तीन वर्ष (17.5.2021 से 31.03.2023)	पट्टा करार दिनांक 02 जून 2021 को 21,236/- रूपए प्रतिमाह जमा जीएसटी की दर से निष्पादित किया गया है।	-	शून्य (आज की तिथि को)
----	---	---------------------------------------	--	---	--------------------------

टिप्पणी:

1. उपर्युक्त लेनदेनों के अलावा, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित, आर्म लेंथ आधार पर और व्यवसाय के सामान्य क्रम में संबंधित पक्षों के साथ किए गए अन्य लेन-देन निम्नानुसार हैं:
 - क. इरकॉन ने अपने कार्मिकों अर्थात् सीईओ, सीएफओ और अन्य कर्मचारियों को इरकॉनवीकेईएल में प्रतिनियुक्त किया है और वेतन, लाभ (जैसे पीएफ, जीआईएस, सोसायटी कटौती, संबंधित भुगतान, आदि) और यात्रा / टिकट लागत आदि की प्रकृति में अन्य विविध देयों का भुगतान किया है। इरकॉन की नीति के अनुसार प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को वास्तविक लागत के आधार पर प्रतिपूर्ति की जाती है।
 - ख. इरकॉन वीकेईएल ने एनएचएआई के निदेशों के अनुसार 14.39 लाख (करों सहित) की लागत पर पीएम केयर्स फंड के तहत गुजरात राज्य के एसएसजी अस्पताल वडोदरा में अतिरिक्त प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन (पीएसए) मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने का कार्य, इरकॉन को सौंपा गया है और एनएचएआई से भुगतान भी प्राप्त हो गया है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उसकी ओर से
इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनवीकेईएल)

ह/-

अशोक कुमार गोयल

अध्यक्ष

डीआईएन: 05308809

दिनांक: 04.08.2022

स्थान: नई दिल्ली

फार्म सं. एमआर-3

वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में)

सदस्य,

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड,

सीआईएन: U74999DL2018GOI334028

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली-110017, भारत

मैं, शोभित वशिष्ठ, प्रोप्राइटर, वरिष्ठ एंड एसोसिएट्स, ने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और **इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड**, (जिसे यहां आगे "कंपनी" कहा जाएगा) द्वारा अच्छी निगमित पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई थी, जिससे हमें निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और इन पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आधार मिला है।

कंपनी की बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, मैंने एतद्वारा रिपोर्ट देते हैं कि हमारे मतानुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रक्रियाएं भी हैं और उस स्तर तक तथा उस रूप में अनुपालन तंत्र विद्यमान है और यहां आगे उल्लिखित रिपोर्टिंग के मद्देनजर है:

मैंने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियम:
- (ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और इसके तहत बनाए गए नियम;
(कंपनी पर लागू नहीं है)

- (iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और इसके अंतर्गत निर्मित विनियम और उपनियम; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**
- (iv) विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश एवं विदेशी वाणिज्यिक ऋण के स्तर तक, इसके अंतर्गत निर्मित नियम; **(उक्त अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है)**
- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं:
- (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**
- (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**
- (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**
- (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करना और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**
- (ङ.) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2021; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**
- (च.) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का इश्यु और सूचीकरण) विनियम, 2008; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**
- (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यु और शेयर अंतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम 1993 जो कंपनी अधिनियम और कंपनी के साथ संव्यवहार से संबंधित है; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**
- (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीकरण) विनियम, 2009; **(कंपनी पर लागू नहीं है)**
- (झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 2018; **(कंपनी पर लागू नहीं है)।**
- (vi) मैं आगे उल्लेख करता हूं कि कंपनी की प्रणाली और प्रक्रियाएं, श्रम कानूनों, भारतीय अनुबंध अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 आदि जैसे सामान्य कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद

हैं। उद्योग/क्षेत्र विशिष्ट कानूनों सहित अन्य लागू कानूनों के अनुपालन की पर्याप्तता की जांच करने के उद्देश्य से, केंद्रीय और राज्य दोनों कानूनों के तहत, इन कानूनों के अनुपालन के लिए कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा कंपनी द्वारा गठित प्रणालियों और तंत्र हेतु किए गए प्रतिनिधित्व पर भरोसा किया गया है।

मैंने निम्नलिखित के लागू प्रावधानों के अनुपालन की भी जांच की है:

- (i) बोर्ड और सामान्य बैठक के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक;
- (ii) लोक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 14 मई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 18(8)/2005-जीएम के तहत जारी किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश;
(हालांकि, यह ज्ञात है कि चूंकि कंपनी को विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में गठित किया गया है, इसलिए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने और लोक उद्यम विभाग(ओपीई) द्वारा अपने दिनांक 11 जुलाई, 2019 और 08 जुलाई, 2014 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अन्य अनुपालन से छूट प्राप्त है)।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, मानकों और दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

मैं आगे उल्लेख करता हूं कि:

- कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल का गठन गैर-कार्यपालक निदेशकों (महिला निदेशक सहित) सहित किया गया है, जैसा कि इसकी धारक कंपनी ("इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड") द्वारा नामित किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन, अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।
- सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों के निर्धारण हेतु पर्याप्त समय दिया गया है, तथा कार्यसूची एवं कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, निदेशक मंडल की बैठकों को छोड़कर, जहां अल्प नोटिस हेतु सहमति प्राप्त की गई थी। बैठक से पहले कार्यसूची मर्दानों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए प्रणाली मौजूद है।



- बोर्ड की बैठकों में सभी निर्णय, जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था, सर्वसम्मति से लिए गए थे जैसा कि निदेशक मंडल की बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज किया गया था।
- हमें दिए गए स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदनों और उस पर हमारे उत्तरों के अनुसार कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली और प्रक्रियाएं उपस्थित हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, जैसा कि प्रबंधन द्वारा स्पष्ट और प्रस्तुत किया गया है, उपरोक्त उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कोई विशेष घटना/कार्य नहीं हुए हैं, जिन्होंने कंपनी के मामलों पर कोई व्यापक प्रभाव प्रस्तुत किया है।

1. कंपनी ने परियोजना को वित्तपोषित करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) से 724.12 करोड़ रुपये का सावधि ऋण लिया है और अपनी धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से प्राप्त 589.50 करोड़ रुपये के सावधि ऋण को चुकाया है।

कृते वशिष्ठ एंड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

ह/-

सीएस शोभित वशिष्ठ

यूडीआईएन: - F011517D000275871

पी.आर. संख्या: 844/2020

एफसीएस सं.: 11517

सी.पी सं.: 21476

दिनांक: 05 मई, 2022

स्थान : फरीदाबाद

नोट: इस रिपोर्ट को समतिथि पत्र के साथ पढ़ा जाए जो अनुबंध-क के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

सदस्य,

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड,

सीआईएन: U74999DL2018GOI334028

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली-110017, भारत

हमारी समतिथिक रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाए:

1. सचिवीय रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपना मत अभिव्यक्ति करना है।
2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवीय रिकार्डों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। हमारा मत है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई पद्धतियां और प्रक्रियाएं, हमारे मत के लिए युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों, लागत रिकार्डों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. निगमित तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
5. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता हेतु आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते वशिष्ठ एंड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

ह/-

सीएस शोभित वशिष्ठ

यूडीआईएन: - F011517D000275871

पी.आर. संख्या: 844/2020

एफसीएस सं.: 11517

सी.पी सं.: 21476

दिनांक: 05 मई, 2022

स्थान : फरीदाबाद

स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट

**इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्य
इंड एस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट**

मत

हमने इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड ("कंपनी") के दिनांक 31 मार्च 2022 को तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण (वृहत आय सहित), इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण और उक्त समाप्त वर्ष के लिए तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक सूचना के सार की लेखापरीक्षा की है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त इंड एस वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के अंतर्गत यथापेक्षित और कंपनी (भारतीयस लेखांकन मानक), नियम, 2015, यथा संशोधित ("इंड एस") के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2022 को कंपनी की कार्यप्रणाली और इस तिथि को समाप्त अवधि के लिए के लिए लाभ और कुल वृहत आय, इक्विटी परिवर्तन और रोकड़ प्रवाह विवरण का सही और उचित रूप प्रस्तुत किया गया है।

मद का आधार

हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप इंड एस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को आगे हमारी रिपोर्ट के इंड एस वित्तीय विवरण खंड के लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व में उल्लिखित है। हम कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रति संगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक संहिता के अनुसार कंपनी स्वतंत्र हैं और हम हमने नैतिक संहिता और इन अपेक्षाओं के अनुसार अपने नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

विषय पर बल

हम राजस्व स्वीकृति से संबंधित अनुमानों में परिवर्तन के संबंध में वित्तीय विवरणों के नोट सं. 31 (छ) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं और वर्ष के लिए राजस्व में, दिनांक 31.03.2021 तक किए गए लागत पर 6361.03 लाख रूपए का लाभ मार्जिन शामिल है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय के दौरान, वर्तमान अवधि के इंड एस वित्तीय विवरणों की हमारे लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को इंड एस वित्तीय विवरणों की हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में समग्र रूप से समाधान किया गया है, और हम इन मुद्दों पर पृथक मद उपलब्ध नहीं कराते हैं।

हमने निर्धारित किया है कि हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित करने हेतु कोई प्रमुख लेखापरीक्षा विषय नहीं है।

इंड एस वित्तीय विवरण और उसकी लेखापरीक्षक रिपोर्ट से इतर अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई जानकारी शामिल है, लेकिन इंड एस वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट इसमें शामिल नहीं हैं।

इंड एस वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम आश्वासनों को निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

इंड एस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने पर, विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है। यदि हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना में तथ्यात्मक दुर्विवरण है, तो हमें उसे प्रकट करना अपेक्षित है। इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों, जो कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, समय-समय पर यथा संशोधित के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, लाभ और हानि (अन्य वृहत आय सहित वित्तीय निष्पादन), रोकड़ प्रवाह और इक्विटी परिवर्तन के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को

तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद 134 (5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करना है और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन गोड़ंग कंसर्न, प्रकटन, यथा अपेक्षित, गोड़ंग कंसर्न संबंधी मुद्दों और लेखांकन के गोड़ंग कंसर्न के प्रयोग के साथ जारी रहने की कंपनी की क्षमता का आंकलन करने के लिए उत्तरदायी है, बशर्ते प्रबंधन या तो कंपनी को लिक्विडेट करना चाहती है या प्रचालन बंद करना चाहती है, या उसा करने के अतिरिक्त उसके पास को वास्तविक विकल्प है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी हैं।

इंड एस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से सामग्रीगत तथ्यात्मक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि से मुक्त हैं। युक्तिसंगत आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है, किन्तु यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन नीति के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा सदैव तथ्यात्मक दुर्विवरण को खोज लेता है, जब वह विद्यमान हो। जालसाजी या त्रुटि से उत्पन्न होने वाले दुर्विवरण को तब महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि एकल रूप में या समग्र रूप में वे युक्तिसंगत स्तर पर इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हों।

लेखांकन मानक के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और बिना लेखापरीक्षा के पेशेवर व्यवहार को बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित व्यवस्थाओं का भी अनुसरण करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, कि क्या वे जालसाजी या त्रुटि या अभिकल्प के कारण है और लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं इन जोखिमों के प्रति प्रक्रियात्मक रूप से सक्रिय हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे मत के लिए आधार प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं। जालसाजी के परिणामस्वरूप तथ्यात्मक दुर्विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, पुनर्विनियोजन या आंतरिक नियंत्रण से बचने वाली जालसाजियों के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक महत्वपूर्ण है।
- उन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के उद्देश्य से लेखापरीक्षा के प्रति संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ को प्राप्त करना, जो उक्त परिस्थितियों में उपयुक्त है। कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(3)(i) के अंतर्गत, हम अपने इस मत को भी अभिव्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रणों के लिए कुशलतापूर्वक कार्य कर रही है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा किए गए प्रकटनों के संबंध में लेखांकन अनुमानों और प्रकटनों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के संबंधित आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाना कि घटनाओं और परिस्थितियों के संबंध में तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है, जो गोइंग कंसर्न के रूप में निरंतर कार्यरत रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण शंका उत्पन्न करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है तो हमें उन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमारे मत को आशोधित करना। हमारा निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि को प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं और स्थितियां कंपनी के गोइंग कंसर्न के रूप में निरंतरता को बंद कर सकती है।
- प्रकटन सहित वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन, और अवलोकन कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्रस्तुत करते हैं।

भौतिकता, इंड-एस वित्तीय विवरणों में दुर्विवरण का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभवना उत्पन्न करता है कि वित्तीय विवरणों के युक्तिसंगत ज्ञानधारक उपयोगकर्ता के

आर्थिक निर्णय, प्रभावित हो सकते हैं। हम निम्नलिखित में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने हेतु; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए दुर्विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय, तथा महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम ये भी उल्लेख करते हैं कि स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ, समेकित की गई विवरण के शासन को प्रभारित करने और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों को सम्प्रेषित करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता के संबंध में युक्तिसंगत हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय को प्रभारित करते हैं।

शासन के साथ आरोप लगाए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे और इसलिए वे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण का प्रस्ताव नहीं देता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों का यथोचित परिणाम अपेक्षित होगा।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 के उप अनुच्छेद (11) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा यथापेक्षित, उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण अनुगनक-क के रूप में दे रहे हैं।
2. अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) द्वारा यथापेक्षित हम उल्लेख करते हैं कि:
 - (क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे व प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।
 - (ख) हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा बही खातों का उचित रखरखाव किया है जैसा बही खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

- (ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र और अन्य वृहत आय सहित लाभ-हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी परिवर्तन विवरण, बही खातों से मेल खाते हैं।
- (घ) हमारी राय में उपर्युक्त इंड एस वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित, इस अधिनियम के अनुच्छेद-133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।
- (ङ.) सरकारी कंपनी होने के नाते, अधिनियम की धारा-164(2) का प्रावधान भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार लागू नहीं है।
- (च) कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रण कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और इस संबंध में "अनुबंध-ख" में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।
- (छ) सरकारी कंपनी होने के नाते, अधिनियम की धारा-197 का प्रावधान भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार लागू नहीं है।
- (ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के नियम-11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:
- i. कंपनी का कोई मुकदमा लंबित नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर रहा हो।
 - ii. डेरिवेटिव संविदाओं सहित कंपनी का कोई दीर्घकालीन संविदा नहीं है जिसके लिए किसी प्रकार की सामग्रीगत भावी हानियां थीं।
 - iii. ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता हो।

- iv. (क) प्रबंधन ने उल्लेख दिया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई धन उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार से कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या इकाई में, विदेशी संस्था (मध्यस्थों) सहित, इस तथ्य के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को उधार देगा या निवेश करेगा या कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से (अंतिम लाभार्थी) की पहचान की गई संस्थाएं या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान नहीं करती हैं।
- (ख) प्रबंधन ने उल्लेख किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या इकाई से विदेशी संस्था (फंडिंग पार्टियां) सहित कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। इस तथ्य के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी (अंतिम लाभार्थी) या वित्तपोषण पक्ष की ओर से या प्रदान करेगी, अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी नहीं दी है।
- (ग) निष्पादित की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें उक्त परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ड.) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुतीकरण, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण दुर्विवरण नहीं है।
- v. कंपनी ने इस अवधि के दौरान तथा इस रिपोर्ट की तिथि तक किसी अंतिम या अंतरिम लाभांश का प्रस्ताव, घोषणा या भुगतान नहीं किया है, इसलिए, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
3. अधिनियम के अनुच्छेद 143(5) द्वारा अपेक्षित अनुसार और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उप-निदेशकों के अनुसार हम सूचित करते हैं कि:

क्र.सं	निदेश	लेखापरीक्षा का उत्तर
(i)	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया की प्रणाली विद्यमान है? यदि हां तो, वित्तीय परिणामों, यदि कोई हो, सहित लेखों की सत्यनिष्ठ पर आईटी	कंपनी में सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया के लिए टेलीप्रणाली विद्यमान है। कोई भी लेखांकन संव्यवहार आईटी प्रणाली से बाहर नहीं किया जाता है।

	प्रणाली के बाहर लेखंकन संव्यवहारों की प्रक्रिया को क्रियान्वित किया या है, कृपया स्पष्ट करें।	
(ii)	कृपया बताएं कि क्या वहां ऋण/उधार/ब्याज आदि, यदि कोई हो, में छूट/बट्टा खाता डाले जाने पर कोई प्रतिबंध है। यदि हां तो इसके वित्तीय प्रभाव को स्पष्ट करें।	जी नहीं, कंपनी में, ऋण के पुनर्भुगतान की कंपनी की अक्षमता के कारण देनदारों द्वारा कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋणों की पुनर्संरचना या ऋण/उधार/ ब्याज आदि में छूट/बट्टा खाता डाले जाने को कोई मामला नहीं है।
(iii)	क्या केन्द्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधियां प्राप्त/प्राप्य हैं जिनका उनका उनकी शर्तों और निबंधनों के अनुसार लेखांकन/उपयोग किया गया है? विपथन के मामलों की सूची बताएं।	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे अभिलेखों की जांच के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से किसी विशिष्ट योजना के लिए कोई धनराशि प्राप्त/प्राप्य नहीं हुई है।

कृते भसीन राघवन एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म का पंजीकरण नं. 000197एन

(साझेदार)

सदस्यता संख्या 093458

यूडीआईएन - 22093458AJLFGA7933

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 17.05.2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-क

(इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड की समतिथि रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट अनुभाग के तहत पैराग्राफ-1 में संदर्भित)

हमारी सर्वोत्तम जानकारी और कंपनी द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा लेखापरीक्षा की सामान्य प्रक्रिया में हमारे द्वारा लेखाबहियों और रिकार्डों की जांच के अनुसार, हम उल्लेख करते हैं कि:-

- (i) (क) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र, उपकरण और अमूर्त संपत्ति की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
 (ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया गया था। सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए उचित है। इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गई हैं।
 (ग) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी भी संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है, इसलिए, आदेश के खंड 3 (i) घ के तहत रिपोर्टिंग, कंपनी पर लागू नहीं होती है।
 (घ) कंपनी के पास वर्ष के दौरान कोई अचल संपत्ति नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3(i)(ग), और 3(i)(ड.) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (ii) (क) कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं हैं और इस प्रकार इस आदेश का खंड 3(ii)क कंपनी पर लागू नहीं है।
 (ख) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल मिलाकर 5 करोड़ रूपए से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए, खंड 3(ii)(ख) का आदेश लागू नहीं है।
- (iii) कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है और ना ही कंपनियों, फर्मों या कोई अन्य पक्षों को सीमित देयता भागीदारी के लिए रक्षित या अरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान किया है, इसके परिणामस्वरूप, आदेश का खंड 3(iii)(क)(ख)(ग)(घ) और (ड.) लागू नहीं होता है।
- (iv) कंपनी ने, कोई ऋण प्रदान नहीं किया है, निवेश नहीं किया है और कोई गारंटी या प्रतिभूति नहीं दी है, इसके परिणामस्वरूप, आदेश का खंड 3(iv), कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- (v) कंपनी ने कोई जमा या राशि स्वीकार नहीं की है, जिसे जनता द्वारा जमा कराई गई जमाराशि माना जाता है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(v) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

- (vi) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के प्रावधानों के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार लागत रिकॉर्ड बनाए रखा है। हालांकि, हमें ऐसे खातों और अभिलेखों की न तो कोई विस्तृत जांच करने की आवश्यकता है और न ही कोई विस्तृत जांच की गई है।
- (vii) सांविधिक देयों के संबंध में:
- (क) हमारे मतानुसार, कंपनी आयकर, वस्तु और सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर और उस पर लागू होने वाले अन्य भौतिक सांविधिक देय सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि को उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा करने में नियमित रही है। माल और सेवाकर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री-कर के संबंध में कोई भी निर्विवाद राशि और कोई अन्य सांविधिक बकाया देय नहीं है जो दिनांक 31 मार्च 2022 तक देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थे।
- (ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की जांच के अनुसार, माल एवं सेवाकर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धित कर, उपकर के संबंध में कोई राशि देय नहीं है, जो किसी भी विवाद के कारण दिनांक 31 मार्च, 2022 तक जमा नहीं किया गया है।
- (viii) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर पूर्व में रिकार्ड न की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं की गई है, जिसे कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किया गया हो।
- (ix) (क) कंपनी द्वारा लिए गए ऋण और उधार के संबंध में, लेखों की हमारी समीक्षा के आधार पर और प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान ऋण या अन्य उधार के भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।
- ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा स्वैच्छिक रूप से चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- ग) सावधि ऋणों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया गया था, जिनके लिए वे लिए गए थे।
- घ) कंपनी के तुलनपत्र की समग्र जांच के आधार पर कंपनी के वित्तीय विवरण की समग्र जांच पर, कंपनी द्वारा अल्पकालीन प्रयोजन हेतु प्राप्त की गई किसी भी धनराशि का उपयोग दीर्घकालीन प्रयोजन हेतु नहीं किया गया है।

ड.) कंपनी के वित्तीय विवरण की समग्र जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने इस अधिनियम में परिभाषित अनुसार अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।

च) कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों में धारित प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर वर्ष के दौरान कोई ऋण प्राप्त नहीं किया है इसलिए, आदेश के खंड 3 (ix)(च) के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है।

(X) क) कंपनी ने वर्ष के दौरान इनीशियल पब्लिक आफर या भावी पब्लिक आफर (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख) इस अवधि के दौरान, कंपनी ने शेयरों या पूरी तरह या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई प्रेफरेंशियल आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। इसलिए आदेश के खंड 3(x)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xi) क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में केंद्रीय सरकार के साथ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

ग) वर्ष के दौरान (और इस रिपोर्ट की तिथि तक) कंपनी द्वारा कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं की गई।

(xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इस प्रकार, आदेश के खंड 3 (xii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो और लागू लेखांकन मानकों द्वारा यथापेक्षित वित्तीय विवरणों में विवरण का प्रकटन किया गया है।

(xiv) क) हमारे मतानुसार और हमारे जांच के आधार कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।

ख) हमने लेखापरीक्षा की अवधि के लिए अब तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं

(xvi) (क) हमारे मतानुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए, आदेश के खंड 3 (xvi)(क) और (ख) लागू नहीं हैं।

(ख) प्रदान की गई सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर हमारे मतानुसार, कंपनी, कंपनी ऐसे व्यवसाय में संलिप्त नहीं है, जहां कंपनी को प्रमुख निवेश कंपनी के रूप में पंजीकृत करने के आवश्यकता हो और समूह के भीतर कोई प्रमुख निवेश कंपनी नहीं है (प्रमुख निवेश कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 में परिभाषित अनुसार), इसलिए, आदेश के खंड 3(xvi)(ग) तथा (घ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xvii) कंपनी को हमारी लेखापरीक्षा द्वारा शामिल वर्ष के दौरान और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं हुआ है।

(xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

(xix) वित्तीय परिसंपत्तियों के वित्तीय अनुपात, उनकी आयु, उनकी वसूली की संभावित तिथि तथा वित्तीय देयताओं के भुगतान, अन्य संलग्न वित्तीय विवरणों और निदेशक मंडल और प्रबंधन की योजना के संबंध में हमारे ज्ञान के आधार पर और अनुमानों के पक्ष में साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिसके कारण हमें विश्वास करना पड़े कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख को अपनी मौजूदा देयताओं को तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा करने में सक्षम नहीं है, को दर्शाते हुए लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि को कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान नहीं है। हालांकि, हम उल्लेख करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे उल्लेख करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा निष्पादित कर दिया है।



xx. (क) कंपनी अधिनियम की धारा-135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची-VII में विनिर्दिष्ट निधि में हस्तांतरण की आवश्यकता के लिए चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई अव्ययित राशि नहीं है। तदनुसार आदेश के खंड 3(xx)क के तहत रिपोर्टिंग, इस वर्ष के लिए लागू नहीं है।

(ख) वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई राशि खर्च नहीं की गई है।

xxi. कंपनी को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आदेश के खंड (xxi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कृते भसीन राघवन एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म का पंजीकरण नं. 000197एन

(साझेदार)

सदस्यता संख्या 093458

यूडीआईएन - 22093458AJLFGA7933

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 17.05.2022

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध-ख।

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के खंड-143 के उप खंड-3 के खंड-(i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2022 को इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं - कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और चूकों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रूप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अशिकल्प, क्रियान्वयन का अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अशिकल्पित करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट ("दशानिर्देश नोट") के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे शरतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं - वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मौजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अशिकल्पित प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं (1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्योरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रूप से प्रदर्शित करता हैं। (2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रूप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं। (3) कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रूप से प्रशवित कर सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, चूक और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रतिक्रिया के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की उपलब्धि पर उपर्युक्त उल्लिखित सामग्रीगत खामियों के प्रभाव/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सही सामग्रीगत पहलुओं में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को अनुरक्षित किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नष्ट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2022 से कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

कृते भसीन राघवन एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म का पंजीकरण नं. 000197एन

(साझेदार)

सदस्यता संख्या 093458

यूडीआईएन - 22093458AJLFGA7933

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 17.05.2022

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

सीआईएन - U74999DL2018GOI334028

31 मार्च 2022 तक को तुलनपत्र

(रूपए लाख में)

विवरण	नोट	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
I. संपत्ति					
1 गैर तात्कालिक परिसंपत्ति					
(क) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	3	0.39		0.92	
(ख) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य		-		-	
(ग) निवेश सम्पत्ति		-		-	
(घ) अमूर्त संपत्ति		-		-	
(ङ.) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति		-		-	
(च) उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति		-		-	
(छ) वित्तीय संपत्ति	4				
(i) निवेश		-		-	
(ii) ऋण	4.1	1.05		-	
(iii) अन्य	4.2	80,729.57		40,826.36	
(ज) आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	5	12.32		2.54	
(झ) अन्य गैर - चालू परिसंपत्ति		-		-	
कुल गैर - चालू संपत्तियां			80,743.33		40,829.82
2 वर्तमान संपत्ति					
(क) दरसूची		-		-	
(ख) वित्तीय संपत्ति	6				
(i) निवेश		-		-	
(ii) व्यापार प्राप्त्य	6.1	233.35		4,429.14	
(iii) नकद और नकद समकक्ष	6.2	113.70		37.69	
(iv) अन्य बैंक शेष	6.3	-		-	
(v) ऋण	6.4	0.60		0.20	
(vi) अन्य	6.5	3,480.74		23,025.58	
(ग) चालू कर संपत्ति (शुद्ध)	7	437.91		1,001.89	
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	8	8,308.96		9,610.43	
(ङ.) बिक्री के लिए आयोजित संपत्ति		-		-	
कुल चालू परिसंपत्तियां			12,575.26		38,104.93
कुल परिसंपत्तियां			93,318.59		78,934.75
II. इक्विटी और देयताएं					
1 इक्विटी					
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	9	1,000.00		1,000.00	
(ख) अन्य इक्विटी	10	22,990.32		12,633.52	
कुल इक्विटी			23,990.32		13,633.52
2 देयताएं					
(i) गैर मौजूदा देनदारियां					
(क) वित्तीय देनदारियां	11				
(i) उधार	11.1	52,053.62		57,118.14	
(ii) व्यापार देय					
- सूक्ष्म उद्यमों का कुल बकाया		-		-	
और छोटे उद्यम		-		-	
- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया		-		-	
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	11.2	-		-	
(ख) प्रावधानों		-		-	
(ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)		-		-	
(घ) अन्य गैर-चालू देयताएं		-		-	
कुल गैर-चालू देयताएं			52,053.62		57,118.14

(ii) वर्तमान देनदारियां					
(क) वित्तीय देनदारियां	12				
(i) उधार	12.1	6,896.38		1,831.86	
(ii) व्यापार देय	12.2				
- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		-		-	
-सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को छोड़कर लेनदारों की कुल बकाया राशि		9,278.02		227.79	
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	12.3	875.10		1,097.89	
(ख) अन्य चालू देनदारियां	13	225.15		5,025.55	
(ग) प्रावधानों		-		-	
(घ) वर्तमान कर देयता (शुद्ध)		-		-	
कुल चालू देनदारियाँ			17,274.65		8,183.09
कुल शेयर और देनदारियां					
			93,318.59		78,934.75
III. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार	1 - 2				
IV. वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले नोट वाले नोट	3 - 40				

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते भसीन राघवन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएल- 000197एन

ह/-
विक्रम सिंह
साझेदार
स.सं: 093458

ह/-
(बी.मुगुंधन)
निदेशक
डीआईएन: 08517013

कृते इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
ह/-
(मसूद अहमद)
निदेशक
डीआईएन: 09008553

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 17.05.2022
यूडीआईएन - 22093458AJLFGA7933

ह/-
(नितेश कुमार जी.असाठी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ह/-
(राज कुमार)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-
(अर्पिता बासु राँय)
कंपनी सचिव

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

सीआईएन - U74999DL2018GOI334028

31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि विवरण

(रूपए लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
I.	आय :			
	संचालन से राजस्व	14	39,903.21	48,761.53
II.	अन्य आय	15	67.53	42.22
III.	कुल आय (I + II)		39,970.74	48,803.75
IV.	व्यय :			
	परियोजना व्यय	16	27,569.74	46,787.21
	अन्य व्यय	16	1.49	1.20
	कर्मचारी लाभ व्यय	17	164.31	186.14
	वित्त लागत	18	4,205.87	1,786.53
	मूल्यहास, परिशोधन और हानि	19	0.53	0.45
	कुल व्यय (IV)		31,941.94	48,761.53
V.	असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ (III - IV)		8,028.80	42.22
VI.	असाधारण मदें		-	-
VII.	कर पूर्व लाभ (V + VI)		8,028.80	42.22
VIII.	कर व्यय:			
	(1) वर्तमान कर			
	- अवधि के लिए		2,022.28	11.23
	- पिछले वर्षों के लिए (शुद्ध)		0.50	0.53
	(2) आस्थगित कर (शुद्ध)		-9.78	2.92
	कुल कर व्यय		2,013.00	14.68
IX.	निरंतर संचालन से वर्ष के लिए लाभ (VII-VIII)		6,015.80	27.54
X.	अन्य व्यापक आय			

	क (i) मदें जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगे		-	-
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
	ख (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
			-	-
XI	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (IX + X) (लाभ/(हानि) और वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, कर को घटाकर)		6,015.80	27.54
XII	आय प्रति इक्विटी शेयर: (जारी संचालन के लिए)			
	(1) मूल	29	60.16	0.28
	(2) विलयित		60.16	0.28
	अंकित मूल्य प्रति इक्विटी शेयर		10.00	10.00
XIII	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार	1 - 2		
	वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले	3 -		
XIV	नोट वाले नोट	40		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

कृते भसीन राघवन एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएल- 000197एन

ह/-

विक्रम सिंह

साझेदार

स.सं: 093458

ह/-

(बी.मुगुंथन)

निदेशक

डीआईएन: 08517013

ह/-

(मसूद अहमद)

निदेशक

डीआईएन: 09008553

ह/-

(नितेश कुमार जी.असाटी)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ह/-

(राज कुमार)

मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-

(अर्पिता बासु राँय)

कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 17.05.2022

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

सीआईएन - U74999DL2018GOI334028

31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण

(रूपए लाख में)

विवरण		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालनिक गतिविधियों से नकद प्रवाह			
कराधान से पहले शुद्ध लाभ		8,028.80	42.22
के लिए समायोजन:			
मूल्यहास, परिशोधन और हानि संपत्ति की बिक्री पर हानि (शुद्ध)		0.53	0.45
ऋण पर ब्याज व्यय		4,201.74	1,772.73
ब्याज आय		(15.68)	(42.22)
चालू / गैर-चालू संपत्तियाँ और देनदारियाँ से पहले परिचालन लाभ	(1)	12,215.39	1,773.18
के लिए समायोजन:			
व्यापारिक प्राप्तियों/वित्तीय आस्तियों-ऋणों में कमी/(वृद्धि)		4,195.79	7,032.09
अन्य संपत्तियों और वित्तीय संपत्तियों में कमी / (वृद्धि)		(19,058.43)	(27,174.64)
व्यापार देय में (कमी)/वृद्धि		9,050.23	(16,270.63)
अन्य देनदारियों, वित्तीय देनदारियों और प्रावधानों में (कमी)/वृद्धि		(5,052.46)	(4,632.22)
	(2)	(10,864.87)	(41,045.41)
संचालन से उत्पन्न नकदी	(1+2)	1,350.52	(39,272.23)
प्रदत्त आयकर		(1,458.80)	(180.24)
प्रचालनिक गतिविधियों से शुद्ध नकद	(क)	-108.28	-39,452.47
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
सीडब्ल्यूआईपी सहित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद		-	(0.48)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की बिक्री		-	-
प्राप्त ब्याज		15.77	42.38
(निवेश) / बैंक जमा की परिपक्वता (3 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली)		-	-
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद	(ख)	15.77	41.90
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
जारी इक्विटी शेयर पूंजी		-	-
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से ऋण		3,448.00	40,850.00
ऋण पर ब्याज व्यय		(4,172.48)	(1,772.73)
बैंक ऑफ बडौदा से ऋण		58,950.00	-
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को ऋण की चुकोती		(58,950.00)	-
बैंक ऑफ बडौदा से ऋण की चुकोती		(3,448.00)	-
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से ब्याज मुक्त ऋण की प्राप्ति		4,341.00	-
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद	(ग)	168.52	39,077.27
विदेशी मुद्रा नकद और नकद समकक्षों के अंतरण पर विनिमय अंतर का प्रभाव	(घ)	-	-
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि / (कमी)	(क-ख-ग-घ)	76.01	-333.30
नकद और नकद समतुल्य (आरंभिक)	(ड)		
उपलब्ध नकद		-	-
बैंकों के पास शेष राशि:			
- चालू खातों पर		6.69	1.04
- फ्लेक्सी खाते		31.00	29.00
- 3 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशियाँ		-	-
		37.69	340.95
नकद और नकद समतुल्य (समापन)	(च)		
अपलब्ध नकद		-	-
बैंकों के पास शेष राशि:			
- चालू खातों पर		113.70	6.69
- फ्लेक्सी खाते		-	31.00
- 3 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली जमाएँ		-	-
		113.70	37.69
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि / (कमी)	(च-ड)	76.01	-333.30

31 मार्च 2022 तक वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देनदारियों का समाधान

(रूपए लाख में)

विवरण		इरकॉन से त्रण	बैंक ऑफ बड़ोदा से ऋण
1 अप्रैल, 2021 तक शेष		58,950.00	-
गैर नकद परिवर्तन के कारण		-	-
अर्जित ब्याज		18.77	10.49
नकदी प्रवाह:		-	-
पुनर्भुगतान		-58,950.00	-3,448.00
प्राप्तियां		3,448.00	58,950.00
31 मार्च 2022 को शेष		3,466.77	55,512.49

31 मार्च 2021 तक वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देनदारियों का समाधान

(रूपए लाख में)

विवरण		इरकॉन से त्रण	बैंक ऑफ बड़ोदा से ऋण
1 अप्रैल, 2020 तक शेष		18,100.00	-
गैर नकद परिवर्तन के कारण			
अर्जित ब्याज			
नकदी प्रवाह:		-	-
पुनर्भुगतान		-	-
प्राप्तियां		40,850.00	-
31 मार्च 2021 को शेष		58,950.00	-

- नोट: 1. उपरोक्त रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ प्रवाह को भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) - 7 में निर्धारित "अप्रत्यक्ष विधि" के तहत तैयार किया गया है।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े नकदी के बहिर्वाह को दर्शाते हैं।
3. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां आवश्यक हो, पुनर्समूहित/पुनः व्यवस्थित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
4. नोट 6.2 में निर्धारित और प्रतिबंधित शेष राशि का उल्लेख किया गया है।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कुते इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

कुते भसीन राघवन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएल- 000197एन

ह/-
विक्रम सिंह
साझेदार
स.सं: 093458

ह/-
(बी.मुंगुथन)
निदेशक
डीआईएन: 08517013

ह/-
(मसूद अहमद)
निदेशक
डीआईएन: 09008553

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 17.05.2022
यूडीआईएन - 22093458AJLFGA7933

ह/-
(नितेश कुमार जी.असाटी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ह/-
(राज कुमार)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-
(अर्पिता बासु राँय)
कंपनी सचिव

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

सीआईएन - U74999DL2018GOI334028

31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(रूपए लाख में)

विवरण	राशि
01 अप्रैल, 2021 तक शेष	1,000
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
1 अप्रैल, 2021 को पुनर्निर्धारित शेष राशि	1,000
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2022 तक शेष	1,000

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(रूपए लाख में)

विवरण	राशि
01 अप्रैल, 2020 तक शेष	1000
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
01 अप्रैल, 2020 को पुनर्निर्धारित शेष	1,000
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2021 तक शेष	1,000

ख. अन्य इक्विटी

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(रूपए लाख में)

विवरण	आरक्षित निधि और अतिरेक			अन्य वृहत आय	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आमदनी	प्रस्तावित इक्विटी		
विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण पर विनिमय अंतर					
1 अप्रैल, 2021 तक शेष	-	56.52	12,577.00	-	12,633.52
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन					
1 अप्रैल 2021 को पुनर्निर्धारित शेष राशि	-	56.52	12,577.00	-	12,633.52
वर्ष हेतु लाभ	-	6,015.80	-	-	6,015.80
वर्ष के दौरान जमा	-	-	4,341.00	-	4,341.00
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा अंतरण	-	-	-	-	-
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	-	6,015.80	4,341.00	-	10,356.80
प्रदत्त ब्याज	-	-	-	-	-
लाभंश वितरण कर	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 तक शेष	-	6,072.32	16,918.00	-	22,990.32

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(रूपए लाख में)

विवरण	आरक्षित निधि और अतिरेक			अन्य वृहत आय	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आमदनी	प्रस्तावित इक्विटी		
विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण पर विनिमय अंतर					
1 अप्रैल, 2020 तक शेष	-	28.97	12,577.00	-	12,605.97
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन					
1 अप्रैल 2020 को पुनर्निर्धारित शेष	-	28.97	12,577.00	-	12,605.97
वर्ष हेतु लाभ	-	27.54	-	-	27.54
वर्ष के दौरान जमा	-	-	-	-	-
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा अंतरण	-	-	-	-	-
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	-	27.54	-	-	27.54
प्रदत्त ब्याज	-	-	-	-	-
लाभंश वितरण कर	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2021 तक शेष	-	56.52	12,577.00	-	12,633.52

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते भसीन राघवन एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएल- 000197एन

ह/-

विक्रम सिंह

साझेदार

स.सं: 093458

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 17.05.2022

यूडीआईएन - 22093458AJLFGA7933

ह/-

(बी.मुगंथन)

निदेशक

डीआईएन: 08517013

ह/-

(नितेश कुमार जी.असाटी)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कृते इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

ह/-

(मसूद अहमद)

निदेशक

डीआईएन: 09008553

ह/-

(अर्पिता बासु राँय)

कंपनी सचिव

ह/-

(राज कुमार)

मुख्य वित्त अधिकारी

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

1. कंपनी का परिचय

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉन वीकेईएल) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और यह कंपनी भारत में स्थित है। इरकॉन वीकेईएल (सीआईएन U74999DL2018GOI33402) का निगमन भारत में लागू कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत किया गया है। कंपनी उस समय अस्तित्व में आई जब "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)" द्वारा रियायत समझौते में नियमों और शर्तों के अनुसार इरकॉन को गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के चरण- VI के तहत हाइब्रिड वार्षिकी मोड (चरण I-क- पैकेज II) के तहत किमी 323.00 से किमी 355.00 तक (वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के सपना से पेद्रा खंड तक) का आठ लेन वाला वडोदरा किम एक्सप्रेसवे का काम सौंपा गया था। "अनुरोध प्रस्ताव" के प्रावधानों के अनुसार, चयनित बोलीदाता 'इरकॉन' ने दिनांक 16 मई, 2018 को शामिल इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड के नाम से एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का गठन किया है। तदनुसार, इरकॉन वीकेईएल 1865 करोड़ (बोली परियोजना लागत) परियोजना मूल्य की राशि के लिए 25 मई, 2018 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बोली परियोजना लागत का 40%, मूल्य सूचकांक गुणक के लिए समायोजित, निर्माण अवधि के दौरान 8% प्रत्येक की 5 समान किशतों में देय और देय और रियायतग्राही (इरकॉन वीकेईएल) को देय होगा। शेष बोली परियोजना लागत, मूल्य सूचकांक गुणक के लिए समायोजित, अनुबंध के खंड 23.6 के प्रावधानों के अनुसार सीओडी के 180वें दिन से शुरू होने वाली 30 द्विवार्षिक किशतों में देय और भुगतानयोग्य होगी, जो संचालन अवधि के दौरान वार्षिकी भुगतान है। यह परियोजना वार्षिकी पैटर्न के तहत है और वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) से 15 वर्षों के लिए इरकॉन वीकेईएल के साथ परिचालन में रहेगी। वार्षिकी मॉडल के तहत उसी का भुगतान समझौते के अनुसार विशिष्ट लक्ष्य की उपलब्धि पर देय होगा। रियायत की अवधि एनएचएआई द्वारा अधिसूचित अनुसार नियत तारीख से शुरू होने वाली 730 दिन है अर्थात् दिनांक 31 जनवरी, 2019 को। एनएचएल ने 180 दिनों का समय विस्तार (ईओटी) प्रदान किया है। स्वतंत्र इंजीनियर (आईई) ने 30.05.2022 तक समय विस्तार (ईओटी) की सिफारिश की है, जो एनएचएआई के पास प्रक्रियाधीन है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सी-4, डिस्ट्रिक्ट केंद्र, साकेत, नई दिल्ली- 110017 में स्थित है।

कंपनी की प्रस्तुतीकरण और क्रियात्मक मुद्रा भारतीय रूपए (आईएनआर) है। वित्तीय विवरण में आंकड़ों को दो दशमलव तक राउंड ऑफ करते हुए लाख रूपए में प्रस्तुत किया गया है केवल प्रति शेयर डॉटा और अन्यथा उल्लेख किया गया हो, को छोड़कर।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों को दिनांक 17.05.2022 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी क निदेशक मंडल द्वारा जारी किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 तैयार करने का आधार

कम्पनी के वित्तीय विवरणों का निर्माण कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (समय समय पर यथासंशोधित) के नियम 3 के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 (इंड एएस अनुपालन अनुसूची-III) की अनुसूची-III के भाग-11, वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुसरण करके किया गया है।

वित्तीय विवरणों का निर्माण गोइंग कंसर्न आधार पर प्रोद्भवन लेखांकन प्रणाली का अनुसरण करके किया गया है। कम्पनी ने परिसम्पतियों एवं देयताओं के लागत आधार के लिए ऐतिहासिक लागत को स्वीकार किया है जो उचित मूल्य पर मापन की गई निम्नलिखित परिसम्पतियों एवं देयताओं के अतिरिक्त है :-

- प्रावधान, जहां धन का समय मूल्य सामग्रीगत है वहां मापन वर्तमान मूल्य पर किया गया है।
- कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन उचित मूल्य पर किया गया है।
- परिभाषित लाभ योजना तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ।

2.2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण वित्तीय लेखांकन नीतियों का सार नीचे प्रस्तुत है। इन महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को इस वित्तीय विवरण में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए निरंतर रूप से लागू किया गया है।

2.2.1 चालू बनाम गैर-चालू वर्गीकरण

कम्पनी द्वारा तुलन पत्र में परिसम्पतियों एवं देयताओं की प्रस्तुति चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर गई है।

- किसी परिसम्पति को चालू तब माना जाता है जब :
- सामान्य प्रचालन क्रम में बेची जानी हो अथवा बेचने के लिए निर्धारित हो अथवा उपयोग

किया जाना हो,

- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है,
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर बेची जानी संभावित हो, या
- यदि विनिमय अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह में किसी देयता के निपटान के लिए उपयोग के लिए नहीं है तो रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

कम्पनी ने अन्य सभी परिसम्पतियों का वर्गीकरण गैर-चालू परिसम्पति के रूप में किया है।

कोई देयता चालू तब होती है जब :

- उसका समाधान सामान्य प्रचालन क्रम में किया जाना हो,
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है,
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर समाधान की जानी संभावित हो
- जिसके प्रति रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के पश्चात कम से कम बारह माह के लिए किसी देयता के समाधान को आस्थगित करने का अप्रतिबंधित अधिकार प्राप्त न हो।

कम्पनी ने अन्य सभी देयताओं का वर्गीकरण गैर-चालू देयता के रूप में किया है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण गैर-चालू परिसम्पति एवं देयताओं के रूप में किया गया है।

प्रचालन क्रम प्रस्संकरण के लिए अधिगृहित गई परिसम्पतियों एवं रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य से होने वाली प्राप्ति के मध्य का समय काल है। कम्पनी ने परिचालन क्रम के लिए 12 माह निश्चित किए हैं।

2.2.2 सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी मद से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना हो तथा प्रत्येक मद का मापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता हो। सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है।

परिसम्पति की लागत में शामिल है :

- क) क्रय मूल्य, किसी व्यापार छूट एवं रियायत का निवल।
- ख) ऋण लागतें यदि पूंजीयन मापदंड पूरे किए गए हैं।
- ग) परिसम्पति के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष सम्बद्ध लागत जिसका वहन परिसम्पति को प्राप्त करने एवं निर्धारित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किया गया है।
- घ) निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष निर्माण के भाग के रूप में पूंजीयन किए गए आनुषंगिक व्यय जो निर्माण से संबंधित व्यय से प्रत्यक्ष संबंधित है अथवा उसके संबंध में आनुषंगिक हैं।
- ड) स्वीकृति मापदंड पूरे किए जाने पर मदों को अलग-अलग करने तथा हटाए जाने तथा स्थल नवीकरण करने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य।

फ्रीहोल्ड भूमि का वहन ऐतिहासिक लागत पर किया गया है।

अनुवर्ती मापन

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का अनुवर्ती मापन संचित मूल्यह्रास एवं संचित अक्षमता हानियों, यदि कोई हों, के साथ लागत पर किया जाता है। अनुवर्ती व्यय का पूंजीयन तब किया जाता है जब ऐसे व्यय से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभवना हो तथा व्यय की लागत का मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो।

दीर्घकालिक निर्माण परियोजना के लिए प्रतिस्थापन, प्रमुख जांच, महत्वपूर्ण पूंजी की मरम्मत तथा ऋण लागतों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

मशीनरी के अतिरिक्त पूंजी का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

मूल्यह्रास एवं उपयोज्यता काल

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास, बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त फ्रीहोल्ड भूमि एवं पट्टाधारित भूमि को छोड़कर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में निर्दिष्ट परिसम्पतियों के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा आधार पर किया गया है।

विवरण	उपयोगी जीवनकाल (वर्ष)
भवन / फ्लैट आवासीय / गैर-आवासीय	60
संयंत्र एवं मशीनरी	8-15
सर्वेक्षण उपकरण	10
कम्प्यूटर्स	3-6
कार्यालय उपकरण	5 -10
फर्नीचर एवं जुड़नार	10

कारवां, कैम्प एवं अस्थाई शैड	3-5
वाहन	8-10

अवधि के दौरान आनुपातिक आधार पर परिसम्पति के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से निपटान किए जाने की तिथि तक सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण में किए गए आवर्धन/घटाव का मूल्यहास आनुपातिक आधार पर किया गया है।

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के प्रत्येक भाग का मूल्यहास, यदि भाग मद की लागत के योग के संबंध में महत्वपूर्ण है तथा ऐसे भाग का उपयोज्यता काल शेष परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल से भिन्न है, अलग से लागत पर किया गया है। मिआद मुक्त पट्टे पर प्राप्त की गई पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।

अवधि के दौरान अधिगृहित की गई सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, जिनकी अलग अलग लागत 5000/- रूपए है, का पूर्ण मूल्यहास निर्धारण के तौर पर 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ कर लिया गया है। तथापि, कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए गए मोबाइल फोन, उनके मूल्य को संज्ञान में लिए बिना, लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए गए हैं।

मूल्यहास विधियां, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उचित समझे जाने की स्थिति में उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-11 में किए गए उल्लेख के अनुसार "सामान्यतः किसी परिसम्पति का अवशेष मूल्य परिसम्पति की लागत से 5 प्रतिशत तक होता है।"

स्वीकृति समाप्ति

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद तथा उसके विशिष्ट भाग की प्रारंभिक स्वीकृति की समाप्ति उसका निपटान किए जाने तथा उसके निपटान से भविष्य में किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त न होने की संभावना होने पर किए जाते हैं। किसी परिसम्पति की स्वीकृति समाप्ति से प्राप्त होने लाभ अथवा हानि (निपटान से प्राप्त धन तथा परिसम्पति की वहन राशि के अंतर के अनुसार आकलन) को परिसम्पति की स्वीकृति समाप्त होने पर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.2.3 गैर-वित्तीय परिसम्पतियों का परिशोधन

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा मूल्यांकन करके किसी परिसम्पति को परिशोधित करने अथवा किसी परिसम्पति का वार्षिक परिशोधन परीक्षण किए जाने की अपेक्षा होने के संकेत ज्ञात

करके ऐसी परिसम्पतियों से वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाए जाते हैं। किसी परिसम्पति की वसूली योग्य राशि किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पत्ति यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य, निपटान की लागत को घटाकर, तथा उसके उपयोग मूल्य से अधिक होती है। यदि कोई परिसम्पति ऐसी रोकड़ उत्पत्ति यूनिट नहीं है जो परिसम्पतियों अथवा परिसम्पतियों के समूह से पूरी तरह भिन्न हो तो किसी वैयक्तिक परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण किए जाते हैं। जब किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पत्ति यूनिट की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो परिसम्पति को परिशोधित मान लिया जाता है तथा उसकी मालसूचियों के परिशोधन सहित उसकी वसूलीयोग्य राशि एवं परिशोधन हानि को ह्रासित करके लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति की जाती है।

उपयोग मूल्य के मूल्यांकन कर पूर्व छूट दर, जिससे धन के समय मूल्य के चालू बाजार मूल्यांकन एवं परिसम्पति से संबद्ध जोखिम प्रस्तुत होते हैं, के उपयोग से उसके वर्तमान को अनुमानित रोकड़ प्रवाह से कम करके किए जाते हैं।

साख के अतिरिक्त परिसम्पतियों का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को यह निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि क्या संज्ञान में ली गई अक्षमता हानि के संकेत अभी भी हैं अथवा वे कम हो गए हैं। यदि ऐसे संकेत होते हैं तो कम्पनी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पत्ति यूनिट की वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाती है। संज्ञान में ली गई अक्षमता हानि का व्युत्क्रमण तभी किया जाता है जब पहले आंकी गई अक्षमता हानि के पश्चात से परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के लिए लगाए गए अनुमानों में किसी प्रकार के परिवर्तन प्रतीत हों। व्युत्क्रमण सीमित होते हैं जिससे कि परिसम्पति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से न तो अधिक हो और न ही यह पूर्वावधि की परिसम्पति से संबंधित अक्षमता हानि न होने की स्थिति में निर्धारित की जाने वाली वहन राशि, मूल्यह्रास का निवल, से अधिक न हो सके। ऐसे व्युत्क्रमण लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किए जाते हैं।

2.2.4 राजस्व स्वीकृति

कंपनी इंड एएस-115 "ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व" के अनुसार निर्माण और प्रचालन और अनुरक्षण सेवाओं से राजस्व को स्वीकार कराती है और मापन करती है।

कंपनी एक ही समय या उसके आसपास के समय में समान ग्राहकों के साथ प्रविष्ट दो या अधिक संविदाओं को एक ही ग्राहक के संयोजित करती है और उन संविदाओं के लिए एकल संविदा के रूप में लेखांकन करती है, यदि संविदाएं एकल कामर्शियल उद्देश्य या एक संविदा

में भुगतान की जाने वाली निर्धारित राशि अन्य संविदा या वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य या निष्पादन पर निर्भर करती है के साथ पैकेज के रूप में एकल निष्पादन दायित्व के रूप में निष्पादित हो।

संव्यवहार मूल्य (इसमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं हैं) वह मूल्य है जो सेवाओं के प्रावधान के लिए ग्राहक के साथ अनुबंधित है। राजस्व को लेनदेन के मूल्य पर मापा जाता है जो निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित किया जाता है और इसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं है जैसे जीएसटी और इसे परिवर्ती धराशि के साथ समायोजित किया जाता है।

कंपनी की संविदा की प्रकृति मूल्य वृद्धि तथा तरलता क्षतियों सहित विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को उत्पन्न करती है।

संव्यवहार के मूल्य में किसी प्रकार का अनुवर्ती परिवर्तन संविदा में निष्पादन के दायित्वों के लिए उसी आधार पर आवंटित किया जाता है, जैसा संविदा के निर्धारण के समय होता है।

कंपनी परिवर्ती धनराशि हेतु राजस्व को स्वीकार करती है, जब यह संभावना है कि संचयी रूप से स्वीकृत राजस्व राशि में कोई महत्वपूर्ण व्युत्क्रम उत्पन्न नहीं होगा। कंपनी सर्वाधिक संभावित राशि पत्रति का प्रयोग करके परिवर्ती धनराशि के रूप में राजस्व अनुमान राशि को स्वीकार करेगी।

इसके परिणामस्वरूप, संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित राशि को राजस्व के रूप में या राजस्व की कमी के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिस अवधि में लेनदेन में परिवर्तन होता है।

कंपनी निष्पादन दायित्व को संतुष्ट करती है और समय पर राजस्व को स्वीकार है, यदि किसी भी निम्नलिखित मानदंडों को पूरा किया जाता है:

ख) ग्राहक साथ ही साथ इकाई निष्पादन के रूप में इकाई के कार्यनिष्पादन द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त और उपभोग करता है।

ग) इकाई का निष्पादन परिसंपत्ति का निर्माण या संवर्धन करता है (उदाहरण के लिए, प्रगतिरत कार्य) जिसे ग्राहक द्वारा परिसंपत्ति के निर्माण या वृद्धि पर नियंत्रित किया जाता है।

घ) इकाई का निष्पादन इकाई के लिए वैकल्पिक उपयोग हेतु परिसंपत्ति नहीं बनाता है और इकाई को आज तक पूरा किए गए कार्यनिष्पादन के भुगतान के लिए लागू करने

योग्य अधिकार है।

समय के साथ संतुष्ट कार्यनिष्पादन दायित्व के लिए, स्वीकृत राजस्व प्रगति का माप, प्रतिशत पूर्णता पद्धति का उपयोग करके, प्रदर्शन निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की ओर किया जाता है। प्रगति को आज की तारीख तक वास्तविक लागत के अनुपात के अनुसार कार्यनिष्पादन दायित्व के प्रति कुल अनुमानित लागत पर मापा जाता है। तथापि, जहाँ कंपनी किसी निष्पादन बाध्यता के परिणाम को यथोचित रूप से मापने में सक्षम नहीं है, लेकिन कंपनी को संभावना है कि वह निष्पादन दायित्व को पूरा करने में हुई लागत को वसूलेगी, कंपनी ऐसे समय तक किए गए लागतों की सीमा तक ही राजस्व को स्वीकार करेगी। यह यथोचित निष्पादन दायित्व के परिणाम को माप सकता है।

संविदागत आशोधनों को तब लेखांकित किया जाता है जब पर स्वीकृत संवर्धन, विलोपन या परिवर्तन किए गए हों।

संविदाओं में संशोधन के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा संविदा में शामिल की गई सेवाएं अलग-अलग हैं और मूल्य निर्धारण बिक्री मूल्य पर है या नहीं। शामिल की गई सेवाएं जो पृथक नहीं हैं, उनका संचयी कैच-अप आधार पर लेखांकित किया जाता है, जबकि जो सेवाएं पृथक होती हैं, उन्हें या तो पृथक संविदा के रूप में देखा जाता है, यदि अतिरिक्त सेवाओं का मूल्य स्टैंडएलोन विक्रय मूल्य पर या मौजूदा संविदा की समाप्ति के रूप में निर्धारित किया जाता है, यदि स्टैंडएलोन बिक्री मूल्य पर मूल्यांकित नहीं किया गया है।

क. संविदा शेष

- **संविदा परिसम्पतियां :** किसी संविदा परिसम्पति के संबंध में ग्राहक को प्रतिफल के विनिमय के प्रति माल एवं सेवाओं का अंतरण का अधिकार प्राप्त है। यदि कम्पनी द्वारा ग्राहक के लिए किया जाने वाला निष्पादन माल एवं सेवाओं के अंतरण के लिए ग्राहक द्वारा प्रतिफल दिए जाने से पूर्व अथवा प्रतिफल देय होने से पूर्व किया जाता है तो संविदा परिसम्पति की स्वीकृति अर्जित प्रतिफल, जो सशर्त है, के लिए की जाती है।
- **व्यापार प्राप्य :** प्राप्य से कम्पनी का किसी प्रतिफल के रूप में किसी राशि की प्राप्ति का अधिकार अभिप्रेत है जो किसी शर्त के बिना है (अर्थात् प्रतिफल के भुगतान से पूर्व केवल थोड़ा समय अपेक्षित होता है)।
- **संविदागत दायित्व :** संविदागत दायित्व वे दायित्व हैं जो कम्पनी को ग्राहक से प्राप्त

प्रतिफल (अथवा प्रतिफल की कोई देय राशि) के प्रति ग्राहक को माल एवं सेवाओं के अंतरण के लिए हैं। यदि कोई ग्राहक कम्पनी द्वारा माल एवं सेवाओं का अंतरण ग्राहक को करने से पूर्व प्रतिफल का भुगतान करता है तो संविदा दायित्व की पूर्ति भुगतान किए जाने पर अथवा भुगतान देय होने पर (जो भी पहले हो) होती है। संविदागत देयताओं की राजस्व में स्वीकृति तब की जाती है जबकि कम्पनी द्वारा संविदा के प्रति निष्पादन कर लिया जाता है।

ख. अन्य आय

लाभांश आय को उस समय स्वीकार किया जाता है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाए।

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का प्रयोग करके स्वीकार किया जाता है।

विविध आय को तब स्वीकार किया जाता है जब निष्पादन दायित्व संतुष्ट हो जाते हैं और संविदा की शर्तों के अनुसार आय प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

2.2.5 ऋण लागत

ऋण लागत में ब्याज एवं कम्पनी द्वारा निधियों की प्राप्ति के संबंध में व्यय की गई अन्य लागतें शामिल हैं। ऋण लागतों की सम्बद्धता प्रत्यक्ष रूप से किसी अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन से होती है जो परिसम्पत्ति की लागत के पूंजीयन के लिए आशित उद्देश्य से उपयोग अथवा बिक्री के लिए किसी निश्चित अवधि में पूर्ण अथवा निर्मित की जानी अपेक्षित होती है। अन्य सभी ऋण लागतों की स्वीकृति उनके व्यय के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में की गई है। ऋण लागतों में ऐसी विनिमय भिन्नता भी शामिल हैं जिन्हें ऋण लागतों के समायोजन के लिए उपयोग किया गया है।

2.2.6 कर

(क) चालू आय कर

चालू आय कर एवं देयताओं का मापन सम्बद्ध कर विनियमों के अंतर्गत कराधान प्राधिकरणों से संभावित प्राप्य अथवा चुकता की जाने वाली राशियों के अनुसार किया गया है। चालू कर निर्धारण अवधि के लिए देय आय कर के संबंध में कर देयता के रूप में किया गया है तथा इसका आकलन संबंधित कर विनियमों के अनुसार किया गया है। चालू आय कर की स्वीकृति लाभ एवं

हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। चालू कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है या इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है। प्रबंधन द्वारा आवधिक रूप से कर विवरणियों में अपनी उन स्थितियों के संबंध में आवधिक मूल्यांकन किए जाते हैं जिनके लिए लागू कर विनियम व्याख्या तथा यथा लागू स्थापित प्रावधानों के अध्याधीन हैं।

चालू कर परिसम्पतियों एवं कर दायित्वों का समंजन उन स्थितियों के लिए किया गया है जिनके संबंध में कम्पनी के पास समंजन का विधिक प्रवर्तनीय अधिकार है अथवा उनके संबंध में कम्पनी की मंशा निवल आधार पर उनका निपटान करने अथवा परिसम्पति की बिक्री करके एक साथ दायित्व का समाधान करने करने की है।

(ख) आस्थगित कर

आस्थगित कर देयताओं की स्वीकृति परिसम्पतियों एवं देयताओं के कर आधारों तथा रिपोर्टिंग तिथि को वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से उनकी वहन राशियों के मध्य अस्थाई भिन्नताओं के संबंध में देयता विधि के उपयोग से की गई है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों का मापन उन कर दरों पर किया गया है जिनका उपयोग उस अवधि के लिए किया जाना संभावित है जब परिसम्पति का निपटान अथवा दायित्व का समाधान कर दरों के आधार (तथा कर विधियों) पर किया गया था जो प्रवर्तित हैं अथवा रिपोर्टिंग तिथि को प्रवर्तित किए गए हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के बाह्य स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। आस्थगित कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है अथवा इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है।

आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और उस स्तर तक इसे कम किया जाता है जहां यह संभावना न रहे कि उपयोग की जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्ति या उसका भाग उपयुक्त कर लाभ के लिए उपलब्ध

होगा। स्वीकृत न की गई आस्थगित कर परिसम्पत्तियों का पुनः मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है तथा इनकी स्वीकृति उस स्तर तक की जाती है जिस स्तर तक यह संभावना बनी रहे कि इससे प्राप्त भावी करयोग्य लाभ से आस्थगित कर परिसम्पत्तियों की वसूली की जा सकेगी।

आस्थगति कर परिसंपत्तियों और देयताओं को उस समय ऑफसेट किया जाता है जब चालू कर परिसंपत्तियों और देयताओं को ऑफसेट करने का विधिक प्रवर्तनीय अधिकारी होता है और जब आस्थगित कर शेष समान कर निर्धारण प्राधिकरण से संबंधित हो।

2.2.7 कर्मचारी लाभ

क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

वेतन, अल्पकालिक प्रतिपूर्ति छुट्टी एवं निष्पादन सम्बद्ध वेतन (पीआरपी) जैसे बारह माह की पूर्ण सेवा के पश्चात प्रदान किए जाने वाले लाभों का वर्गीकरण अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में किया गया है तथा ऐसे लाभों की गैर-डिस्काउंटिड राशि को उस अवधि से संबंधित लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है जिन अवधियों में कर्मचारी द्वारा सम्बद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं।

ख) सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ

सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ एवं अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, क्योंकि कंपनी में कर्मचारी धारक कंपनी से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।

2.2.8 रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में उपलब्ध रोकड़, बैंकों में रोकड़ और तीन महीनों या इससे कम अवधि की मूल परिपक्वता वाली अल्पकाली सावधि जमा राशियां जो ज्ञात रोकड़ राशिके लिए तत्काली नकदीकृत की जा सकती है और जो मूल्य में परिवर्तन के गैर महत्वपूर्ण स्तर के अध्याधीन हो।

रोकड़ प्रवाह विवरण के प्रयोजन हेतु, रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में अप्रतिबंधित रोकड़ और अल्पकालीन जमा राशियां शामिल हैं, जैसा कि उपर परिभाषित किया गया है, क्योंकि ये कंपनी के रोकड़ प्रबंधन का अभिन्न अंग समझा जाता है।

2.2.9 लाभांश

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को वार्षिक लाभांश वितरण को उस अवधि में देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसमें लाभांश शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। किसी भी अंतरिम लाभांश को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है। लाभांश वितरण पर देय लाभांश और संगत कर सीधे इक्विटी में स्वीकृत होता है।

2.2.10 प्रावधान, आकस्मिक परिसम्पत्तियां एवं आकस्मिक देयताएं

(क) प्रावधान

प्रावधान को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कम्पनी का कोई वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा तक्रसाध्य) हो तथा ऐसी संभावना हो कि दायित्व के निपटान, जिसके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हैं, के लिए संसाधनों का बहिःप्रवाह अपेक्षित है। प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित विचार, दायित्व से जुड़े जोखिम एवं अनिश्चितताओं पर विचार, के पश्चात आंके गए उत्तम अनुमान के अनुसार होती है।

जब धन के समय मूल्य का वस्तुगत होने की संभावना होती है तो प्रावधान राशि को दायित्व से सम्बद्ध जोखिम की प्रस्तुति करने वाली, जब उचित हो, पूर्व कर दर के उपयोग से कम कर दिया जाता है। समय के परिवर्तन को वित्त लागत के रूप में विचार में लिए जाने के कारण डिस्काउंटिंग के उपयोग के पश्चात प्रावधान अधिक कर दिए जाते हैं।

(ख) दुर्वह संविदाएं

दुर्वह संविदा वह संविदा है जिसमें संविदा के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने की वे अपरिहार्य लागतें (अर्थात् वे लागतें जिनकी संविदा के कारण कम्पनी अनदेखी नहीं कर सकती हैं) आती हैं, जो उससे प्राप्त होने वाले संभावित आर्थिक लाभों से अधिक होती हैं। किसी संविदा के अंतर्गत अपरिहार्य लागतें संविदा की विद्यमान न्यूनतम लागत की प्रस्तुति करते हैं जो इसके निष्पादन की लागत एवं इसे निष्पादित न किए जाने के मुआवजे अथवा उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों से कम हैं। यदि कम्पनी की कोई दुर्वह संविदा है तो संविदा के अंतर्गत दायित्व की स्वीकृति एवं मापन के लिए प्रावधान किए जाते हैं। तथापि, दुर्वह संविदा के लिए अलग

प्रावधान करने से पूर्व कम्पनी किसी अक्षमता हानि की स्वीकृति करती है जो ऐसी संविदा के लिए नियत की गई परिसम्पतियों के संबंध में हुई है।

इन अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में करके चालू उत्तम अनुमान के अनुसार समायोजन प्रस्तुत किए गए हैं।

ग) आकस्मिक देयताएं

ऐसे आकस्मिक दायित्वों के संबंध में प्रकटीकरण किया जाता है जब संभावित दायित्व अथवा वर्तमान दायित्वों के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बहिःप्रवाह अपेक्षित होने की संभावना होती है, परन्तु नहीं भी हो सकती है, अथवा ऐसे दायित्वों की राशि का मापन विश्वसनीयता से नहीं किया जा सकता है। जब किसी संभावित दायित्व अथवा विद्यमान दायित्व के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बहिःप्रवाह होने की संभावना काफी होती है तो कोई प्रावधान अथवा प्रकटीकरण नहीं किए जाते हैं।

इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है तथा चालू उत्तम अनुमानों के अनुसार इनका समायोजन किया जाता है।

घ) आकस्मिक परिसम्पतियां

आकस्मिक परिसम्पतियों की स्वीकृति नहीं की जाती है अपितु आर्थिक लाभों के प्रवाह की विश्वसनीयता होने पर इनका प्रकटीकरण किया जाता है।

2.2.11 पट्टे

कम्पनी द्वारा संविदा के प्रारंभ में ऐसे मूल्यांकन किए जाते हैं कि क्या संविदा पट्टा, अथवा अंतर्विष्ट पट्टा, है अथवा नहीं है। इसका अर्थ है कि क्या संविदा में संज्ञान में ली गई परिसम्पति के संबंध में किसी अवधि में उपयोग के नियंत्रण का अधिकार प्रतिफल के विनिमय के प्रति उपलब्ध है।

क) पट्टेदार के रूप में कम्पनी

कम्पनी द्वारा अल्पकालिक पट्टों तथा न्यूनतम मूल्य की परिसम्पतियों के पट्टों के अलावा सभी पट्टों के संबंध में एकल स्वीकृति एवं मापन विधि का उपयोग किया जाता है। कम्पनी पट्टा

दायित्वों की स्वीकृति पट्टा भुगतानों तथा उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों के रूप में करती है जिससे अंतर्निहित परिसम्पतियां उपयोग अधिकार की प्रस्तुति करती हैं।

i) पट्टा दायित्व

कम्पनी द्वारा पट्टे की प्रारंभ तिथि को पट्टा काल के लिए चुकता किए जाने वाले पट्टा के वर्तमान मूल्य के अनुसार मापन किए गए पट्टा दायित्वों को स्वीकृति दी जाती है। पट्टा भुगतानों में किसी प्रकार के प्राप्य प्रोत्साहन घटाकर नियत भुगतान (सारभूत नियत भुगतान में शामिल), परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो सूचकांक अथवा किसी दर पर निर्भर हैं, तथा अवशेष मूल्य गारंटियों के अंतर्गत चुकता की जाने वाली संभावित राशियां शामिल है। पट्टा भुगतानों में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य भी शामिल होता है जिसका औचित्यपरक निश्चितता के साथ कम्पनी उपयोग कर सकती है, तथा पट्टों समाप्त करने, यदि पट्टा काल शर्तों में शास्तियों के भुगतान की व्यवस्था है, के विकल्प का उपयोग कर सकती है। व्यय के रूप में स्वीकृत किसी सूचकांक अथवा दर पर निर्भर न होने वाले परिवर्तनीय पट्टा भुगतान (यदि वे मालसूचियों के उत्पादन के लिए व्यय नहीं किए गए हैं) उनकी उत्पत्ति की अवधि अथवा भुगतान किए जाने की स्थिति में किए जाते हैं।

पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य का आकलन करते हुए कम्पनी पट्टा प्रारंभ तिथि से आवर्धित ऋण दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में अंतर्निहित ब्याज दर का सुगमता से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात पट्टा दायित्वों की राशि में ब्याज अभिवृद्धि की प्रस्तुति के लिए वृद्धि हो जाती है तथा किए गए पट्टा भुगतान कम हो जाते हैं। इसके अलावा, पट्टा दायित्वों के वहन मूल्य का पुनःमापन किसी प्रकार का संशोधन किए जाने, पट्टा काल में परिवर्तन किए जाने, पट्टा भुगतानों में परिवर्तन किए जाने (अर्थात् पट्टा भुगतानों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किसी सूचकांक अथवा दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप भावी भुगतानों में परिवर्तन) अथवा अंतर्निहित परिसम्पति के क्रय के विकल्प के मूल्यांकन में परिवर्तन किए जाने की स्थिति में किया जाता है।

कम्पनी के पट्टा दायित्वों को वित्तीय दायित्वों में शामिल किया जाता है।

ii) अल्पकालिक पट्टे तथा निम्न मूल्य वाली परिसम्पतियों के पट्टे

कम्पनी द्वारा आवासीय परिसरों तथा कार्यालयों (अर्थात् वे पट्टे जिनका पट्टा काल प्रारंभ की तिथि से 12 माह अथवा कम है तथा जो क्रय विकल्प के साथ नहीं हैं) के अपने अल्पकालिक पट्टा अनुबंधों में अल्पकालिक पट्टा स्वीकृति के लिए छूट का उपयोग किया जाता है। कम्पनी द्वारा कार्यालय उपकरणों, जो न्यून मूल्य के रूप में विचार में नहीं लिए गए हैं, के पट्टों के लिए पट्टे की न्यून मूल्य परिसम्पति छूट का उपयोग भी किया जाता है। अल्पकालिक पट्टों के पट्टा भुगतान तथा न्यून मूल्य परिसम्पतियों के पट्टों की स्वीकृति पट्टा काल के लिए सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में की जाती है।

कंपनी ने इंड एस 116 के अनुसार पट्टा लेखांकन हेतु समायोजन किया है, जो दिनांक 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी हुआ है, और सभी संबंधित आंकड़ों को पुनःवर्गीकृत/पुनःसमूहित किया गया है ताकि इंड एस 116 के अपेक्षाओं को प्रभावी बनाया जा सके।

2.2.12 वित्तीय उपकरण

वित्तीय उपकरण अनुबंध होते हैं, जो किसी इकाई की वित्तीय परिसम्पति तथा किसी अन्य इकाई के किसी दायित्व अथवा वित्तीय उपकरण के संव्यवहार के लिए किए जाते हैं।

क) वित्तीय परिसम्पतियां

प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

वित्तीय परिसम्पतियों को उचित मूल्य जमा या घटा संव्यवहार लागतों पर स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय परिसम्पतियों (लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापना की गई परिसम्पतियों के अतिरिक्त) के अधिग्रहण या जारी करने से संबंधित हैं। वित्तीय परिसम्पतियों अथवा वित्तीय देयताओं से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों को उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि के माध्यम से तुरंत लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

अनुवर्ती मापन

अनुवर्ती मापन के उद्देश्य वित्तीय परिसम्पतियों को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिशोधन लागत पर नामे उपकरण

निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होने पर 'ऋण उपकरण' का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है:

क) परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के अनुसार ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोकड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है, और

ख) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह के लिए विशिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं जो विशिष्ट रूप से बकाया मूल राशि पर मूल और ब्याज (एसपीपीटी) का भुगतान है।

ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि घटा हानि, यदि कोई हो, का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। क्षमता हानि से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ अथवा हानि में स्वीकृति दी जाती है। यह वर्ग सामान्यतः व्यापार एवं अन्य प्राप्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है।

- **अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर ऋण उपकरण**

निम्नलिखित दोनों मापदंड पूरे होने पर 'ऋण उपकरण' का एफवीटीओसीआई पर वर्गीकृत किया गया है:

क. व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और

ख. परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रूप से मूल और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) को प्रस्तुत करती हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। तथापि, लाभ और हानि विवरण में कंपनी ब्याज आय, परिशोधित हानियों और प्रतिक्रमों तथा विदेशी विनिमय लाभ या हानि को स्वीकार करती है। परिसंपत्तियों को गैर-स्वीकार करने पर ओसीआई में पूर्व में स्वीकृत संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में इक्विटी से पुनःवर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

- **एफवीटीपीएल पर ऋण उपकरण**

एफवीटीपीएल ऋण माध्यमों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवी ओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के मापदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एफवीटीपीएल के वर्ग में शामिल ऋण उपकरणों का मापन लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर किया गया है।

- **इक्विटी उपकरण**

इंड एस-109 के कार्य क्षेत्र में इक्विटी निवेश का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। जो इक्विटी उपकरण एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत व्यापार के लिए धारित किए गए हैं। अन्य सभी उपकरणों के लिए कम्पनी द्वारा उचित मूल्य पर अनुवर्ती परिवर्तन पर अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने का अशोध्य चयन किया गया है। कम्पनी द्वारा ऐसे चयन उपकरण-वार आधार पर किए जाते हैं। ऐसे वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति पर किए जाते हैं तथा ये अशोध्य होते हैं।

यदि कम्पनी किसी इक्विटी उपकरण का वर्गीकरण एफवीटीओसीआई के रूप में करने का निर्णय लेते हैं तो लाभांशों के अलावा उपकरण के सभी उचित मूल्य परिवर्तनों की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में की जाती है। निवेश की बिक्री के पश्चात भी अन्य व्यापक आय में से राशियों का पुनःचक्रण लाभ एवं हानि विवरण में नहीं किया जाता है। तथापि, कम्पनी इक्विटी में संचित लाभ एवं हानि का अंतरण कर सकती है।

एफवीटीपीएल वर्ग में शामिल इक्विटी उपकरणों का मापन उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

ईसीएल उन सभी संविदागत नकद प्रवाहों के मध्य का अंतर है जो कम्पनी संविदा के अंतर्गत देय हैं तथा जो ऐसे नकद प्रवाहों से संबंधित हैं जिनकी प्राप्ति की प्रत्याशा इकाई (अर्थात सभी नकद न्यूनताएं), तथा जो मूल ईआईआर पर न्यून किए गए हैं।

इंड एस-109 के अनुसरण में कम्पनी द्वारा निम्नलिखित वित्तीय परिसम्पतियों एवं क्रेडिट ऋण जोखिमों से संबंधित प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल को मापन एवं अक्षमता हानि में स्वीकृति के लिए उपयोग किया गया है:

- क. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा जिनका मापन परिशोधन लागत अर्थात ऋण, ऋण प्रतिभूतियों, जमा, व्यापार प्राप्यों एवं बैंक शेष के लिए किया गया है।
- ख. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा एफवीटीओसीआई पर मापन की गई हैं।
- ग. इंड एस-116 के अंतर्गत पट्टा प्राप्य।
- घ. व्यापार प्राप्य अथवा अन्य संविदागत अधिकार के अंतर्गत प्राप्त नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पति जो ऐसे संव्यवहार से प्राप्त हो जो इंड एस-115 के दायरे में है।
- ङ. ऋण प्रतिबद्धताएं जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।
- च. वित्तीय गारंटी अनुबंध जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।
- कम्पनी द्वारा निम्नलिखित के संबंध में अक्षमता हानि भत्ते की स्वीकृति के लिए 'सरल दृष्टिकोण' का अनुसरण किया गया है:

- व्यापार प्राप्यों अथवा अनुबंध राजस्व प्राप्यों; तथा
- सभी ऐसे पट्टा प्राप्यों जिनके संव्यवहार इंड एस 116 के दायरे में हैं।

सरल दृष्टिकोण की उपयोज्यता के लिए कम्पनी को क्रेडिट जोखिम में ट्रैक परिवर्तन नहीं करने होते हैं। इसके स्थान पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को लाइफटाइम ईसीएल पर आधारित क्षमता हानि भत्तों का उपयोग प्रारंभिक स्वीकृति की तिथि से किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पतियों एवं ऋण जोखिम पर क्षमता हानि के संज्ञान के लिए कम्पनी यह निर्धारण करती है कि क्या प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है अथवा नहीं हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है तो 12 माह की ईसीएल का उपयोग क्षमता हानि के प्रावधान के लिए किया जाता है। तथापि, यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि होने पर लाइफटाइम ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि किसी अनुवर्ती अवधि में उपकरण की क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार आता है तथा प्रारंभिक संज्ञान के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण बढ़त नहीं होती है तो इकाई द्वारा 12 माह की ईसीएल पर आधारित क्षमता हानि भत्ते को समाप्त कर दिया जाता है।

लाइफटाइम ईसीएल वे प्रत्याशित क्रेडिट हानियां हैं जो वित्तीय परिसम्पति के संभावित उपयोग्यता काल में संभव चूक घटनाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। 12 माह ईसीएल लाइफटाइम ईसीएल का वह भाग है जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के दौरान संभावित चूक घटनाओं से उत्पन्न हुए हैं।

ईसीएल क्षमता हानि भत्ता (अथवा रिवर्सल) की स्वीकृति आय/व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। इस राशि की प्रस्तुति "अन्य व्यय" शीर्ष के अंतर्गत लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। विभिन्न वित्तीय उपकरणों के अंतर्गत तुलन पत्र की प्रस्तुति का वर्णन नीचे किया गया है:—

- परिशोधित लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां, संविदागत राजस्व प्राप्य एवं पट्टा प्राप्य: ईसीएल की प्रस्तुति एक भत्ते के रूप में अर्थात तुलन पत्र में ऐसी परिसम्पतियों के मापन के अभिन्न भाग के रूप में की जाती है। निवल वहन राशि में से भत्ता घटा दिया जाता है। परिसम्पति द्वारा बट्टा मापदंड पूरे न किए जाने तक कम्पनी सकल वहन राशि में से क्षमता हानि भत्ते को कम नहीं करती है।
- ऋण प्रतिबद्धताएं एवं वित्तीय गारंटी संविदा : ईसीएल की प्रस्तुति तुलन पत्र में एक प्रावधान अर्थात एक दायित्व के रूप में की गई है।
- ऋण उपकरण का मापन एफवीटीओसीआई के अनुसार : ऋण उपकरणों का मापन एफवीओसीआई के अनुसार किया गया है, संभावित क्रेडिट हानियों से तुलन पत्र में वहन राशि कम नहीं हुई है जिससे यह उचित मूल्य पर होती है। परिसम्पति का मापन अन्य व्यापक आय में स्वीकृत परिशोधन लागत पर "संचित परिशोधन राशि" के रूप में करने की स्थिति में इसके स्थान पर भत्ते के समतुल्य एक राशि उत्पन्न होगी।

कम्पनी द्वारा क्षीण क्रेडिट वाली वित्तीय परिसम्पतियों (पीओसीआई), अर्थात ऐसी परिसम्पतियां जिनका क्रेडिट क्रय/व्युत्पत्ति पर क्षीण है, का क्रय अथवा व्युत्पत्ति नहीं की गई है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की अस्वीकृत

वित्तीय परिसंपत्तियां (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्तियों का भाग या समान वित्तीय परिसंपत्तिया के समूह का भाग) को अस्वीकार केवल तब किया जाता है जब परिसंपत्तियों से रोकड प्रवाहों का संविदागत अधिकार समाप्त हो जाता है या वित्तीय परिसंपत्तियां अंतरित हो

जाती हैं तथा इसके परिणामस्वरूप परिसंपत्ति के सभी जोखिम और परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी प्रतिफल भी अंतरित हो जाता हैं।

वह मूल्य और प्राप्त/प्राप्य लाभ राशि में अंतर को लाभ और हानि विवरण में स्वीकार किया जाता है।

ख) वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

सभी वित्तीय देयताओं की स्वीकृति प्रारंभ में उचित मूल्य पर, तथा ऋण एवं उधार तथा देयताओं के मामले में संव्यवहार लागतों से प्रत्यक्ष सम्बद्ध निवल के अनुसार की जाती है।

कम्पनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार एवं अन्य देयताएं, ऋण एवं उधार, अन्य वित्तीय देयताएं इत्यादि शामिल हैं।

अनुवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का मापन नीचे प्रस्तुत विवरण के अनुसार उनके वर्गीकरण पर निर्भर है:

- **लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं**

कम्पनी के पास एफवीटीपीएल के अंतर्गत किसी प्रकार की वित्तीय देयताएं नहीं हैं।

- **परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं**

ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताओं का अनुवर्ती मापन ईआईआर विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। लाभ एवं हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम देयताओं की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है। परिशोधन लागत का आकलन किसी प्रकार की छूट अथवा अधिग्रहण प्रीमियम तथा शुल्क अथवा लागतों, जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं, को लेखे में लेकर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन में लाभ एवं हानि विवरण की वित्त लागतों को शामिल किया जाता है।

वित्तीय देयताओं की स्वीकृति समाप्ति

किसी वित्तीय देयता की स्वीकृति तब समाप्त होती है जब देयता के दायित्व पूरे कर लिए जाते हैं अथवा रद्द हो जाते हैं अथवा कालातीत हो जाते हैं। जब कोई विद्यमान वित्तीय देयता के स्थान पर समान ऋणदाता से महत्वपूर्ण भिन्न शर्तों पर अथवा विद्यमान देयताओं की शर्तों की संशोधित शर्तों पर कोई बदलाव किया जाता है तो ऐसे विनिमय अथवा सुधार को मूल देयता की स्वीकृति समाप्ति मानकर नई देयता के प्रति स्वीकृति की जाती है। सम्बद्ध वहन राशियों की अंतरों को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

ग) वित्तीय गारंटी संविदाएं

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी संविदाएं वे संविदाएं हैं जिनमें कंपनी को ऋण माध्यम की शर्तों के अनुसार देय होने पर विशिष्ट ऋणदाता द्वारा भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में धारक को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए भुगतान की अपेक्षा होती है। वित्तीय गारंटी संविदाओं को आरंभिक तौर पर लागतों के संव्यवहारों के लिए समायोजित उचित मूल्य पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो प्रत्यक्ष रूप से गारंटी के जारी किए जाने से संबंधित है। तत्पश्चात, देयता को इंड एएस-109 की हानि अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित घाटा भत्ते के राशि तथा स्वीकृत राशि घटा संचित परिशोधन, जो कोई भी अधिक हो, पर मापा जाता है।

घ) वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण

कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति के समय निर्धारित करती है। प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात उन वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी उपकरण अथवा वित्तीय देयता होते हैं। ऋण उपकरणों की वित्तीय परिसम्पतियों के लिए पुनःवर्गीकरण तभी किया जाता है जब ऐसी परिसम्पतियों के प्रबंधन के व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन हुआ हो। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन की संभावना कभी-कभार होती है। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कम्पनी या किसी ऐसे क्रियाकलाप का निष्पादन करना प्रारंभ करती है अथवा समाप्त करती है जो उसके प्रचालनों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों का वर्गीकरण करती है तो ऐसा पुनःवर्गीकरण उत्तरव्यापी प्रभाव से अगली रिपोर्टिंग अवधि के तत्काल निकट अगले दिन से व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन करके किया जाता है। कम्पनी स्वीकृत लाभों, हानियों (क्षमता लाभ अथवा हानियों सहित) अथवा ब्याज की पुनः प्रस्तुति नहीं करती है।

ड.) वित्तीय माध्यमों की ऑफसेटिंग

स्वीकृत राशियों का समंजन करने के संबंध में चालू प्रवर्तनीय संविदागत विधिक अधिकार होने तथा परिसम्पतियों से प्राप्ति एवं साथ ही साथ देयताओं का निपटान निवल आधार पर करने की मंशा होने की स्थिति में वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं, एवं तुलन पत्र में सूचित की गई राशियों का समंजन किया जाएगा।

2.2.13 उचित मूल्य मापन

कम्पनी द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसम्पति को बेचने अथवा किसी देयता को अंतरित करने के लिए दिए जाने के लिए बाजार प्रतिभागियों के साथ मापन की तिथि को प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन ऐसे अनुमान पर आधारित है जो परिसम्पति को बेचने के संव्यवहार अथवा देयता का अंतरण करने के उद्देश्य से या तो :

- उत्तम बाजार में परिसम्पतियों अथवा देयताओं के लिए; अथवा
- उत्तम बाजार न होने पर परिसम्पतियों एवं देयताओं के अत्यधिक लाभकारी बाजार में।
उत्तम अथवा लाभकारी बाजार कम्पनी की पहुंच के दायरे में होना चाहिए।

किसी परिसम्पति अथवा देयता के उचित मूल्य का मापन बाजार प्रतिभागियों के ऐसे अनुमानों के अनुसार यह मानकर किया जाता है कि वे इसमें आर्थिक उत्तम हित में बाजार प्रतिभागी क्रिया कर रहे हैं।

किसी गैर-वित्तीय परिसम्पति के उचित मूल्य का मापन उच्चतर एवं बेहतर उपयोग से परिसम्पति का उपयोग आर्थिक लाभों की उत्पत्ति के संबंध में बाजार प्रतिभागियों की क्षमता को विचार में लेकर अथवा इसकी बिक्री किसी अन्य बाजार कर करके, जो परिसम्पति का उपयोग उच्चतर एवं बेहतर ढंग से कर सकता है, किया जाता है।

कम्पनी द्वारा मूल्यांकन तकनीकी का उपयोग किया जाता है ऐसी परिस्थितियों के लिए उचित हैं तथा जिनके संबंध में वह पर्याप्त डेटा उचित मूल्य के मापन के उद्देश्य से उपलब्ध है, जिनसे सम्बद्ध प्रेक्षण योग्य इनपुट का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा तथा गैर-प्रेक्षण योग्य इनपुट का उपयोग न्यूनतम किया जा सकेगा।

सभी परिसम्पतियां एवं देयताओं, जिनके संबंध में उचित मूल्य पर मापन अथवा वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया गया है, का वर्गीकरण उचित मूल्य की तारतम्यता का अनुसरण करके किया गया है जो न्यूनतम स्तर के इनपुट पर आधारित है तथा पूर्ण रूप से उचित मूल्य पर मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं:-

- स्तर 1 – समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा देयताओं के सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर-समायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।
- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गैर-प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।

ऐसी परिसम्पतियों एवं देयताओं के संबंध में, जो आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत की गई हैं, कम्पनी द्वारा स्तरों के मध्य के स्तरों पर तारतम्यता में अंतरण किए जाने के निर्धारण (न्यूनतम स्तर इनपुट पर आधारित जो पूर्ण उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जाते हैं।

महत्वपूर्ण परिसम्पतियों एवं देयताओं, यदि कोई हों, के लिए बाह्य मूल्यांककों की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा उन परिसम्पतियों एवं देयताओं के मूल्य के संचलनों का विश्लेषण किया जाता है जिनका मापन अथवा पुनःमापन कम्पनी की लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जाना अपेक्षित होता है।

उचित मूल्य के प्रकटीकरण के लिए कम्पनी द्वारा परिसम्पतियों एवं देयताओं के वर्ग उनकी प्रकृति, विशिष्टताओं एवं परिसम्पति अथवा देयता से जुड़े जोखिमों तथा ऊपर स्पष्ट की गई तारतम्यता के अनुसार उचित मूल्य के स्तर के आधार पर किए जाते हैं।

ऊपर उचित मूल्य के लिए लेखांकन नीतियों का संक्षेप प्रस्तुत किया गया है। उचित मूल्य से संबंधित अन्य प्रकटीकरण सम्बद्ध नोटों में किए गए हैं।

2.2.14 पूर्वावधि समायोजन

चालू वर्ष में पूर्वावधि से संबद्ध चूक/अकरण पाई जाने पर यदि प्रत्येक एवं अकरण का औसत कम्पनी के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल परिचालन राजस्व के 0.50 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है तो उसका उपचार सारहीन रूप से किया जाता है तथा उसका समायोजन चालू वर्ष में किया जाता है।

2.2.15 प्रचालनिक सेगमेंट

प्रचालन सेगमेंट को इस रूप में रिपोर्ट किया जाता है जो मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक को उपलब्ध आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुसार हो। तदनुसार, कम्पनी ने भौगोलिक स्थल के आधार पर एक प्रचालनिक रिपोर्टिंग सेगमेंटों की पहचान की है।

2.2.16 प्रति शेयर आमदनियां

प्रति शेयर मूल आमदनी निर्धारित करने के लिए, समूह इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ पर विचार करता है। प्रति शेयर मूल आमदनी के परिकलन में प्रयुक्त शेयरों की संख्या उस अवधि के दौरान बकार्यो शेयरों की संख्या का औसत है। प्रति शेयर विलयित आमदनियों के निर्धारण के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ और इस अवधि के दौरान बकार्यो शेयरों की औसत संख्या को सभी विलयित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

2.2.17 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान एवं निर्धारण

उक्त वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए उपयोग में लाए गए अनुमानों का अनवरत मूल्यांकन कम्पनी द्वारा किया जाता है तथा ये ऐतिहासिक अनुभव एवं विभिन्न अन्य अनुमानों एवं कारकों (भावी घटनाओं की संभावनाओं सहित), जिनके प्रति कम्पनी का विश्वास विद्यमान परिस्थितियों के कारण औचित्यपरक रूप से है, पर आधारित होते हैं। ऐसे अनुमान ऐसे तथ्यों एवं घटनाओं पर आधारित होते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि को विद्यमान हैं अथवा जिनका आस्तित्व इस तिथि के पश्चात हुआ है परन्तु विद्यमान स्थितियों के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि को इनका आस्तित्व होने के अतिरिक्त प्रमाण उपलब्ध हैं। तथापि, कम्पनी द्वारा ऐसे अनुमानों, वास्तविक परिणामों का नियमित मूल्यांकन किया जाता है परन्तु ऐसे अनुमान आंके जाने के समय औचित्यपरक होते हुए इनके वास्तविक परिणाम सामग्रीगत रूप से भिन्न हो सकते हैं तथा ऐसे परिणाम ऐतिहासिक अनुभव अथवा

अनुमानों से भिन्न होने पर भी पूरी तरह से सटीक नहीं होते हैं। अनुमानों में होने वाले परिवर्तनों की स्वीकृति उस अवधि के वित्तीय विवरणों में की जाती है जिस अवधि में ये ज्ञात होते हैं।

रिपोर्टिंग तिथि को भावी एवं अन्य प्रमुख स्रोतों के अनुमानों की अनिश्चितता से संबंधित प्रमुख अनुमान, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष में परिसम्पतियों एवं देयताओं की वहन राशियों में सामग्रीगत समायोजन की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण जोखिम व्याप्त है, का वर्णन नीचे किया गया है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

(क) ग्रहित न किए गए व्यापार प्राप्यों के लिए प्रावधान

व्यापार प्राप्यों के साथ ब्याज नहीं होता है तथा इनकी प्रस्तुत उनके सामान्य मूल्यों पर अनुमानित वसूलीयोग्य राशि पर छूट करके प्रदान की जाती है जो प्राप्य शेष एवं ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित होती है। व्यापार प्राप्यों का अलग अलग बट्टा तब किया जाता है जब प्रबंधन को उनकी वसूली संभव प्रतीत नहीं होती है।

(ख) निर्धारित लाभ योजनाएं

सेवानिवृत्ति पूर्व लाभ दायित्वों का लागतों का निर्धारण इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा बीमांकक मूल्यांकनों के प्रयोग द्वारा किया जाता है। बीमांकक मूल्यांकन में विभिन्न अनुमानों का निर्धारण शामिल है, जो भविष्य की वास्तविक गतिविधियों से भिन्न हो सकता है। इसमें रियायत दर, भावी वेतन वृद्धि, मृत्यु दर तथा भावी पेंशन वृद्धि का निर्धारण शामिल है। मूल्यांकनों और इसके दीर्घकालीन प्रकृति में शामिल जटिलताओं के कारण, निर्धारित लाभ दायित्व इन अनुमानों में परिवर्तनों के प्रति उच्च संवेदनशील है। इन सभी अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है।

(ग) आकस्मिताएं

कम्पनी के प्रति व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान आकस्मिक देयताओं की उत्पत्ति न्यायिक मामलों एवं अन्य दावों के परिणामस्वरूप होती है। ये ऐसे दायित्व होते हैं जिनके संबंध में प्रबंधन सभी उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर संबंधित भुगतान अथवा कठिनाई के परिमाण के अनुमान विश्वसनीयता से नहीं आंक सकती है तथा ऐसे दायित्वों को आकस्मिक दायित्व मानकर इनका प्रकटीकरण नोटों में किया गया है। इस प्रकार, कम्पनी संबंधी जटिल विधिक

प्रक्रियाओं के अंतिम प्रतिफल का ऐसा कोई निश्चित प्रमाण नहीं है जिससे आकस्मिकताओं का सामग्रीगत प्रभाव का कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर होने के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सके।

(घ) वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

वित्तीय परिसम्पतियों के लिए अक्षमता प्रावधान चूक जोखिमों एवं संभावित हानि दरों के अनुमानों पर आधारित होते हैं। कम्पनी अपने विवेक का उपयोग करके ऐसे अनुमान लगाकर अक्षमता इनपुट का आकलन करती है जो कम्पनी के पूर्व इतिहास, बाजार स्थितियों के आधार एवं प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लगाए जाने वाले भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं।

(ड.) कर

जटिल कर विनियमों की व्याख्या, कर विधियों में बदलाव एवं राशि एवं भावी करयोग्य आय के संबंध में अनिश्चितताएं व्याप्त होती हैं। व्यापार के स्वरूप के कारण वास्तविक परिणाम एवं लगाए गए अनुमानों अथवा ऐसे अनुमानों में भावी परिवर्तनों से होने वाली भिन्नताओं के कारण पहले से रिकार्ड की गई कर आय एवं व्यय में भविष्य

में समायोजन करने पड़ सकते हैं। कम्पनी द्वारा ऐसे औचित्यपरक अनुमानों के आधार पर प्रावधान स्थापित किए गए हैं। ऐसे प्रावधानों की राशि पूर्व कर लेखापरीक्षा के अनुभव एवं करयोग्य इकाईयों द्वारा की गई कर की भिन्नताओं की व्याख्या जैसे विभिन्न कारकों पर आधारित होती है। व्याख्या में भिन्नता के कारण कम्पनी के कार्यक्षेत्र में व्याप्त परिस्थितियों से विभिन्न प्रकार के अनेक मामले उत्पन्न हो सकते हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस विस्तार तक की जाती है जहां तक ऐसी विश्वसनीयता हो कि इससे करयोग्य लाभ प्राप्त होंगे जिनके प्रति हानियों का उपयोग किया जा सकेगा। आस्थगित कर परिसम्पतियों की राशि के स्वीकृति योग्य निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है जो समय की अनुकूलता एवं भावी करयोग्य लाभ के स्तर के साथ साथ भावी कर योजना रणनीतियों पर आधारित होते हैं।

(च) गैर-वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

अक्षमता तब उत्पन्न होती है जब किसी परिसम्पत्ति रोकड़ उत्पत्ति यूनिट का वहन मूल्य उसकी वसूलीयोग्य राशि से अधिक हो जाता है तथा जो उसकी निपटान लागतों एवं उपयोग मूल्य को घटाकर उचित मूल्य से अधिक होता है। उचित मूल्य घटाकर निपटान लागत के आकलन आर्म लैंथ पर किए गए बाध्यकारी बिक्री संव्यवहारों से उपलब्ध डेटा पर आधारित होते हैं जो परिसम्पत्ति के निपटान की आवर्धित लागतों को घटाकर समान प्रकार की परिसम्पत्तियों अथवा प्रत्यक्ष बाजार मूल्यों के अनुसार होते हैं। उपयोग मूल्य का आकलन डीसीएफ मॉडल पर आधारित होता है।

(छ) पट्टा – संवर्धात्मक ऋण दर

कंपनी तत्परता के साथ पट्टे में निर्धारित ब्याज दर का निर्धारण नहीं कर सकती है। इसलिए, वह पट्टा देयताओं का निर्धारण करने के लिए अपने संवर्धात्मक ऋण ब्याज (आईबीआर) का प्रयोग करती है। आईबीआर वह ब्याज दर है जो कंपनी को समान अवधि में ऋण हेतु भुगतान करना होता है, और समान प्रतिभूति के साथ, जिसका प्रयोग समान आर्थिक वातावरण में परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार के समान मूल्य की परिसंपत्ति प्राप्त करने हेतु आवश्यक निधि के लिए होता है।

(ज) नवीकरण एवं समापन विकल्प के साथ पट्टे के अनुबंध काल का निर्धारण—पट्टेदार के रूप में कम्पनी

कम्पनी पट्टा काल का निर्धारण पट्टे को रद्द न किए जाने की शर्त के साथ करती है जिसमें पट्टे की किन्हीं अवधियों को विस्तारित करने, यदि इसका उपयोग करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, अथवा पट्टे का समापन करने के विकल्प के साथ शामिल अवधियों, यदि इसका उपयोग न करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, का समावेश होता है।

कम्पनी द्वारा ऐसे पट्टा अनुबंध किए गए हैं जिनमें विस्तार एवं समापन के विकल्प हैं। कम्पनी अपने विवेक से यह ज्ञात करती है कि क्या किसी पट्टे का नवीकरण करने अथवा उसका समापन करने के विकल्प के उपयोग के प्रति किसी प्रकार के औचित्यपरक कारक हैं अथवा नहीं हैं। इस प्रकार के सभी सम्बद्ध कारकों पर विचार से कम्पनी के सम्मुख नवीकरण करने अथवा समापन करने के विकल्प के उपयोग का आर्थिक कारण प्रस्तुत हो जाता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात कम्पनी पट्टा काल का मूल्यांकन करके यह ज्ञात करती है कि क्या परिस्थितियों में किसी

प्रकार की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं अथवा बदलाव हुए हैं जो उसके नियंत्रण में हैं तथा जिनके प्रभाव से कम्पनी को नवीकरण अथवा समापन करने के विकल्प का उपयोग करना पड़ सकता है अथवा नहीं करना पड़ सकता है (अर्थात् महत्वपूर्ण पट्टाधारित सुधार अथवा पट्टाधारित परिसम्पतियों में महत्वपूर्ण बदलाव)।

(झ) राजस्व स्वीकृति

कम्पनी की एक राजस्व मान्यता नीति है, जो 2.2.4 पर उपलब्ध है, जिसके उपयोग से कम्पनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्वाह किए गए कार्यों का मूल्यांकन करके प्रभाव ज्ञात करती है।

इन नीतियों में किए गए अनुबंधों के प्रतिफल से संबंधित पूर्वानुमान किए जाने की अपेक्षा की गई है जिसके लिए कार्यक्षेत्र एवं दावों तथा भिन्नताओं के संबंध मूल्यांकन एवं निर्णय लिए जाने अपेक्षित होते हैं।

अनेक ऐसी दीर्घकालिक एवं जटिल परियोजनाएं हैं जिनके लिए कम्पनी द्वारा अनुबंध पात्रताओं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय निर्धारण किए गए हैं। इनके संभावित प्रतिफलों के परिणाम से इनकी लाभप्रदता एवं नकदी प्रवाह में होने वाले सामग्रीगत सकारात्मक अथवा नकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं।

अनुबंध के नीचे उल्लिखित कारकों के संबंध में भी अनुमान लगाए जाने अपेक्षित होते हैं।

- कार्य की पूर्णता के चरण का निर्धारण
- परियोजना पूर्ण होने की तिथि के अनुमान
- संभावित हानियों के लिए प्रावधान
- दावों एवं भिन्नताओं सहित कार्य निष्पादन के लिए कुल राजस्व एवं कुल अनुमानित लागतों के अनुमान

इनकी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को समीक्षा की जाती है और चालू सर्वोत्तम अनुमानों को प्रदर्शित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

अनुबंध से संबंधित लागतों एवं राजस्व का संज्ञान अनुबंध क्रियाकलापों की पूर्ति के चरण के अनुसार रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया जाता है जो अनुमानित कुल अनुबंध लागतों की संबंधित



तिथियों तक निष्पादित किया गया है जो कि इसकी पूर्णता का चरण नहीं माना जाना है। अनुबंध कार्य की भिन्नताओं तथा दावों को इस विस्तार तक शामिल किया जाता है जिससे इसकी राशियों से मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सके तथा उनकी प्राप्ति की पूर्ण संभावना हो। जब अनुबंध लागतें कुल अनुबंध राजस्व से अधिक होने की संभावना होती है तो तत्काल संभावित हानि की स्वीकृति व्यय के रूप में की जाती है।

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

सीआईएन - U74999DL2018GOI334028

31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले नोट

3 सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

(रूपए लाख में)

	कंप्यूटर	कुल
सकल वहन राशि (लागत पर)		
1 अप्रैल 2020 को	1.19	1.19
परिवर्धन	0.48	0.48
निपटान/समायोजन		
31 मार्च 2021 को	1.67	1.67
1 अप्रैल 2021 को	1.67	1.67
परिवर्धन	-	-
निपटान/समायोजन		
31 मार्च 2022 को	1.67	1.67
मूल्यहास और हानि		
1 अप्रैल 2020 को	0.30	0.30
वर्ष के लिए मूल्यहास शुल्क	0.45	0.45
निपटान/समायोजन		
31 मार्च 2021 को	0.75	0.75
1 अप्रैल 2021 को	0.75	0.75
वर्ष के लिए मूल्यहास शुल्क	0.53	0.53
निपटान/समायोजन		
31 मार्च 2022 को	1.28	1.28
निवल बही मूल्य		
31 मार्च 2022 को	0.39	0.39
31 मार्च 2021 को	0.92	0.92

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

सीआईएन - U74999DL2018GOI334028

31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले नोट

4 वित्तीय संपत्ति

4.1 गैर-वर्तमान वित्तीय संपत्ति - ऋण

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
क. वसूलीयोग : रक्षित		
कर्मचारी ऋण और अग्रिम	-	-
कुल (क) - वसूलीयोग : रक्षित	-	-
ख. वसूलीयोग : अरक्षित		
कर्मचारी ऋण और अग्रिम	1.05	-
कुल (ख) - वसूलीयोग : अरक्षित(i+ii)	1.05	-
ग. ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि (हटाया गया)	-	-
घ. ऋण हानि (हटाया गया)	-	-
कुल	1.05	-

4.2 गैर-चालू संपत्तियां - अन्य वित्तीय संपत्तियां

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
वसूलीयोग : अरक्षित		
अनुबंध संपत्ति :		
- बिल योग्य राजस्व / प्राप्य देय नहीं	80,729.57	40,826.36
कुल	80,729.57	40,826.36

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

सीआईएन - U74999DL2018GOI334028

31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले नोट

5 आस्थगित कर परिसंपत्तियां और आयकर

इंड एएस 12 "आयकर" के अनुसरण में प्रकटन

(क) 31 मार्च 2022 तथा 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु आय कर व्यय के प्रमुख घटक हैं:

(रूपए लाख में)

क्र.सं	विवरण	को समाप्त वर्ष हेतु	
		31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
1	लाभ और हानि खंड चालू आयकर: चालू आयकर प्रभार समायोजन: पूर्ववर्ती वर्ष के चालू आयकर के संबंध में आस्थगित कर: अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रतिक्रम से संबंधित	2,022.28 0.50	11.23 0.53
	लाभ व हानि विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय	2,013.00	14.68
2	अन्य वृहत आय (ओसीआई) खंड वर्ष के दौरान ओसीआई के स्वीकृत आयकर संबंधी मदें निर्धारित लाभ योजनाओं के पुनःमापन पर निवल घाटा/(लाभ) विदेशी प्रचालन अंतरण पर पर निवल घाटा/(लाभ)	- - -	- - -
	ओसीआई खंड में प्रस्तुत आयकर व्यय	-	-

(ख) 31 मार्च 2022 तथा 31 मार्च 2021 के लिए भारत के घरेलू कर दर दबारा गृणा कर व्यय और लेखांकन लाभ का समायोजन:

(रूपए लाख में)

क्र.सं	विवरण	को समाप्त वर्ष हेतु	
		31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
1	आयकर से पूर्व लेखांकन लाभ	8,028.80	42.22
2	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार निगमित कर दर	25.168%	25.168%
3	लेखांकन लाभ पर कर (3) = (1) * (2)	2,020.70	10.62
4	कर समायोजन प्रभाव:		
(i)	पूर्ववर्ती वर्षों के चालू आयकर के संबंध में समायोजन	0.50	0.53
(ii)	पिछले अस्वीकृत कर घाटों का उपयोग	-	-
(iii)	दर अंतर प्रभाव	-	-
(iv)	कर से छूट प्राप्त आय पर कर	-	-
(v)	कर प्रयोजनों हेतु गैर कटौती योग्य व्यय अन्य राष्ट्र अतिरिक्त कर अन्य गैर कटौती योग्य व्यय	- - -	- - 0.08
(vi)	विभिन्न अन्य मदों पर प्रभाव	-8.20	3.45
5	लाभ एवं हानि विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय	2,013.00	14.68
6	प्रभावी कर दर	25.07%	34.78%

(ग) तुलन पत्र और लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत आस्थगित कर (देयताएं) और परिसंपत्तियां					
क्र.सं	विवरण	तुलन पत्र		वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण	
		31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
		(रूपए लाख में)			
1	परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित) : बही में अंतर-मूल्यहास एवं आयकर मूल्यहास	0.01	-0.02	-0.03	-0.07
2	प्राथमिक व्ययों का प्रभाव	0.52	1.04	0.52	0.52
3	आयकर अधिरियम, 1961 की धारा 43बी के अंतर्गत अस्वीकृत मद्दे	11.78	1.52	-10.26	2.47
4	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभावरित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु स्वीकार्य।				
5	वित्तीय माध्यमों का उचित मूल्यांकन				
6	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और एफवीटीपीएल म्यूचुवल फंड पर अप्रयुक्त लाभ/हानि				
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं)	12.32	2.54	-9.77	2.92
(घ) तुलन पत्र में प्रदर्शित निम्नानुसार:					
क्र.सं	विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को		
2	आस्थगित कर देयताएं	12.32	2.56		
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं) (निवल)	12.32	2.54		
नोट आस्थगित कर परिसंपत्तियों और आस्थगित कर देयताओं को ऑफसेट किया गया है क्योंकि वे समान शासी नियमों से संबंधित हैं।					
(ङ) आस्थगित कर (देयताओं) और परिसंपत्तियों का समायोजन :					
31 मार्च 2022 को					
क्र.सं	विवरण	1अप्रैल 2021 को	लाभ व हानि	ओसीआई में स्वीकृत	31 मार्च 2022 को
		निवल शेष	विवरण में स्वीकृत		निवल शेष
1	परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित) : बही में अंतर-मूल्यहास एवं आयकर मूल्यहास	-0.02	0.03		0.01
2	प्राथमिक व्ययों का प्रभाव	1.04	-0.52		0.52
3	आयकर अधिरियम, 1961 की धारा 43बी के अंतर्गत अस्वीकृत मद्दे	1.52	10.26		11.78
4	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभावरित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु स्वीकार्य।				
5	वित्तीय माध्यमों का उचित मूल्यांकन				
6	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और एफवीटीपीएल म्यूचुवल फंड पर अप्रयुक्त लाभ/हानि				
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं)	2.54	9.77	-	12.32
31 मार्च 2021 को					
क्र.सं	विवरण	1अप्रैल 2020 को	लाभ व हानि	ओसीआई में स्वीकृत	31 मार्च 2021 को
		निवल शेष	विवरण में स्वीकृत		निवल शेष
1	परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित) : बही में अंतर-मूल्यहास एवं आयकर मूल्यहास	-0.09	0.07		-0.02
2	प्राथमिक व्ययों का प्रभाव	1.56	-0.52		1.04
3	आयकर अधिरियम, 1961 की धारा 43बी के अंतर्गत अस्वीकृत मद्दे	3.99	-2.47		1.52
4	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभावरित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु स्वीकार्य।				
5	वित्तीय माध्यमों का उचित मूल्यांकन				
6	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और एफवीटीपीएल म्यूचुवल फंड पर अप्रयुक्त लाभ/हानि				
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं)	5.46	-2.92	-	2.54

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

सीआईएन - U74999DL2018GOI334028

31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले नोट

6.2 वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां : नकद एवं नकद समतुल्य

(रूपए लाख में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
उपलब्ध नकद		-	-
उपलब्ध चेक/ड्राफ्ट		-	-
ट्रॉजिट में प्रेषण		-	-
बैंकों के पास शेष राशि:			
- चालू खातों पर*		113.70	6.69
फ्लैक्सी खाता		-	31.00
- 3 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशियां		-	-
		113.70	37.69

* एस्करो खाते से संबंधित 113.70 लाख रुपये (31 मार्च 2021 तक 0.19 लाख रुपये) की शेष राशि शामिल हैं जो एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार निर्धारित धनराशि है

6.3 वर्तमान वित्तीय संपत्ति - अन्य बैंक शेष

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
अन्य बैंक शेष		
3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता	-	-
	-	-

6.4 वर्तमान वित्तीय संपत्ति - ऋण

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
क. वसूलीयोग्य : सुरक्षित		
कर्मचारी ऋण और अग्रिम	-	-
ख. वसूलीयोग्य : असुरक्षित		
(i) संबंधित पक्षों को ऋण:		
(ii) अन्य:		
कर्मचारी ऋण और अग्रिम *	0.60	0.20
कुल	0.60	0.20

* निदेशकों से देय राशि का विवरण:

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
कर्मचारियों के ऋण और अग्रिमों में शामिल निदेशकों से देय राशि	-	-
कुल	-	-

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

सीआईएन - U74999DL2018GOI334028

31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले नोट

6.5 वर्तमान संपत्ति - अन्य वित्तीय संपत्ति

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
वसूलीयोग्य : अरक्षित		
उपाजित ब्याज :		
- कर्मचारियों को अग्रिम	-	-
बैंको में जमा राशि	-	0.09
- बंधन		
अनुबंध संपत्ति :		
- बिल योग्य राजस्व / प्राप्य देय नहीं	3,396.21	22,388.71
- ग्राहकों द्वारा आहरित राशि	84.53	636.78
कुल - अन्य वित्तीय संपत्ति - शोध्य	3,480.74	23,025.58
संदिग्ध माने गए : अरक्षित		
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ - संदिग्ध	-	-
कुल	3,480.74	23,025.58

इरकाँन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

सीआईएन - U74999DL2018GOI334028

31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले नोट

7 वर्तमान संपत्ति - वर्तमान कर संपत्ति (शुद्ध)

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
टीडीएस और अग्रिम कर सहित भुगतान किए गए कर (कर के लिए शुद्ध प्रावधान)	437.91	1,001.89
वर्तमान कर संपत्तियां (शुद्ध)	437.91	1,001.89

वर्तमान कर संपत्तियां (शुद्ध)

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
प्रदत्त कर:		
आयकर - टीडीएस	2,460.19	1,013.12
घटा - कर हेतु प्रावधान	2,022.28	-11.23
कुल	437.91	1,001.89

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

सीआईएन - U74999DL2018GOI334028

31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले नोट

8 अन्य चालू परिसंपत्तियां

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
वसूलीयोग्य : अरक्षित		
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम	-	2,196.85
निम्न से वसूली योग्य अग्रिम: माल और सेवाकर	8,255.86	7,229.91
निम्न पर संचित ब्याज : ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य के साथ जमाराशि और अग्रिम		114.07
पूर्व प्रदत्त	53.10	69.60
उचित मूल्य समायोजन	-	-
संदिग्ध समझे गए : अरक्षित	-	-
कुल	8,308.96	9,610.43

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

सीआईएन - U74999DL2018GOI334028

31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले नोट

9 इक्विटी शेयर पूंजी

(रूपए लाख में)

विशेष

31 मार्च 2022 को 31 मार्च 2021 को

अधिकृत शेयर पूंजी

प्रति 10 रुपये के 1,00,00,000 इक्विटी शेयर

(31 मार्च 2021 को प्रति 10 रुपये के 1,00,00,000 इक्विटी शेयर)

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

जारी/अंशदायी और प्रदत्त पूंजी

प्रति 10 रुपये के 1,00,00,000 इक्विटी शेयर,

पूर्णतः प्रदत्त

(31 मार्च 2021 को पूर्णतः प्रदत्त प्रति 10 रुपये

के 1,00,00,000 इक्विटी शेयर)

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

प्रमोटर की शेयरधारिता

विवरण	अवधि / वर्ष के अंत में प्रमोटर द्वारा धारित शेयर				अवधि/वर्ष के दौरान परिवर्तन प्रतिशत
	क्र.सं.	प्रमोटर का नाम*	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	
31 मार्च, 2022 तक	1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और इसके नामिति	100,00,000	100.00%	-
	2				
	3				
	4				
	5				

विवरण	अवधि / वर्ष के अंत में प्रमोटर द्वारा धारित शेयर				अवधि/वर्ष के दौरान परिवर्तन प्रतिशत
	क्र.सं.	प्रमोटर का नाम*	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	
31 मार्च, 2021 तक	1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और इसके नामिति	-	100.00%	-
	2				
	3				
	4				
	5				

(क) कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
	शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारिता का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारिता का प्रतिशत
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और इसके नामांकित व्यक्ति	100,00,000	100.00%	100,00,000	100.00%

(ख) साल की अवधि के दौरान वापस खरीदे गए शेयर

	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
	शेयर की संख्या				
नकद के अलावा अन्य आवंटित इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-
इक्विटी शेयर बोनस शेयर के रूप में जारी किए जा	-	-	-	-	-
इक्विटी शेयर वापस खरीदें	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

(ग) इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें / अधिकार :

(i) मतदान

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है, जिसका सममूल्य 10 रुपये प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है।

(ii) परिसमापन

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमानी राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

(iii) लाभांश

निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है

(घ) इक्विटी शेयरों की संख्या और वर्ष की आरंभ और अंत में बकाया शेयर पूंजी का मिलान

विवरण	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
	शेयरों की संख्या	रुपए लाख में	शेयरों की संख्या	रुपए लाख में
वर्ष के आरंभ में बकाया जारी/अंशदायी और इक्विटी पूंजी	100,00,000	1,000.00	100,00,000	1,000.00
जमा : वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	-	-
घटा: वर्ष के दौरान शेयरों का बायबैक	-	-	-	-
वर्ष के अंत में जारी/अंशदायी और प्रदत्त इक्विटी पूंजी बकाया	100,00,000	1,000.00	100,00,000	10,000.00

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

सीआईएन - U74999DL2018GOI334028

31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले नोट

10 अन्य इक्विटी

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
प्रतिधारित आमदनी	6,072.32	56.52
सामान्य आरक्षित निधि	-	-
अन्य आरक्षित निधि	16,918.00	12,577.00
अन्य वृहत आय	-	-
कुल	22,990.32	12,633.52
(ख) अन्य आरक्षित निधि		
सीएसआर गतिविधि आरक्षित निधि	-	-
घटा: लाभ एवं हानि विवरण में अतिरेक से अंतरण	-	-
कुल	-	-

i) निम्नानुसार संचलन:

(क) प्रतिधारण आमदनी		
आरंभिक शेष	56.52	28.98
जमा: इंड एस समायोजन	-	-
लाभ एवं हानि विवरण में अतिरेक से अंतरण	6,015.80	27.54
समापन शेष	6,072.32	56.52
(ख) आरक्षित निधि		
आरंभिक शेष	-	-
जमा: प्रतिधारण आय से अंतरण	-	-
आरंभिक आर अंतिम शेष	-	-

(ग) अन्य आरक्षित निधि		
आरंभिक शेष	12,577.00	12,577.00
जमा: वर्ष के दौरान संवर्धन	4,341.00	-
समापन शेष	16,918.00	12,577.00
(घ) अन्य वृहत आय		
आरंभिक शेष	-	-
ओसीआई के माध्यम से ऋण उपकरण	-	-
वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अंतरण (कर का निवल)	-	-
समापन शेष	-	-
सकल योग (क+ख+ग+घ)	22,990.32	12,633.52

ii) अन्य आरक्षित निधियों की प्रकृति और प्रयोजन

(क) प्रतिधारित आमदनियां

कंपनी के अवितरित लाभों को प्रस्तुत करती प्रतिधारित आमदनियां

(ख) सामान्य आरक्षित निधि

सामान्य आरक्षित निधि सांविधिक आरक्षित निधि को दर्शाता है, जो कॉर्पोरेट कानून के अनुसार है जिसमें लाभ का एक भाग सामान्य आरक्षित निधि में समायोजित किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, सामान्य आरक्षित निधि के लिए किसी भी राशि का हस्तांतरण कंपनी के विवेक पर निर्भर करता है।

(ग) अन्य आरक्षित निधि

कंपनी ने इरकॉन, होल्डिंग कंपनी से ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त किया है और कंपनी द्वारा एनएचएआई के साथ किए गए रियायती समझौते में परिभाषित इक्विटी की परिभाषा के अनुसार संभावित इक्विटी के रूप में माना जाता है।

(घ) अन्य वृहत आय की मदें

अन्य वृहत आय विदेशी प्रचालनों के अंतरण पर विनिमय अंतर के कारण उत्पन्न शेष को प्रदर्शित करता है।

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

सीआईएन - U74999DL2018GOI334028

31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले नोट

11 गैर-वर्तमान देनदारियां - वित्तीय देनदारियां

11.1 गैर-वर्तमान वित्तीय देनदारियां - उधार

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
अरक्षित:		
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से ऋण *	3,448.00	57,118.14
रक्षित		
बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण **	48,605.62	-
31 मार्च 2021	52,053.62	57,118.14

टिप्पणियाँ :

* इरकॉन से गैर-जमानती ऋण

होलिडिंग कंपनी (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड) से ऋण के नियम और शर्तें

1. स्वीकृति :- 3448 लाख रुपये

- ऋण पर प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 महीने की एमसीएलआर के नीति प्रीमियम (समय-समय पर लागू) के बिना होगी।
 - ऋण संवितरण की अवधि समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि होगी।
 - अरक्षित ऋण की चुकौती सीओडी से 12 वर्षों के बाद शुरू करते हुए 2.5 वर्षों में या वरिष्ठ ऋणदाता के पूर्ण सावधि ऋण की चुकौती, जो भी पहले हो, संरचित अर्ध-वार्षिक किश्तों में की जाएगी।
 - ब्याज की गणना मासिक अंतराल के आधार पर की जाएगी।
- ** बैंक ऑफ बड़ौदा से रक्षित ऋण

बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण के नियम और शर्तें

स्वीकृति :- 72412 लाख

- ऋण पर प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर नीतिगत प्रीमियम के बिना, 1 वर्ष की एमसीएलआर होगी, अर्थात् वर्तमान में मासिक अंतराल पर देय 7% प्रति वर्ष।
- सीओडी की तारीख से 7 महीने की अवधि। चुकौती अनुसूची दिनांक 28.02.2022 से शुरू होगी और 29.02.2032 को अंतिम किस्त है।
- सावधि ऋण का पुनर्भुगतान 21 अर्धवार्षिक किस्तों में किया जाएगा।
- ब्याज का भुगतान डेबिट होने पर किया जाएगा।
- प्रमोटर अर्थात् मैसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (एएए रेटेड) की कॉर्पोरेट गारंटी एनएचआई से पहली वार्षिकी की प्राप्ति तक (सीओडी से 180 दिनों तक) उपलब्ध होगी।

- (vi) ऋण द्वारा सुरक्षित किया जाएगा-
- (क) ऋणदाताओं के लाभ के लिए ऋणदाताओं/सुरक्षा एजेंट के पक्ष में ऋणदाताओं के लिए संतोषजनक रूप में पहला बंधक और शुल्क, सभी उधारकर्ताओं की अचल संपत्तियों में से, यदि कोई हो, वर्तमान और भविष्य दोनों, परियोजना संपत्तियों को छोड़कर; ऋणकर्ता की सभी चल संपत्तियों के ऋणदाताओं के लाभ के लिए ऋणदाता/सुरक्षा एजेंट के पक्ष में पहला शुल्क, वर्तमान और भविष्य दोनों, परियोजना संपत्तियों को बचाने और छोड़कर।
- (ख) बचत और परियोजना परिसंपत्ति को छोड़कर चल संयंत्र और मशीनरी, मशीनरी पुर्जों, उपकरण और सहायक उपकरण, फर्नीचर, फिक्सचर, वाहन, अन्य सभी चल संपत्ति और मौजूदा संपत्ति, वर्तमान और भविष्य दोनों सहित, सभी उधारकर्ताओं की वास्तविक चल संपत्ति पर पहला शुल्क,
- (ग) कंपनी द्वारा स्थापित किए जाने वाले नामित बैंक और डीएसआरए में खोले गए एस्करो खाते सहित सभी बैंक खातों पर पहला शुल्क, जहां परियोजना से सभी नकदी प्रवाह जमा किए जाएंगे, और उप खाता (या उसके प्रतिस्थापन में कोई खाता) जो इस समझौते और पूरक एस्करो समझौते या किसी अन्य परियोजना समझौते के अनुसार खोला जा सकता है, बशर्ते इस तरह का पहला शुल्क केवल एस्करो समझौते और रियायत समझौते के तहत निर्धारित प्राथमिकताओं के जलप्रपात के अनुसार अनुमत सीमा तक होगा। ;
- (घ) एस्करो खाते में इस तरह के राजस्व और प्राप्य जमा करने के पश्चात, परियोजना या अन्यथा, परियोजना के बही ऋण, परिचालन नकदी प्रवाह, कमीशन या किसी भी प्रकृति के राजस्व से उधारकर्ता के सभी राजस्व और प्राप्तियों पर पहला शुल्क शामिल है, बशर्ते कि जैसा कि यहां उल्लेख किया गया है, इस तरह के किसी भी राजस्व और प्राप्तियों पर प्राप्तियों और/या वसूली के बाद ही शुल्क उत्पन्न होगा और एस्करो खाते में प्रवेश किया जाएगा और उसके बाद केवल एस्करो समझौते के तहत जलप्रपात प्राथमिकताओं के अनुसार अनुमत सीमा तक उपयोग किया जाएगा।
- (ङ.) कंपनी और बीमा पॉलिसियों आदि के पक्ष में किसी भी परियोजना समझौते या अनुबंध के तहत किसी भी काउंटर पक्ष द्वारा प्रदान किए जा सकने वाले ठेकेदार गारंटी, परिसमापन नुकसान, ऋण पत्र, गारंटी या निष्पादन बांड का असाइनमेंट;
- (च) परियोजना से संबंधित सभी अनुबंधों, बीमा, लाइसेंस से लेकर सभी परियोजना समझौते (रियायत समझौते सहित) से संबंधित ऋणदाताओं के सभी अधिकारों, शीर्षक और हितों पर ऋणदाताओं के पक्ष में असाइनमेंट / समझौते के माध्यम से पहला शुल्क) जिसके लिए ऋणी ठेकेदार गारंटी, परिसमापित हर्जाना, साख पत्र, प्रदर्शन बांड, गारंटी और परियोजना से संबंधित अन्य सभी अनुबंधों को शामिल करने वाला पक्ष है, बशर्ते इस तरह का शुल्क प्रतिस्थापन समझौते के तहत प्रदान की गई सीमा तक सीमित और उत्पन्न होगा;
- (छ) सभी अधिकारों, शीर्षक, हितों, लाभों, दावों, अवांछित पूंजी के उधारदाताओं के पक्ष में रियायती समझौते के तहत कंपनी के अधिकारों पर पहला शुल्क / असाइनमेंट / सुरक्षा ब्याज और किसी भी क्रेडिट पत्र, प्रदर्शन बांड में कंपनी की जो भी मांग है, परियोजना दस्तावेजों के लिए किसी पार्टी द्वारा प्रदान की गई गारंटी;
- (ज) उधारकर्ता की अमूर्त संपत्ति पर पहला शुल्क, लेकिन परियोजना संपत्ति को छोड़कर वर्तमान और भविष्य की साख तक सीमित नहीं है। बशर्ते कि उसकी कोई भी वसूली एस्करो खाते में जमा की जाएगी और पूर्वोक्त शुल्क रियायत समझौते और एस्करो समझौते की जलप्रपात प्राथमिकताओं के तहत अनुमेय सीमा तक सीमित होंगे;
- (i) सभी लागू बीमा पॉलिसियों का समनुदेशन

11.2 गैर-वर्तमान देनदारियां - अन्य वित्तीय देनदारियां

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
ग्राहक से अग्रिम पर देय ब्याज	-	-
कुल	-	-

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

सीआईएन - U74999DL2018GOI334028

31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले नोट

12 वर्तमान देनदारियां - वित्तीय देनदारियां

12.1 वर्तमान वित्तीय देनदारियां - उधार

विवरण	(रुपए लाख में)	
	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
सुरक्षित:		
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता: इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से ऋण	-	1,831.86
दीर्घवधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता: बैंक ऑफ बड़ोदा से ऋण	6,896.38	-
कुल	6,896.38	1,831.86

12.2 वर्तमान वित्तीय देनदारियां - व्यापार देय

विवरण	(रुपए लाख में)	
	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	-	-
(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा		
(i) ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता	-	19.61
(ii) संबंधित पक्ष - इरकॉन	9278.02	208.17
कुल	9,278.02	227.79

नोट:

क) कंपनी अधिनियम, 2013/सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी) के तहत आवश्यक प्रकटनप नोट सं. 32 में प्रदान किए गए हैं।

ख) संबंधित पक्षों के साथ नियम और शर्तों और अन्य शेष राशि नोट 27 में प्रकट की गई हैं।

व्यापार अवधि अनुसूची

(रुपए लाख में)

विवरण	बिना बिल	अदेय	भगतान की देय तिथि से 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1-2वर्ष	3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि	-	-	9,278.02	-	-	-	9,278.02
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का विवादित बकाया	-	-	-	-	-	-	-
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का विवादित बकाया	-	-	-	-	-	-	-

(रुपए लाख में)

विवरण	बिना बिल	अदेय	भगतान की देय तिथि से 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1-2वर्ष	3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि	-	-	227.79	-	-	-	228
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का विवादित बकाया	-	-	-	-	-	-	-
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का विवादित बकाया	-	-	-	-	-	-	-

12.3 वर्तमान देनदारियां - अन्य वित्तीय देनदारियां

विवरण	(रुपए लाख में)	
	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
याहक से अग्रिम पर देय ब्याज	749.09	1,025.14
जमा, प्रतिधारण धन और रोकी गई राशि - संबंधित पक्ष - इरकॉन	82.90	72.54
ऋण पर उपाजित ब्याज लेकिन देय नहीं*	29.26	-
अन्य देय (कर्मचारी देय सहित)	13.85	0.21
कुल	875.10	1,097.89

* ऋण पर उपाजित लेकिन बकाया नहीं ब्याज में शामिल है, होल्डिंग कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को दिनांक 31 मार्च 2022 को 18.77 लाख रुपये (31 मार्च 2021 को शून्य लाख रुपये) के रूप में देय ऋण पर उपाजित ब्याज।

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

सीआईएन - U74999DL2018GOI334028

31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले नोट

13 अन्य चालू देयताएँ

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
क) संविदागत देयता		
ग्राहकों से अग्रिम	-	4,662.50
ख) अन्य अग्रिम		
अन्यों से अग्रिम	-	-
ग) अन्य		
वैधानिक बकाया	225.15	363.05
कुल	225.15	5,025.55

टिप्पणियाँ:

क) वैधानिक बकाया में माल एवं सेवाकर (जीएसटी), टीडीएस, भविष्य निधि और अन्य वैधानिक देय राशि शामिल है।

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

सीआईएन - U74999DL2018GOI334028

31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले नोट

14 प्रचालन से राजस्व

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
अनुबंध राजस्व (नोट संख्या 31 और 33 देखें)	39,903.21	48,761.53
कुल	39,903.21	48,761.53

15 अन्य आय

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
ब्याज आय :		
आयकर की वापसी पर ब्याज	49.95	
प्राप्त अग्रिम राशि पर ब्याज आय	40.97	
इरकॉन को प्रदान की गई		
घटाएं: एनएचएआई से प्राप्त	-39.27	
मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज खर्च	1.70	-
वित्तीय साधनों पर ब्याज आय	-	-
बैंक का ब्याज	15.68	42.22
अन्य :		
प्राप्त बीमा दावा		126.40
घटा बीमा दावा इरकॉन को प्रदान किया गया	-	-126.40
अन्य विविध आय	0.20	-
कुल	67.53	42.22

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

सीआईएन - U74999DL2018GOI334028

31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले नोट

16 परियोजना एवं अन्य व्यय

(रूपए लाख में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
परियोजना व्यय			
कार्य व्यय		27,345.59	46,666.37
किराया - गैर आवासीय	(i)	2.97	2.73
दरें एवं कर		0.63	0.30
वाहन प्रचालन एवं अनुरक्षण		0.01	0.34
बीमा		202.56	108.57
यात्रा एवं कन्वेयंस		0.72	0.13
मूद्रण एवं स्टेशनरी		0.08	0.35
डाक टेलीफोन व टैलेक्स		-	0.07
विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार		15.78	6.25
परिसंपत्तियों की बिक्री से हानि		-	-
विज्ञापन और प्रचार		0.17	1.21
विविध व्यय		1.23	0.89
उपकूल (क)		27,569.74	46,787.21
अन्य व्यय			
लेखापरीक्षक पारिश्रमिक - उपकूल (ख)	(ii)	1.49	1.20
कुल (क + ख)		27,571.23	46,788.41

(i) किराए के रूप में इरकॉन को 2.52 लाख रूपए (2.32 लाख रूपए), जीएसटी को छोड़कर भुगतान किए गए।

(ii) **सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान**

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
(क) लेखापरीक्षा शुल्क - चालू वर्ष	0.80	0.75
(ख) कर लेखापरीक्षा शुल्क - चालू वर्ष	0.24	0.10
(ग) तिमाही सीमित समीक्षा हेतु शुल्क	0.40	0.30
(घ) प्रमाणन शुल्क	0.05	0.05
(घ) यात्रा एवं आउट ऑफ पॉकेट व्यय	-	-
यात्रा व्यय	-	-
आउट ऑफ पॉकेट व्यय	-	-
कुल	1.49	1.20

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

सीआईएन - U74999DL2018GOI334028

31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले नोट

17 कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ

(रूपए लाख में)

विवरण	फुटनोट	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन, पारिश्रमिक एवं बोनस		134.00	152.43
भविष्य एवं अन्य निधि में अंशदान		9.92	11.31
सेवानिवृत्ति लाभ		20.39	22.40
स्टाफ कल्याण		-	-
कुल		164.31	186.14

18 वित्तीय लागत

(रूपए लाख में)

विवरण	फुटनोट	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
आयकर पर ब्याज आय		0.03	0.00
अन्य ऋण लागत			
बैंक गारंटी और अन्य प्रभार		4.10	13.47
इरकॉन से ऋण पर ब्याज		1353.29	1772.73
बैंक ऑफ बड़ोदा से ऋण पर ब्याज		2848.45	0.00
एनएचएआई से प्राप्त मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज व्यय		-	342.51
घटा: इरकॉन को प्रदान मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज व्यय		-	-342.18
कुल		4,205.87	1,786.53

19 मूल्यहास परिशोधन एवं हानि

(रूपए लाख में)

विवरण		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण		0.53	0.45
परिसंपत्तियों की हानि		-	-
कुल		0.53	0.45

नोट: -20

क. उचित मूल्य मापन

(i) वित्तीय साधनों का श्रेणीवार वर्गीकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को इन वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर मापा जाता है और उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। तीन स्तरों को माप के लिए महत्वपूर्ण आदानों के अवलोकन के आधार पर परिभाषित किया गया है:

स्तर 1: समान संपत्ति या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में कोट किया गया मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2: स्तर 1 के भीतर शामिल कोट की गई कीमतों के अतिरिक्त अन्य इनपुट जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति या देयता के लिए अवलोकन योग्य हैं।

स्तर 3: संपत्ति या देयता के लिए अप्रचलित इनपुट।

क) दिनांक 31 मार्च, 2022 तक श्रेणियों द्वारा वित्तीय साधनों के उचित मूल्य और उचित मूल्य इस प्रकार हैं: *

(रूपए लाख में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां ('एफवीटीपीएल')				
म्युचुवल फंड में निवेश	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
परिशाधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश				
करमुक्त बांडों में निवेश	-	-	-	-
(ii) ऋण	1.65	-	-	1.65
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	84,210.31	-	-	84,210.31
कुल	84,211.96	-	-	84,211.96

(रूपए लाख में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं				
(i) ऋण	58,950.00	-	-	58,950.00
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	875.10	-	-	875.10
कुल	59,825.09			59,825.09

ख) दिनांक 31 मार्च 2022 को श्रेणी द्वारा वित्तीय माध्यमों का वहन मूल्य एवं उचित मूल्य निम्नानुसार है: *

(रूपए लाख में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां ('एफवीटीपीएल')				
म्युचुवल फंड में निवेश	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
परिशाधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश				
करमुक्त बांडों में निवेश	-	-	-	-
(ii) ऋण	0.20	-	-	0.20
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	63,851.93	-	-	63,851.93
कुल	63,852.13	-	-	63,852.13

(रूपए लाख में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं				
(i) ऋण	58,950.00	-	-	58,950.00
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	1097.89			1097.89
कुल	60,047.89			60,047.89

"प्रबंधन ने मूल्यांकन किया कि नकदी और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्त, व्यापार का भुगतान, बैंक ओवरड्राफ्ट और अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियां इन उपकरणों की अल्पकालिक परिपक्वता के कारण बड़े पैमाने पर उनकी ले जाने की मात्रा को अनुमानित करती हैं।"

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को उस मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी परिसंपत्ति की बिक्री पर प्राप्त होता है या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाता है। निष्पक्ष मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों और मान्यताओं का उपयोग किया गया था:

i) म्यूचुअल फंड इकाइयों में निवेश का उचित मूल्य नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) पर आधारित है, जैसा कि तुलनपत्र की तारीख में प्रकाशित विवरणों में इन म्यूचुअल फंड इकाइयों के जारीकर्ताओं द्वारा प्रकट किया गया है। एनएवी उस मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर जारीकर्ता म्यूचुअल फंड की आगे की इकाइयाँ जारी करेगा और जिस मूल्य पर जारीकर्ता ऐसी इकाइयों को निवेशकों से भुनाएगा।

ii) वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों और वर्तमान वित्तीय देनदारियों की मात्रा उनके मुख्य रूप से अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य को निर्धारित करती है। चूंकि मापन के प्रयोजन से ये इंड एस-109 के अंतर्गत आते हैं, इसलिए उपर्युक्त तालिका में इनका प्रकटन नहीं किया गया है।

* वित्त वर्ष 2021-22 और 2020-21 के दौरान, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के उचित मूल्य मापों के बीच कोई स्थानान्तरण नहीं हुआ।

ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियां, ऋण और अन्य वित्तीय देनदारियां हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रचालन को वित्तपोषित करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में एनएचएआई से रोकड़ और रोकड़ समतुल्य और वसूली योग्य राशियां शामिल हैं जो सीधे इसके प्रचालन से प्राप्त होते हैं। कंपनी की गतिविधियाँ विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों को प्रस्तुत करती हैं: जैसे बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम।

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। बाजार जोखिम में ब्याज दर जोखिम शामिल है। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और अन्य गैर-डेरिवेटिव वित्तीय साधन शामिल हैं।

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

शून्य है।

(ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो बाजार के ब्याज दर में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। कंपनी अपने ब्याज जोखिम का प्रबंधन कंपनियों की नीतियों और जोखिम उद्देश्य के अनुसार करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में बैंकों के पास जमा राशि शामिल है। इन वित्तीय साधनों पर ब्याज दर का जोखिम बहुत कम है, क्योंकि वित्तीय साधनों की अवधि के लिए ब्याज दर निर्धारित है। इसके अतिरिक्त कंपनी को ऋणों/कर्ज पर कोई जोखिम नहीं है क्योंकि वह ब्याज की नियत दर पर हैं।

ख) ऋण जोखिम

कंपनी की ग्राहक प्रोफाइल में भारत और विदेश में रेल मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियां शामिल हैं। तदनुसार, कंपनी का ग्राहक ऋण जोखिम कम है। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 24 से 36 महीने है। सामान्य भुगतान शर्तों में एकत्र अग्रिम, 45 से 60 दिनों की ऋण अवधि के साथ मासिक प्रगति भुगतान और परियोजना के अंत में जारी किए जाने वाले कुछ अवधारण शामिल हैं। कुछ मामलों में बैंक / कॉर्पोरेट गारंटी के साथ प्रतिधारण प्रतिस्थापित किया जाता है। कंपनी के पास संगठन के भीतर विभिन्न स्तरों पर अतिदेय ग्राहक प्राप्तियों की एक विस्तृत समीक्षा तंत्र है, जो उचित ध्यान और प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करता है।

व्यापार और अन्य प्राप्त्य

ऋण जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। ग्राहक की जनसांख्यिकी, जिसमें उद्योग और उस देश का डिफॉल्ट जोखिम शामिल है जिसमें ग्राहक संचालित होता है, का भी ऋण जोखिम मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है।

ऋण जोखिम का खतरा

(रूपए लाख में)

विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए जीवनकाल संभावित ऋण हानियों (एलईसीएल) के प्रयोग द्वारा प्रावधान को मापा गया		
गैर चालू निवेश	-	-
गैर चालू ऋण	1.05	-
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	80,729.57	40,826.36
चालू निवेश	-	-
रोकड एवं रोकड समतुल्य	113.70	37.69
अन्य बैंक शेष	-	-
चालू ऋण	0.60	0.20
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	3480.74	23,025.58
सरलीकरण परिदृश्य का उपयोग करके स्वीकृति मापन हेतु वित्तीय परिसंपत्तियां		
व्यापार प्राप्त्य	223.35	4,429.14
संविदागत परिसंपत्तियां	3,396.21	22,388.71

सरलीकरण परिदृश्य का उपयोग करके हानि प्रावधान में परिवर्तन का सार

विवरण	31.03/2022 को	31.03.2021 को
आरंभिक प्रावधान	-	-
वर्ष हेतु प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
बट्टा खता राशि	-	-
समापन प्रावधान	-	-

जीवनकाल संभावित ऋण घाटा (एलईसीएल) दृष्टिकोण का उपयोग करके हानि भत्ते में परिवर्तन का सारांश

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
आरंभिक प्रावधान	-	-
वर्ष हेतु प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
बट्टा खता राशि	-	-
(विनिमय लाभ)/हानि	-	-
समापन प्रावधान	-	-

समीक्षा अवधि के दौरान अनुमान तकनीकों या मान्यताओं में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया या था।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने शून्य रूपए (शून्य रूपए) की हानि के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है।

ग) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है, जिसके अंतर्गत कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं होती है जब ये दायित्व देय हो जाते हैं। कंपनी यह सुनिश्चित करके अपनी तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है, कि जहां तक संभव हो, देय होने पर अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त नकदी उपलब्ध रखे।

कंपनी का निगमित ट्रेजरी विभाग तरलता (नकदी), वित्तपोषण और निपटान संबंधी प्रबंधन के लिए भी उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के जोखिम से संबंधित प्रक्रियाएं और नीतियां पर वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा निगरानी रखी जाती हैं।



एनएचएआई बांड निश्चित ब्याज दर वहन करते हैं, इस प्रकार वे बांड लाभ दरों में बदलाव से प्रभावित नहीं होते हैं और म्यूचुअल फंड अत्यधिक तरल संपत्ति होते हैं जिन्हें मासिक और फिर से निवेश किया जाता है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2022 तथा 31 मार्च 2021 तक महत्वपूर्ण वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता का विवरण प्रस्तुत करती है:

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को		
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक
ऋण	6,896.38	6,896.38	45,157.24
व्यापार प्राप्य	9,278.02	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	875.10	-	-

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को		
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक
ऋण	1,831.86	7,327.44	49,790.70
व्यापार प्राप्य	227.79	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	1,097.89	-	-

घ) अत्यधिक जोखिम एकाग्रता

जब कई समकक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों, या एक ही भौगोलिक क्षेत्र में गतिविधियों में लगे होते हैं, जो आर्थिक, राजनीतिक या अन्य स्थितियों में परिवर्तन से प्रभावित होने के लिए संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की उनकी क्षमता का कारण बनती हैं। जोखिम किसी विशेष उद्योग को प्रभावित करने वाले विकास हेतु कंपनी के निष्पादन की सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाती है।

जोखिम की अत्यधिक संभावना से बचने के लिए, कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में एक विविध पोर्टफोलियो के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश शामिल हैं। क्रेडिट जोखिमों की पहचान की गई सांद्रता को उसी के अनुसार नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है।

निम्नलिखित तालिका परियोजना से राजस्व का ब्यौरा प्रस्तुत करती है:

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2021 तक की अवधि हेतु
परियोजना से राजस्व	39,903.21	48,761.53
	39,903.21	48,761.53

ग. पूंजी प्रबंधन

कंपनी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी क्षमता को बनाए रखने और सुरक्षित रखने की क्षमता के रूप में अपनी पूंजी का प्रबंधन करना है ताकि कंपनी शेयरधारकों को अधिकतम रिटर्न प्रदान कर सके और अन्य हितधारकों को लाभ दे सके। कंपनी ने निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश का भुगतान इस प्रकार किया है: -

लाभांश:

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
लाभांश	-	-
कुल	-	-

इसके अतिरिक्त, कंपनी आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन और वित्तीय प्रतिबद्धताओं की आवश्यकताओं के आलोक में समायोजन हेतु कंपनी पूंजीगत कार्यों का कर रही है।

कर्ज इक्विटी अनुपात :-

(रूपए लाख में)

विवरण	31-मार्च-22	31-मार्च-21
ऋण (नोट सं 11.1)	58,950.00	58,950.00
दीर्घकालीन ऋण	58,950.00	58,950.00
इक्विटी (नोट सं.9)	1,000.00	1,000.00
अन्य इक्विटी (नोट सं.10)	22,990.32	12,633.52
कुल इक्विटी	23,990.32	13,633.52
ऋण इक्विटी अनुपात	2.46	4.32



इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु लेखों संबंधी नोट

21. आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां:

(i) आकस्मिक देयता:

- (क) कंपनी के प्रति दावा जिस ऋण नहीं माना गया है - शून्य
(ख) वित्तीय गारंटियों को छोड़कर गारंटियां - शून्य

(ii) आकस्मिक परिसंपत्तियां: शून्य

22. प्रतिबद्धता:

(क) पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष संविदाओं की अनुमानित राशि (अग्रिमों का निवल) शून्य रूपए (शून्य) ।

(ख) अन्य प्रतिबद्धताएं

अन्य प्रतिबद्धताओं पर खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष संविदाओं की अनुमानित राशि 17,331.48 लाख रूपए (39,335.35 लाख रूपए) है।

23. (क) एनएचएआई (ग्राहक) के अंतर्गत दर्शाए गए शेष पुष्टि/समायोजन/ पुनर्विनियोजन, यदि कोई हो के अध्याधीन हैं। कंपनी पक्षों से पुष्टि हेतु पत्र भेज रही है। तथापि, इसकी वसूलीयोग्यता/भुगतान के संबंध में यहां कोई तथ्यात्मक विवाद नहीं है।

(ख) प्रबंधन के मतानुसार, व्यावसाय की सामान्य प्रक्रिया में वसूली पर चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य उस मूल्य से कम नहीं होगा जिस पर उसे तुलनपत्र में अंकित किया गया है।

(ग) दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के लिए टीडीएस प्राप्य राशि, समाशोधन के अधीन है क्योंकि टीडीएस कटौतीकर्ताओं ने अपने टीडीएस रिटर्न नहीं भरे हैं, जिसकी देय तिथि वर्तमान में 31 मई, 2022 है।

24. (क) लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत विदेशी विनिमय उच्चावचन - शून्य

(ख) अनहैज्ड विदेशी मुद्रा प्रभाव का प्रकटन - शून्य

(ग) विदेशी मुद्रा में अर्जन (संचित आधार पर) - शून्य

(घ) विदेशी मुद्रा में व्यय (संचित आधार पर) - शून्य



(ड.) आयातों का सीआईएफ मूल्य - शून्य

(च) सामग्री एवं एम्प; प्रयुक्त भंडारण - शून्य

25. पट्टों संबंधी प्रकटन

I. पट्टाधारक के रूप में कंपनी:

एक पट्टाधारक के रूप में कंपनी ने पट्टा संविदाओं में प्रवेश किया है, जिसमें कार्यालय स्थल का पट्टा शामिल है। इंड एस 116 की स्वीकार करने से पूर्व, कंपनी अपनी आरंभिक तिथि को अपने प्रत्येक पट्टे (पट्टाधारक के रूप में) का वर्गीकरण प्रचालन पट्टे के रूप में करती थी।

कंपनी के पास कार्यालयों के कतिपय पट्टे हैं जहां पट्टा अवधि 12 महीने या कम है। कंपनी इन पट्टों के लिए अल्पकालीन पट्टा स्वीकृति छूट को लागू करती है।

कंपनी की पट्टा व्यवस्थाएं कार्यालयों के पट्टों के प्रीमियमों के संबंध में हैं। पट्टा व्यवस्थाएं रद्द किए जाने योग्य हैं और इन्हें सामान्य रूप से आपसी सहमत शर्तों पर नवीकृत किया जाता है। वर्ष के दौरान पट्टा भुगतानों की राशि निम्नानुसार है:

(क) कार्यालय परिसरों के संबंध में पट्टा प्रीमियम **2.97 लाख** (2.73 लाख) - (नोट 16 पर परियोजना व्यय में शामिल)।

II. पट्टाकर्ता के रूप में कंपनी : शून्य

26. सेगमेंट रिपोर्टिंग

(i) सामान्य जानकारी

"प्रचालनिक सेगमेंट को उद्यम के घटकों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके लिए निरंतर वित्तीय जानकारी उपलब्ध होती है, जिसका नियमित रूप से मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) द्वारा मूल्यांकन किया जाता है कि संसाधनों को कैसे आवंटित किया जाए और कार्यनिष्पादन का आकलन किया जाए। कंपनी का निदेशक मंडल है मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम)। कंपनी गुजरात राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के व्यवसाय में लगी हुई है और मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम), खंड के रूप में व्यवसाय के परिचालन परिणामों की निगरानी करता है, इसलिए यहां किसी इंड एस 108 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रकटन हेतु अलग खंड की आवश्यकता नहीं है।



(ii) भौगोलिक जानकारी के बारे में सूचना

चूंकि कंपनी एक ही भौगोलिक खंड अर्थात भारत में कार्यरत है, इसलिए अलग से किसी भौगोलिक खंड का प्रकटन नहीं किया गया है।

(iii) प्रमुख ग्राहक के बारे में जानकारी

एकल ग्राहक अर्थात एनएचएआई से राजस्व के रूप में 39,903.21 लाख प्राप्त हुए हैं जो कंपनी के कुल राजस्व का 10% से अधिक है।

27. संबंधित पक्ष प्रकटन : इंड एस के अनुसार चिह्नित किए जाने वाले संबंधित पक्ष

(क) उपक्रम जहां नियंत्रण विमान है -

(i) धारक कंपनी :

- इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (कंपनी की सम्पूर्ण इक्विटी पूंजी धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और उसके नामितियों के पास धारित है)।

(ख) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

इरकॉन के निदेशक: - श्री एस एल गुप्ता (कार्यमुक्ति की तिथि 13.05.2021), श्री अशोक कुमार गोयल, श्री राज कुमार (कार्यमुक्ति की तिथि 02.08.2021), श्री योगेश कुमार मिश्रा (कार्यमुक्ति की तिथि 01.10.2021), सुश्री रितु अरोड़ा (13.05.2021 से प्रभावी), श्री पराग वर्मा (29.12.2021 से प्रभावी), श्री मसूद अहमद (02.08.2021 से प्रभावी), श्री सुरजीत दत्ता (31.03.2022 से कार्यमुक्ति) और श्री बी मुगुनथन (01.04.2022 से प्रभावी)

अन्य: श्री नितेश कुमार जी असाती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री राज कुमार, मुख्य वित्तीय अधिकारी, सुश्री रिची महाजन, कंपनी सचिव (कार्यमुक्ति की तिथि 18.10.2021) और सुश्री अर्पिता बसु रॉय (07.01.2022 से प्रभावी)

(iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के परिश्रमिक का ब्यौरा:-

(रूपए लाख में)

क्र.सं.	विवरण	2020-21	2020-21
I	वेतन एवं भत्ते*	39.88	34.73
II	भविष्य निधि, पेंशन में अंशदान	5.65	6.68
III	बैठक शुल्क	-	-
IV	अन्य भत्ते	11.85	12.00
	कुल	57.38	53.41



*इरकॉन वीकेईएल में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अंशकालीन निदेशक को धारक कंपनी के बोर्ड द्वारा नामित किया गया है, जो कंपनी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहे हैं। अंशकालीन निदेशकों को कोई बैठक शुल्क नहीं दिया जाता है।

(ग) दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष संव्यवहार:

(रूपए लाख में)

विवरण	वि.व 2021-22 के दौरान संव्यवहार	वि.व 2020-21 के दौरान संव्यवहार	बकाया राशि 31.03.2022 को	बकाया राशि 31.03.2021 को
इरकॉन वीकेईएल की इक्विटी में निवेश	-	-	1,000.00	1,000.00
इरकॉन द्वारा उपलब्ध ब्याज मुक्त अग्रिम	4,341.00	-	16,918.00	12,577.00
इरकॉन द्वारा इरकॉन वीकेईएल को प्रदान किया गया ऋण	-	40,850.00	-	58,950.00
इरकॉन वीकेईएल द्वारा इरकॉन को ऋण का पुनर्भुगतान	58,950.00	-	-	-
इरकॉन द्वारा इरकॉन वीकेईएल को प्रदान किया गया अरक्षित ऋण	3,448.00	-	3,448.00	-
ऋण पर भुगतान/देय ब्याज	1,353.29	1,772.73	18.77	-
उपर्युक्त प्रमुख प्रबंधन कार्मिक को पारिश्रमिक (iii)	57.38	53.41	-	-
कार्यशील व्यय	27,223.64	46,551.02	9,265.33	275.53
इरकॉन को प्रारंभिक खर्च, वेतन और पारिश्रमिक,	65.48	75.22	12.69	5.17



भविष्य निधि अंशदान, किराया, प्रदत्त टीडीएस, बीजी शुल्क, अन्य खर्चों और कर्मचारियों को अग्रिम आदि की प्रतिपूर्ति				
प्रदत्त बीमा दावा	-	126.40	-	-
इरकॉन को उपलब्ध कराए गए मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज	-	-	-	2,196.85
इरकॉन को प्रदान कराए गए मोबिलाइजेशन अग्रिम पर प्राप्त/प्राप्य ब्याज	40.97	342.18	-	114.07

घ) संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के नियम और शर्तें

- (i) संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन, उन शर्तों अधीन किया जाता है जो आर्म लैथ के लेन-देन में प्रचलित हाते हैं।
- (ii) रिपोर्टिंग तिथि पर संबंधित पक्षों के बकाया शेष राशियां अरक्षित हैं और निपटान, बैंकिंग लेनदेन के माध्यम से होता है।

28. वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड-133 के अंतर्गत अधिसूचित इंड एस-36 "परिसंपत्तियों की हानि" के अनुसार निवल वसूलीयोग्य मूल्य और वहनीय लागत के निम्नतर के आधार पर वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण द्वारा व्यक्तिगत परिसंपत्तियों की हानि का आकलन किया है। तदनुसार, शून्य रूप की हानि के लिए प्रावधान किया गया है।

29. प्रति शेयर आय

भारतीय लेखांकन मानक -33 'प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रकटीकरण

मूल ईपीएस की गणना, वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी धारकों के कारण वर्ष हेतु लाभ को विभाजित करके की जाती है।

विलयित ईपीएस की गणना, इक्विटी धारकों के कारण वर्ष हेतु लाभ को विभाजित करके की जाती है, जो कि वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा शिथिल पड़ने के प्रभाव को ध्यान में रखकर इक्विटी शेयरों में मिश्रित संभावित इक्विटी शेयरों के अंतरण पर जारी किया जाएगा।

(i) प्रति शेयर मूल और विलयित आय (रूपए में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 तक की अवधि हेतु
इक्विटी धारकों को लाभ (रूपए लाख में)	6,015.80	27.54
मूल और विलयित ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या	10,000,000.00	10,000,000.00
प्रति शेयर आमदनी (मूल)	60.16	0.28
प्रति शेयर आमदनी (विलयित)	60.16	0.28
प्रति शेयर फेस मूल्य		

(ii) इक्विटी शेयरधारकों के कारण लाभ (न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त) (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 तक की अवधि हेतु
लाभ और हानि विवरण के अनुसार वर्ष के लिए लाभ (लाख रुपये में)	6,015.80	27.54
ईपीएस की गणना के लिए प्रयुक्त कंपनी के इक्विटी धारकों के प्रति लाभ:	6,015.80	27.54



(iii) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (डिनॉमिनेटर के रूप में प्रयुक्त) (सं.)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 तक की अवधि हेतु
जारी किए गए इक्विटी शेयरों का आरंभिक शेष	10,000,000.00	10,000,000.00
वर्ष के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयर		
मूल ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	10,000,000.00	10,000,000.00
विलयन प्रभाव:		
जमा : वर्ष के दौरान बकाया संभावित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	-	-
विलयित ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	10,000,000.00	10,000,000.00

30. कर्मचारी लाभों पर इंड एस - 19 के अंतर्गत प्रकटन

इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड में कार्यरत कर्मचारियों धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से प्रतिनियुक्ति/सेगमेंट आधार पर तैनात किया गया है।

लेखांकन मानक -19 की शर्तों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा अपनी लेखांकन नीतियों (नोट सं.2.2.7) के अनुसार किया जा रहा है।

प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान और पेंशन अंशदान को धारक कंपनी द्वारा नियमित रूप से भविष्य निधि ट्रस्ट में जमा कराया जाता है।

31. ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व पर इंड एस -115 के अंतर्गत प्रकटन*

(क) राजस्व से असंयोजन

ग्राहकों के साथ संविदाओं से कंपनी के राजस्व का असंयोजन निम्नानुसार है:

(रूपए लाख में)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु						
वस्तुओं और सेवाओं का प्रकार	रेलवे	राजमार्ग	इलैक्ट्रिकल	भवन	अन्य	कुल
निष्पादन दायित्व के संतोष का समय:						
समयोपरि	-	39,903.21	-	-	-	39,903.21
समय बिंदु पर	-	-	-	-	-	-
कुल	-	39,903.21	-	-	-	39,903.21
निष्पादन दायित्व के मापन की विधि						
इनपुट विधि	-	39,903.21	-	-	-	39,903.21
आउटपुट विधि	-	-	-	-	-	-
कुल	-	39,903.21	-	-	-	39,903.21
भौगोलिक बाजार:						
घरेलू	-	39,903.21	-	-	-	39,903.21
अंतरराष्ट्रीय	-	-	-	-	-	-
कुल	-	39,903.21	-	-	-	39,903.21

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु						
वस्तुओं और सेवाओं का प्रकार	रेलवे	राजमार्ग	इलैक्ट्रिकल	भवन	अन्य	कुल
निष्पादन दायित्व के संतोष का समय:						
समयोपरि	-	487,61.53	-	-	-	487,61.53
समय बिंदु पर	-	-	-	-	-	-
कुल	-	487,61.53	-	-	-	487,61.53

निष्पादन दायित्व के मापन की विधि						
इनपुट विधि	-	487,61.53	-	-	-	487,61.53
आउटपुट विधि	-	-	-	-	-	-
कुल	-	487,61.53	-	-	-	487,61.53
भौगोलिक बाजार:						
घरेलू	-	487,61.53	-	-	-	487,61.53
अंतरराष्ट्रीय	-	-	-	-	-	-
कुल	-	487,61.53	-	-	-	487,61.53

(ख) सेगमेंट सूचना में प्रकट राशि सहित ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व का विनियोजन:

सेगमेंट रिपोर्टिंग से राजस्व 399,03.21 लाख रूपए (487,61.53 लाख रूपए) है।

(ग) कंपनी ने इंड एस 115 - "ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व" के अनुप्रयोग हेतु आशाधित पूर्वगामी परिदृश्य को अपनाया है और दिनांक 01 अप्रैल 2018 के प्रतिधारित आमदनी पर इसका शून्य प्रभाव हो।

(घ) संविदा शेष:

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
व्यापार प्राप्त्य (नोट 6.1)	233.35	4429.14
संविदा परिसंपत्तियां (नोट 4.2 व 6.5)	84,210.31	63851.84
संविदा दायित्व (नोट 1)	-	4662.50

(i) व्यापार प्राप्त्य बिना ब्याज के हैं और ग्राहक प्रोफाइल में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शामिल है। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र 24 से 36 महीने का है। सामान्य भुगतान



शर्तों में 45 से 60 दिनों की अवधि की ऋण अवधि सहित मासिक प्रगति भुगतान, मोबिलाइजेशन अग्रिम शामिल हैं।

(ii) संविदा परिसंपत्तियों को उस अवधि के ऊपर स्वीकार किया जाता है, जिसमें सेवाएं निष्पादित की गई हैं ताकि ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं या सेवाओं के लिए विनिमय में कंपनी के अधिकार को स्पष्ट किया जा सके। इसमें निर्माण संविदा के अंतर्गत ग्राहकों से देय शेष शामिल है, जो तब उत्पन्न होती है जब कंपनी संविदाओं की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से धनराशि प्राप्त करती है। तथापि राजस्व को इनपुट विधि के अंतर्गत उक्त अवधि में स्वीकार किया जाता है। पूर्व में स्वीकृत संविदा परिसंपत्ति के रूप में और किसी भी राशि को संबंधित शर्तों के संतोषपूर्ण पूरा होने पर पुनः वर्गीकृत किया जाता है अर्थात् भावी सेवाएं जो बिल योग्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
वर्ष के आरंभ में संविदागत परिसंपत्तियां	63,851.84	32,828.40
वर्ष के अंत में संविदागत परिसंपत्तियां	84,210.31	63,851.84
निवल वृद्धि (कमी)	20,358.47	31,023.44

वर्ष 202-22 के लिए, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 20,358.47 लाख रूपए (31023.44 लाख रूपए) की निवल वृद्धि हुई है, जो इनपुट विधि पर आधारित राजस्व स्वीकृति के कारण है जबकि किए गए कार्यों के बिलों को ग्राहकों द्वारा प्रस्तुत बिलों के समायोजन के पश्चात संविदा की शर्तों के आधार पर प्रमाणित किया गया है।

(iii) निर्माण संविदा से उत्पन्न संविदा दायित्व ग्राहकों से देय शेष हैं और यह तब उत्पन्न होती है जब दीर्घकालीन निर्माण संविदा में विशिष्ट लक्ष्य इनपुट विधि के अंतर्गत स्वीकृत राजस्व से अधिक हो जाता है। अग्रिम राशि को निर्माण अवधि के ऊपर समायोजित किया जाता है जब ग्राहकों से इन्वाइसिंग प्राप्त होती है।

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
वर्ष के आरंभ में संविदागत देयताएं	4,662.50	9,325.00
वर्ष के अंत में संविदागत देयताएं	-	4,662.50
निवल वृद्धि (कमी)	-4,662.50	-4,662.50



वर्ष 2021-22 के लिए, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 4662.50 लाख रूपए (4662.50 लाख रूपए) की निवल वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम भुगतान और वर्ष के लिए निष्पादित कार्यों के प्रति ग्राहकों से अग्रिम भुगतान के समायोजन के पश्चात है।

(iv) व्यापार प्राप्तियों में परिवर्तित बिल न किए गए राजस्व का विवरण इस प्रकार है:-

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 202 को
बिल न किया गया राजस्व व्यापार प्राप्य में परिवर्तित	18,992.51	18,374.86

(ड.) निम्न अवधि में राजस्व स्वीकृति:

(i) निम्नलिखित तालिका दर्शाती है कि किस प्रकार राजस्व अग्रणीत संविदा दायित्वों के संबंध में चालू रिपोर्टिंग अवधि में स्वीकार किया जाता है:

(रूपए हजार में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
निर्माण संविदाओं में अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि (नोट 13)	-	4,662.50
ग्राहकों से देय राशि (नोट 6.1)	233.35	4,429.14

(च) असंतुष्ट दीर्घकालीन संविधान

निम्नलिखित तालिका दीर्घकालीन निर्माण संविदा के परिणामस्वरूप असंतुष्ट निष्पादन दायित्वों को दर्शाती है:

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
दिनांक 31 मार्च को आंशिक या पूर्ण असंतुष्ट दीर्घकालीन निर्माण संविधान के संव्यहार आवंटित मूल्य की समग्र राशि	24,429.44	643,32.65

प्रबंधन आशा करता है कि दिनांक 31 मार्च 2022 को असंतुष्ट संविदा के संव्यहार आवंटित मूल्य को भविष्य में निम्नानुसार राजस्व के रूप में स्वीकार किया जाए:



(रूपए लाख में)

	31 मार्च, 2022**	31 मार्च, 2021**
एक वर्ष या कम	24,429.44	643,32.65
एक वर्ष से दो वर्ष तक	-	-
दो वर्ष से अधिक	-	-
कुल	24,429.44	643,32.65

** ऊपर प्रकट राशि में परिवर्तन शामिल नहीं है, जो सीमिति है।

(छ) राजस्व मान्यता से संबंधित लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन:-

कंपनी ने राजमार्ग सड़क के निर्माण के निष्पादन दायित्व को मापने में अनिश्चितता के कारण निष्पादन दायित्व की संतुष्टि की दिशा में प्रगति को मापने के लिए इनपुट के रूप में लागत का उपयोग किया है और दिनांक 31.03.2021 तक राजस्व को खर्च की गई लागत की सीमा तक मान्यता दी गई थी। परियोजना की पर्याप्त निर्माण प्रगति को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन ने अब लागत और राजस्व की स्थिति का मूल्यांकन किया है और संचयी कैच-अप समायोजन का उपयोग करते हुए दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वर्ष में राजस्व में लाभ मार्जिन शामिल किया है। पिछले वर्षों में संतुष्ट निष्पादन दायित्वों से मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि 6361.03 लाख रुपये (शून्य रुपये) है। इसके अलावा, अनुबंध संपत्तियों की आवाजाही पर प्रभाव निम्नानुसार है:-

(रूपए लाख में)

विवरण	संविदागत परिसंपत्तियां
वर्ष के आरंभ में शेष संविदागत परिसंपत्तियां	63,215.07
प्राप्तियों के लिए वर्ष के आरंभ में मान्यता प्राप्त संविदागत संपत्ति से स्थानांतरण	18,992.51
बीजक हेतु वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त राजस्व	31,940.25
अनुमानों में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले संचयी कैच-अप समायोजन के परिणामस्वरूप परिवर्तन	7,962.96
वर्ष के अंत में संविदागत संपत्ति शेष	84,125.77

32. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण इस प्रकार हैं:
(रूपए लाख में)

विवरण	वर्ष 31 मार्च 2022 हेतु	वर्ष 31 मार्च 2021 हेतु
(क) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में मूल राशि और उस पर देय ब्याज, जो किसी आपूर्तिकर्ता को बकाया है: • सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय मूल राशि • उपर्युक्त पर ब्याज		
(ख) प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि से आगे आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में रीजन (क्षेत्र) द्वारा देय ब्याज की राशि।	शून्य	शून्य
(ग) भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देयस और भुगतानयोग्य ब्याज की राशि (वर्ष के दौरान जिसका भुगतान किया गया है किन्तु निर्धारित तिथि के पश्चात) किन्तु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।		
(घ) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज और शेष अप्रदत्त राशि;		
(ड.) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत आगामी वर्षों में भी देय शेष ब्याज की राशि, ऐसी तारीख जबतक कि ब्याज की बकाया राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान न हो गई हो, जो कि कटौतियोग्य व्ययों की अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु है।		



33. सेवा रियायत व्यवस्थाएं

सार्वजनिक से निजी सेवा रियायत की व्यवस्था को परिशिष्ट "ग" के अनुसार दर्ज किया जाता है - सेवा रियायत व्यवस्था (इंड एस -115)। परिशिष्ट "ग" यदि लागू हो:

क) गारंटर नियंत्रित और विनियमित करेगा कि प्रचालक आधारभूत सुविधाओं के साथ कौन-सी सेवाएं प्रदान करेगा, ये सेवाएं किसके लिए प्रदान की जाएंगी और किस कीमत पर इन्हें प्रदान की जाएंगी; तथा

ख) गारंटर स्वामित्व, लाभकारी पात्रता, या अन्यथा व्यवस्था की अवधि के अंतर्गत अवसंरचना में किसी महत्वपूर्ण अवशिष्ट हित के माध्यम से नियंत्रित करेगा।

यदि उपरोक्त दोनों शर्तों को एक साथ पूरा किया जाता है, तो एक वित्तीय परिसंपत्ति को इस स्तर तक स्वीकार किया जाएगा कि प्रचालक को सेवा के लिए या गारंटर के विवेक पर नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने विशेषाधिकार होगा।

इन वित्तीय परिसंपत्तियों को आरंभिक लागत पर स्वीकार किया जाएगा, जो प्रचालकों के कारण प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध सेवाओं के उचित मूल्य जमा अन्य प्रत्यक्ष लागतों पर होगी। इन्हें तत्पश्चात प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधित लागत पर लेखांकित किया जाएगा।

कंपनी (इरकॉन वीकेईएल) ने दिनांक 25.08.2018 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ सेवा रियायत की व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। जिसकी शर्तों के अनुसार एनएचएआई (गारंटर) ने अभिकल्प, निर्माण, वित्तपोषण, प्रचालन तथा अंतरण (डीबीएफओटी) पर हाइब्रिडवार्षिकी परियोजना आधार पर आठ लेन निर्माण के लिए गुजरात राज्य में किमी 323.00 से किमी 355.00 (लगभग 32 किमी) पर (वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के सपना से पदरा खंड तक) (चरण 1क- पैकेज-III) तक वडोदरा किम एक्सप्रेस वे के निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए कंपनी को प्राधिकृत किया है। उक्त समझौते के संदर्भ में, इरकॉन वीकेईएल के पास परियोजना के निर्माण को पूरा करने और परियोजना की संपत्तियों को उचित कार्यशील स्थिति में रखने का दायित्व है। परियोजना वार्षिकी पैटर्न पर आधारित है।

रियायत की अवधि नियत तिथि से 15 वर्ष होगी। रियायत अवधि के अंत में, परिसंपत्तियों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को वापस स्थानांतरित कर दिया जाएगा।



समझौते के संदर्भ में महत्वपूर्ण उल्लंघन के मामले में एनएचएआई और इरकॉनडीएचएचएल के पास इस समझौते के अनुसार चूक की घटना का समाधान करने में सक्षम न होनी की स्थिति में समझौते को समाप्त करने का अधिकार है।

इंड एस 115 के परिशिष्ट-घ के संदर्भ में प्रकटीकरण

कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2016 में अधिसूचित अनुसार, इंड एस -115: ग्राहकों से राजस्व के परिशिष्ट-घ में अपेक्षित प्रकटनों के संदर्भ में, तुलन पत्र की तारीख तक वित्तीय विवरणों में विचार की गई राशि इस प्रकार है:

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
स्वीकृत संविदा राजस्व	39,903.21	48,761.53
वह की गई लागत की सकल राशि	31,941.94	48,761.53
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम की राशि	-	-
ग्राहकों से प्रतिधारण राशि	84.53	636.78475
वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए निर्माण सेवाओं के विनिमय हेतु उक्त अवधि में स्वीकृत लाभ/(हानि)	-	-
संविदागत कार्यों के लिए ग्राहकों से देय सकल राशि	233.35	4,429.14

34. कोविड-19 प्रकटन

कंपनी ने संभावित प्रभावों पर विचार किया है जो वित्तीय और गैर-वित्तीय संपत्तियों की राशि की वसूली सहित अपने वित्तीय परिणामों की तैयारी में कोविड -19 से उत्पन्न हो सकते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में संभावित भविष्य की अनिश्चितताओं से संबंधित धारणाओं को विकसित करने में कोविड-19 के कारण परिस्थितियों में, कंपनी ने सूचना के आंतरिक और बाहरी स्रोतों का उपयोग किया है और उम्मीद करती है कि परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की वसूली की जाएगी।



इस वैश्विक स्वास्थ्य महामारी का वास्तविक प्रभाव अनुमान से भिन्न हो सकता है, क्योंकि भारत और विश्व स्तर पर कोविड-19 की स्थिति विकसित हो रही है। हालाँकि, कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों में किसी भी भौतिक परिवर्तन की गहनता से निगरानी करना जारी रखेगी। "

35. कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में संशोधन के अनुसार प्रकटीकरण:

निगमित मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 24 मार्च 2021 की अधिसूचना द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में संशोधन किया है, जो ऐसे प्रकटनों के संबंध में जो दिनांक 01 अप्रैल 2021 से लागू हैं। कंपनी ने वित्तीय विवरणों में उक्त संशोधन के अनुसार परिवर्तनों को शामिल किया है और नीचे दिए गए प्रकटन, उक्त संशोधन के अनुपालन में किए गए हैं:

- (i) कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा-560 के तहत वर्ष के दौरान बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं है।
- (ii) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।
- (iii) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है।
- (iv) कंपनी के पास इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में अलग से प्रकटन करने के लिए कोई पूर्व अवधि की त्रुटियां नहीं हैं।
- (v) कंपनी के पास कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है, जो अभी तक वैधानिक अवधि से परे आरओसी के साथ पंजीकृत नहीं है।
- (vi) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (इकाईयों) को इस सोच के साथ उन्नत या ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ (क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को उधार या निवेश करेगा या कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचानी गई संस्थाएं को, या (ख) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करती हैं।

- (vii) कंपनी को विदेशी संस्थाओं (वित्तपोषण पक्षों) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है (चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो) कि कंपनी:
- (क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगी या फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में निवेश करें या
- (ख) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की प्रदान करें।
- (viii) कंपनी के पास प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और अन्य संबंधित पक्षों से ऋण की प्रकृति में कोई ऋण और अग्रिम नहीं है।
- (ix) कंपनी ने ऋणों का प्रयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया है जिनके लिए वे लिए गए थे।
- (x) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा स्वैच्छिक चूककर्ता के रूप घोषित नहीं किया गया है।
- (xi) कंपनी को बैंक के साथ वर्तमान परिसंपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए कंपनी द्वारा बैंक के साथ दायर किए गए विवरण और खात बहियों के समायोजन का प्रावधान लागू नहीं है।
- (xii) निम्नलिखित लेखांकन अनुपातों को प्रकट किया गया है:-

विवरण	न्यूमेटर	डिनामिनेटर	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021	% परिवर्तन	25% से अधिक परिवर्तन का कारण
वर्तमान अनुपात	वर्तमान किराया संपत्ति	वर्तमान देनदारियां	0.73	4.66	-84.37%	चालू वर्ष में वर्तमान देनदारियों में वृद्धि
ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	2.46	4.32	-43.17%	चालू वर्ष में लाभ में वृद्धि
कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए आय = करों के बाद शुद्ध लाभ	ऋण सेवा = ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन	0.15	1.02	-85.00%	चालू वर्ष में ऋण की चुकौती

	+ गैर-नकद परिचालन व्यय	चुकौती				
इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल	करों के बाद शुद्ध लाभ - वरीयता लाभांश	औसत शेयरधारक की इक्विटी	0.25	0.00	12311.47%	चालू वर्ष में लाभ में वृद्धि
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बेचे गए सामान की लागत	औसत सूची	लागू नहीं			
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	शुद्ध क्रेडिट बिक्री = सकल क्रेडिट बिक्री - बिक्री रिटर्न	औसत व्यापार प्राप्य	171.00	11.01	1453.25%	चालू वर्ष में व्यापार प्राप्यों में कमी
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	शुद्ध ऋण खरीद = सकल ऋण खरीद - खरीद वापसी	औसत व्यापार देय	लागू नहीं			
शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात	शुद्ध बिक्री = कुल बिक्री - बिक्री रिटर्न	कार्यशील पूंजी = वर्तमान संपत्ति - वर्तमान देनदारियां	-8.49	1.63	-621.05%	चालू वर्ष में वर्तमान देनदारियों में वृद्धि

शुद्ध लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ	शुद्ध बिक्री = कुल बिक्री - बिक्री रिटर्न	0.15	0.00	26588.29%	चालू वर्ष में लाभ में वृद्धि
नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और करों से पहले की कमाई	नियोजित पूंजी = मूर्त निवल मूल्य + कुल ऋण + आस्थगित कर देयता	0.16	0.03	5.34	चालू वर्ष में लाभ में वृद्धि
निवेश पर वापसी	ब्याज (वित्त आय)	निवेश	लागू नहीं			

36. कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत नहीं आती है और इस अवधि के दौरान कोई सीएसआर व्यय नहीं किया गया है।

37. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अनुसार प्रकटीकरण:

इस वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा नोट 14 में प्रकटन के अलावा कोई ऋण नहीं दिया गया है, निवेश किया गया है और गारंटी दी गई है।

38. हाल की घोषणाएं

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") समय-समय पर जारी कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित करता है। दिनांक 23 मार्च, 2022 को, एमसीए ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2022 में किया गया संशोधन, निम्नानुसार है:-

1. **इंड एस 16 - संपत्ति संयंत्र और उपकरण** - संशोधन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि परीक्षण की लागत से अधिक उत्पादित वस्तुओं की शुद्ध बिक्री आय की अधिकता, यदि कोई हो,



को लाभ या हानि में स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन इसे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद की लागत के भाग के रूप में कारक लागतों से प्रत्यक्ष रूप से कटौती की जाएगी। इस संशोधन को लागू करने की प्रभावी तिथि दिनांक 01 अप्रैल, 2022 या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि होगी। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसका समेकित वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

2. इंड एस 37 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां - यह संशोधन निर्दिष्ट करता है कि अनुबंध को 'पूरा करने की लागत' में 'अनुबंध से सीधे संबंधित लागत' शामिल है। एक अनुबंध से सीधे संबंधित लागत या तो उस अनुबंध को पूरा करने की वृद्धिशील लागत हो सकती है (उदाहरण प्रत्यक्ष श्रम, सामग्री होंगे) या अन्य लागतों का आवंटन, जो सीधे अनुबंधों को पूरा करने से संबंधित हैं (उदाहरण के लिए मूल्यहास शुल्क का आवंटन, संपत्ति की वस्तु, संयंत्र और अनुबंध को पूरा करने में प्रयुक्त उपकरण होगा)। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है, हालांकि समयपूर्व स्वीकार करने की अनुमति है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होगा।

3. वित्तीय देनदारियों की मान्यता रद्द करने के लिए '10 प्रतिशत' परीक्षण में शुल्क: संशोधन, उस शुल्क को स्पष्ट करता है, जिसमें इकाई यह आकलन करते समय शामिल होती है कि क्या एक नई या संशोधित वित्तीय देयता की शर्तें मूल वित्तीय देयता की शर्तों से काफी भिन्न हैं। इन शुल्कों में केवल वे भुगतान शामिल हैं, जो उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच भुगतान किए गए या प्राप्त किए गए हैं, जिसमें भुगतान या प्राप्त शुल्क या तो उधारकर्ता या दूसरे की ओर से ऋणदाता द्वारा प्राप्त किया गया है।

यह इकाई, उन वित्तीय देनदारियों में संशोधन लागू करती है, जो वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में या उसके बाद संशोधित या विनिमय की जाती हैं, जिसमें इकाई सर्वप्रथम संशोधन लागू करती है।

39 अन्य प्रकटीकरण

(i) कंपनी के पास बैंकों और अन्य पक्षों से शेष राशि की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली है।



(ii) प्रबंधन की राय में, व्यवसाय के सामान्य क्रम में वसूली पर संपत्ति का मूल्य, तुलनपत्र में बताए गए मूल्य से कम नहीं होगा।

(iii) आंकड़े लाख में निकटतम रुपये में पूर्णांकित हैं।

40. पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के प्रस्तुतीकरणों के साथ समरूपता के लिए पुनवर्गीकृत किया गया है। इन पुनवर्गीकरणों के कारण प्रचालनों के रिपोर्टिड परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष को आंकड़ों को प्रकोष्ठ () में रखा गया है ताकि वर्तमान आंकड़ों से उनकी भिन्नता को सुनिश्चित किया जा सके।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से
इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

कृते भसीन राघवन एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएल- 000197एन

ह/-

विक्रम सिंह

साझेदार

स.सं: 093458

ह/-

(बी.मुगुंथन)

निदेशक

डीआईएन: 08517013

ह/-

(मसूद अहमद)

निदेशक

डीआईएन: 09008553

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 17.05.2022

ह/-

(नितेश कुमार जी.असाटी)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ह/-

(राज कुमार)

मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-

(अर्पिता बासु राँय)

कंपनी सचिव

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां



भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
प्रधान निर्देशक लेखापरीक्षा का कार्यालय
रेलवे वाणिज्यक नई दिल्ली
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT
RAILWAY COMMERCIAL, NEW DELHI

संख्या: पी डी ए/आर सी/ AA-IVKEL/48-04/22/2022-23/181 दिनांक: 28.07.2022

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड,
नई दिल्ली -110017.

विषय: 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ |

महोदय,

मैं, इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड के 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों अंग्रेषित कर रहा हूँ।

कृप्या इस पत्र की संलग्न को सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीय,

ह/-

(विक्रम डी. मुरगुराज)
प्रधान निर्देशक (रेलवे वाणिज्यक)

संलग्न: यथोपरी



31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अनुसार तथा आश्वासन मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 17 मई 2022 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा न करने का निर्णय लिया है।

कृते एवं की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

ह/-

(विक्रम डी. मुरुगराज)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक
रेल वाणिज्य, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 28.07.2022



इरकाँन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (‘इरकाँनवीकेईएल’)

पंजीकृत और निगमित कार्यालय :

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017, भारत

दूरभाष: +91-11-29565666 | फ़ैक्स: +91-11-26522000, 26854000

ई-मेल आईडी : csirconvkel@gmail.com